द्वितीय माला, खण्ड २१—अंक ३२
२३ सितम्बर, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २१ में अंक ३१ से अंक ३५ तक हैं)

लोक-सभा, सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

215A LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खंड २१—अंक ३१ से ३५—२२ सितम्बर से २७ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक ३१—सोमवार, २२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२७ से १४३१, १४३३, १४३६, १४४० और १४४२ से १४५० ३६७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३७ से १४३९, १४४१, १४५१ से १४६१ और १४६३ से १४७६ . ३६९५–३७०७

अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ से २४८४ और २४८६ से २४९९ ३७०७–३०

जानकारी का प्रश्न ३७३१, ३७३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७३१

राज्य-सभा से सन्देश ३७३२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३७३२

याचिका समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३७३१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा रेखा के बारे में ३७३३

सभापति तालिका . . ३७३३

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ३७३४

केरल की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में . . . ३७३४–३८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी सम्भावनाओं के बारे में प्रस्ताव ३७३८–९१

दैनिक संक्षेपिका २७९२–९८

अंक ३२—मंगलवार, २३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७७ से १४८१, १४८३, १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९६, १४९८, १५०१ और १५०३ . . . ३७९९–३८२४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८४, १४८६, १४८६, १४६७, १४६६, १५००, १५०२, १५०४, से १५१७ और १५१६ से १५२१ . . ३८२४–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २५०० से २५६६ . . ३८३४–७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८७८–७६

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . ३८७६–८१

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . . ३८८१–६०

तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का स्पष्टीकरण . ३८६०–६१

वर्ष १६५८–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . . ३८६१–३६२०

कोयले के निर्यात के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . . ३६२०–२५

दैनिक संक्षेपिका ३६२६–३२

अंक ३३--बुधवार, २४ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५२० से १५२६, १५३१ से १५३४, १५३६, १५३८ और १५४१ से १५४५ . . . ३६३३–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५३०, १५३५, १५३७, १५३६, १५४०, १५४६ से १५५७, १५५७-क, १५५८, १५५६, १५५६-क, १५५६-ख, १५६० से १५८३ और १५८३-क . . ३६५६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या २६०१ से २७११, २७१३, २७१५ से २७३५, २७३७ से २७४१, २७४१-क और २७४१-ख . . ३६७५–४०३६

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . ४०३७–३८

विशेषाधिकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . ४०३८–३६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४०३६–४०

सदस्य की गिरफ्तारी . . . ४०४०

याचिका समिति--

कार्यवाही सारांश ४०४१

राज्य-सभा से सन्देश . . ४०४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

मोती बाग में कुछ मकानों आदि के गिराये जाने के कारण अनुसूचित जाति के लोगों को हुई कठिनाई . . ४०४१–४३

	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का स्पष्टीकरण	४०४२
सभा का कार्य	४०४२–४३
वर्ष १९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांग	४०४३—४५
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—	४०४५—७२
खण्ड २, ३, ४ और १ तथा अनुसूची	४०६६—७०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	४०७०—७२
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४०७२—७७
स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य के दमन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	४०७७—८१
दैनिक संक्षेपिका	४०८२—९१
अंक ३४—गुरुवार, २५ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५८४ से १५८७, १५८८, १५८८ से १५९०, १५९२ से १५९६, १५९८ और १६००	४०९३—४११४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ और १६	४११५—१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१, १५९३, १५९९, १६०१ से १६०६, १६०६-क, १६०७ से १६१७, १६१७-क, १६१८ से १६३२, १६३४ से १६३६, १६३६-क, १६३७, १६३७-क और १६३८ से १६४३	४११८—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या २३४२ से २३५०, २३५२ से २८५४, २८५६ से २८६९ और २८६९-क	४१३९—९०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४१९०–९१
सदस्य की गिरफ्तारी	४१९१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठाइसवां प्रतिवेदन	४१९१
प्राक्कलन समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन	४१९१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	४१९२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के बन्द हो जाने से देश में वस्त्र उत्पादन में कमी	४१९२
भारत एलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया	४१९३

	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर की शुद्धि	४१६४
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४१६४
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव	४१६४–६५
सभा का कार्य	४१६५,४२२२
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक —	
विचार करने का स्ताव	४१६५–४२२२
खण्ड २ से २५, अनुसूची और खण्ड १	४२१३–२२
पारित करने का प्रस्ताव	४२२२
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४२२२–३१
दैनिक संक्षेपिका	४२३२–४०

अंक ३५—शनिवार, २७ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४३-क, १६४४ से १६४९, १६५१, १६५२, १६५५, १६५७ से १६६०, १६६४ और १६६५	४२४१–६५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २०	४२६५–७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६६१ से १६६३, १६६६ से १६९२, १६९२-क, और १६९३ से १६९८	४२७५–९०
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २९९० और २९९२ से ३०२५	४२९०–४३६३
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय पुलिस पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा गोली चलाना	४३६४–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४३६५–६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौबीसवीं से उन्तीसवीं बैठकों के कार्यवाही सुरांश	४३६६
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश	४३६६
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश	४३६७

पृष्ठ

सदस्य की गिरफ्तारी . ४३६७–६८

सदस्यों को सजा . . . . ४३६८—४४०१

विशेषाधिकार समिति—

चौथा तथा पांचवां प्रतिवेदन . . ४३६८

प्राक्कलन समिति . . . . . .

सत्ताइसवां तथा अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ४३६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

१. अम्बाला में अवैध हथियारों का पकड़ा जाना . ४३६९—७०

२. कपड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही . ४३७०—७१

अनुपस्थिति की अनुमति . . ४३७१

तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ के उत्तर की शुद्धि ४३७१—७२

विशेषाधिकार प्रस्ताव—

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य ४३७२—८५

विधेयक—पुरःस्थापित—

१. भारतीय विद्युत् (संशोधन) विधेयक . ४३८५–८६

२. संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक। ४३८६

३. चाय (सीमा शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक। ४४०४

जानकारी का प्रश्न ४३८६–८७

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों के रूपभेद के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४३८७—९०

रेल यात्रा में जीवन की असुरक्षा के बारे में . . ४३९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन ४३९१

उड़ीसा मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ों का निर्णय करने के लिए आयोग के बारे में संकल्प . . . ४३९२—४४०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प . . . ४४०१—०३

अमेरिका को रूई के संभरण के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा ४४०५—०९

दैनिक संक्षेपिका . ४४१०—२१

पांचवें सत्र का कार्यवाही सारांश ४४२२–२४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, सितम्बर, १९५८

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बिहार में स्टीमर सर्विस

†*१४७७. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २८ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा में बिहार और उत्तर प्रदेश में संयुक्त स्टीमर समवायों द्वारा बन्द की गई स्टीमर सर्विस को पुनः चालू करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस विषय में कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

बिहार सरकार के सामने यह सुझाव रखा गया था कि अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा संचालन के लिये वह एक निगम स्थापित करे और भारत सरकार टेकनीकल रूप में तथा पूंजी के लिये ऋण देकर भी सहायता प्रदान करेगी और प्रारम्भिक अवस्था में इसके संचालन पर होने वाली हानि का कुछ अंश भी वहन करेगी । बिहार सरकार ने उत्तर दिया कि निगम की स्थापना भारत सरकार करे और बिहार सरकार और भारत सरकार पूंजी तथा वार्षिक हानि का समान भार वहन करें । वाणिज्यिक स्तर पर अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा के संगठन के लिये अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा संचालन का अनुभव अत्यन्त आवश्यक है, अतः संयुक्त स्टीमर समवायों से इस शर्त पर इसका संचालन करने के लिये कहा गया कि हानि की पूर्ति सरकार करेगी । उन्होंने कहा कि उनके पास इस कार्य के लिये पूंजी नहीं है । अतः उनसे बिहार अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये

†मूल अंग्रेजी में

पृथक समवाय संगठित करने का सुझाव दिया गया जिसे वित्तीय सहायता भारत सरकार और बिहार सरकार देगी । इस योजना की रूपरेखा प्राप्त हो गई है और भारत सरकार और बिहार सरकार इस पर विचार कर रही हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** विवरण से यह प्रतीत होता है कि संयुक्त स्टीमर समवायों ने केन्द्रीय सरकार के सामने एक योजना प्रस्तुत की है । इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** उसमें मुख्य बातें यह हैं कि उसमें दस-दस रुपये के १०,००० साधारण शेअर से मिल कर एक लाख रुपये की अधिकृत पूंजी होगी । जारी की गई पूंजी प्रारम्भ में १००० रुपये होगी । उस कम्पनी में तीन डाइरेक्टरों का एक बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स होगा । उसमें दो चार्टर्ड नौकाएं चलेंगी—सटर्न और अदरोच । इसमें पटना से राजमहल और पटना से बक्सर तक सर्विस चलेगी । यह इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं । कदाचित् अधिक विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** यह अभी बिहार सरकार और भारत सरकार के विचाराधीन है । हमें इस पर शीघ्र विचार कर इसे अन्तिम रूप देना है ।

†**श्री बोस :** इन स्टीमरों को बंद कर देने के फलस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** यह अलग प्रश्न है ।

श्री भक्त दर्शन : इस प्रश्न में उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया गया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन स्टीमर सर्विसेज़ से उत्तर प्रदेश को भी कुछ लाभ पहुंचने की आशा की जा सकती है ?

श्री राज बहादुर : प्रश्न जो है उसका बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों से सम्बन्ध है लेकिन उत्तर प्रदेश की बाबत मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जो मैंने रूट्स बताये हैं वे तो उत्तर प्रदेश को नहीं आते ।

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० का संशोधन

\+

†*१४७८. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३० अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० में संशोधन करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) सड़क परिवहन अधिनियम, १९५० में संशोधन करने के अनेक प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) संसद् के आगामी सत्र में एक संशोधनकारी विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा :** मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों में सड़क परिवहन अधिनियम लागू हैं और क्या लाइसेंस जारी करने के लिये नियमों में शिथिलता बरती गई है ?

†**श्री राज बहादुर :** सड़क परिवहन निगम अधिनियम के अधीन लाइसेंस जारी नहीं किये जाते हैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम संगठनात्मक विषयों पर लागू होता है और इसमें वे उपबंध दिये गये हैं जिनके अन्तर्गत निगमों का संगठन किया जा सकता है अथवा किया जाना चाहिये । परिवहन व्यवसाय का लाइसेंस सम्बन्धी भाग मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत है ।

†**श्री राम कृष्ण :** पंजाब सरकार ने इस विषय में क्या सम्मति व्यक्त की है ?

†**श्री राज बहादुर :** पंजाब सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से पठानकोट-मनाली रोड के अन्तर्राज्यिक मार्ग पर एक सड़क परिवहन निगम स्थापित करने के लिये सहमत हो गई है ।

†**श्री रंगा :** क्या केन्द्रीय सरकार को जानकारी देने के लिये राज्य सरकारों को यह परामर्श देने की कोशिश की गई है कि सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने वाले अपने अपने निगमों की स्थापना वह कब करेंगे अथवा आवश्यकता से अधिक गाड़ियां अब भारत सरकार के सुपुर्द रख जायेंगी ताकि वह उनका दिल्ली और अन्य स्थानों में उपयोग कर सकें ?

†**श्री राज बहादुर :** मेरा विचार है कि सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के सब प्रस्तावों पर पहले योजना आयोग के साथ चर्चा की जायेगी और उनकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी । वित्त मंत्रालय के परामर्श से उन पर चर्चा की जायेगी । यदि इन कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी जाये तो राष्ट्रीयकरण के इन प्रस्तावों पर योजना आयोग के सामने विचार किया जाता है ।

†**श्री तंगामणि :** पंजाब सरकार के अतिरिक्त क्या किन्हीं अन्य राज्य सरकारों ने भी इस अधिनियम में समुचित संशोधन करने के लिये प्रस्ताव रखा है ?

†**श्री राज बहादुर :** क्या राष्ट्रीयकरण के लिये ?

†**श्री तंगामणि :** जी हां ।

†**श्रीराज बहादुर :** यह प्रश्न राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित नहीं है । यह प्रश्न सड़क परिवहन निगम की स्थापना के सम्बन्ध में है जिसमें राष्ट्रीयकरण भी अन्तर्ग्रस्त है । बिहार, पंजाब और राजस्थान—इन तीन राज्यों से इस विषय के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

दिल्ली में असैनिक हवाई अड्डा

†*१४७९. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १७ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में असैनिक उड्डयन की स्थापना का प्रस्ताव किस स्थिति में है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रस्ताव का परित्याग कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रस्तावित हवाई अड्डे में लगाने के लिये कुछ उपकरण पहले ही खरीद लिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कुल कितनी रकम के उपकरण खरीदे गये हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन की स्थापना के प्रश्न पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, किन्तु फिलहाल असैनिक उड्डयन विभाग और भारतीय विमान बल दोनों संयुक्त रूप में पालम का उपयोग करेंगे ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या यह सच है कि दिल्ली में एक असैनिक विमान स्टेशन निर्माण करने का निर्णय किया गया था ? अब इस निर्णय का परित्याग क्यों कर दिया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया गया था ।

†**श्री भक्त दर्शन** : कुछ दिनों पहले स्वयं शासन ने यह स्वीकार किया था कि चूंकि विलिंगडन एयर पोर्ट आबादी के बीच में स्थित है इसलिये उसको वहां से हटाकर किसी खुले मैदान में ले जाया जाये, मैं जानना चाहता हूं कि फिर इस निर्णय को कार्यान्वित करने में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : क्या यह सच है कि विलिंगडन एयर पोर्ट सब ओर मकानों से घिर गया है । आजकल डेकोटा जैसे छोटे विमानों के लिये ही इसे प्रयुक्त किया जा रहा है । बड़े विमान पालम एयर पोर्ट का प्रयोग करते हैं । एक स्थायी असैनिक हवाई अड्डे का प्रश्न विचाराधीन है । मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस विषय में निर्णय कर लिया जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि इस दोहरे नियंत्रण से हवाई अड्डे के विकास में बाधा हुई है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जहां तक भवन निर्माण और कर्मचारियों के आवास का प्रश्न है इसमें बाधा हुई है । किन्तु उड्डयन की अन्य सुविधाओं के विकास में कोई अन्तर उत्पन्न नहीं हुआ है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या पालम का रनवे आधुनिक जेट विमानों के लिये पर्याप्त नहीं है और प्रतिरक्षा की दृष्टि से पालम में असैनिक उड्डयन बनाये रखना उचित नहीं है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : बोइंगज़ उतरने के लिये पालम का रन वे पर्याप्त रूप में लम्बा नहीं है । १९६० में बोइंगज़ उतरने के लिये रनवे का विस्तार करने अथवा उसके निर्माण का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : दोनों मंत्रालय इस विकास सम्बन्धी व्यय को किस प्रकार वहन करेंगे ?

†**परिवहन तथा संचारमंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : इस व्यय का भार अभी हाल ही में वहन नहीं किया जायेगा । इसका संचालन सम्बन्धी व्यय हम उठायेंगे । अन्य स्थान में वह जायेंगे अथवा यह प्रश्न सक्रिय रूप में विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस हवाई अड्डे की स्थापना के लिये कौन कौन से स्थान विचाराधीन हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** एक से अधिक स्थान हैं ।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि कुछ दिनों से इस पर विचार किया जा रहा है । मैंने जो पहले प्रश्न पूछा था उसी को दुहराना चाहता हूं कि वह कौन सी खास अड़चनें हैं जिनकी कि वजह से निर्णय करने में इतनी देरी हो रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** दूसरी जगह एयरपोर्ट स्थापित करने में क़रीब १० करोड़ रुपये का खर्च आता है जो कि एक काफ़ी बड़ी रक़म है और जब तक हमारे पास काफ़ी पैसा न हो, कोई भी चीज़ चाहे वह कितनी ही आवश्यक क्यों न हो, वह चीज़ रुक जायेगी ।

पंजाब में बाढ़ नियंत्रण के लिये महायोजना

†*१४८०. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब में रावी, व्यास और सतलुज नदियों के बारे में बाढ़ सम्बन्धी महायोजना के प्रारूप का बाढ़ सम्बन्धी उच्च-स्तरीय समिति ने परीक्षण कर लिया है?

†**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** इस योजना प्रारूप का अभी परीक्षण किया जा रहा है ।

†**श्री राम कृष्ण :** इस योजना का कब तक परीक्षण हो जायेगा ?

†**श्री हाथी :** उच्च-स्तरीय बाढ़ समिति का अन्तिम प्रतिवेदन नवम्बर के अन्त तक मिलने की सम्भावना है । तत्पश्चात् बोर्ड इसकी परिनिरीक्षा करेगा । तब राज्य नियंत्रण बोर्ड उसका परीक्षण करेगा । मैं निश्चित नहीं कह सकता हूं कि इसमें कितना समय लगेगा ?

†**सरदार इकबाल सिंह :** यह जो परीक्षणाधीन योजना है इसकी कुल लागत कितनी है ?

†**श्री हाथी :** पंजाब सरकार के प्राक्कलन के अनुसार इसकी अनुमानित लागत ८२३ लाख ५२ हजार रुपये है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या अन्य राज्यों के लिये भी ऐसी ही बृहत्तर योजना बनाई जा रही है ?

†**श्री हाथी :** जी हां । आसाम और बिहार सरीखे कुछ राज्यों ने ऐसी योजनायें प्रस्तूत की हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास और केरल के बीच अन्तर्राज्यिक नदी जल विवाद

†*१४८१. **श्री शिवनंजप्पा :**
श्री पी० रा० रामकृष्णन् :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमालीकुलम नदी का जल बांटने के लिये मद्रास और केरल के बीच चल रहा विवाद मध्यस्थ निर्णय के लिये भारत सरकार के सुपुर्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में भारत सरकार का निर्णय कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं । इस विवाद में निर्णय के लिये किसी भी राज्य सरकार की ओर से निर्देशन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इस नदी का जल बांटने में दोनों सरकारों के बीच चलने वाले विवाद की मुख्य बातें क्या-क्या हैं ?

†**श्री हाथी** : मद्रास सरकार चलाकुडी बेसीन के कुछ पानी को प्रयुक्त करना चाहती है । केरल सरकार का अनुमान है कि यदि ऐसा किया गया तो उन्हें पानी की कमी रहेगी । अतः सम्पूर्ण विवाद पानी के उपयोग और वितरित करने के प्रश्न से सम्बन्धित है ।

†**श्री पी० रा० रामकृष्णन्** : क्या मद्रास सरकार ने उक्त स्थान का सर्वेक्षण किया है और यदि केरल सरकार उनकी सीमा के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाले पानी के उपयोग पर सहमत नहीं हुई तो क्या उन्हें मद्रास राज्य के जलगत क्षेत्र के जल को प्रयुक्त करने की अनुमति दी जायेगी ?

†**श्री हाथी** : जब तक पानी के वितरण का प्रश्न निर्णीत नहीं होता है सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या दक्षिण जोनल कौंसिल की उटकमण्ड में जून में होने वाली मीटिंग में इस विषय पर चर्चा की गई थी और यदि हां, तो इस मीटिंग में क्या निर्णय किया गया ?

†**श्री हाथी** : इस में यह निर्णय किया गया था कि राज्यों के दो चीफ इंजीनियर और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के चैयरमेन इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे ।

†**श्री बासप्पा** : इसे दो पृथक् राज्यों पर आश्रित करने के स्थान पर कि वे अलग-अलग अपनी परियोजना बनायें, क्या केन्द्रीय सरकार एक व्यापक योजना नहीं बनाती है ताकि उसकी लागत भी कम हो सके ?

†**श्री हाथी** : जब दो राज्यों में जल वितरित करने का प्रश्न है तो संसद् द्वारा पारित विधि के अधीन, इसे बोर्ड को निर्दिष्ट करना है; यह बोर्ड विधी कै अन्तर्गत स्थापित किया जायेगा । दोनों राज्य अभी भी यह विचार कर रहे हैं कि यह विषय किसी मध्यस्थ अथवा न्यायनिर्णयन के लिये निर्देश कर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या यह सच नहीं है कि दोनों राज्य सरकारों के बीच उसे शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये नये सिरे से कोशिश की जा रही है ?

†**श्री हाथी** : दोनों इंजीनीयरों की बैठक हुई थी और हमारी जानकारी के अनुसार दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्रालयों की बैठक में भी इस की चर्चा हो चुकी है किन्तु अभी सरकारी रूप से यह नहीं मालूम हुआ है कि दोनों में इस विषय पर समझौता हो गया है ।

†**श्री थानू पिल्ले** : यदि माननीय मंत्री के अनुसार इस प्रश्न को हल करने में कोई कठिनाई है तो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों का प्रवाह पूर्व की ओर करने की योजना के लिये इस में ७० लाख रुपये सम्मिलित करने का क्या अभिप्राय है ?

†**श्री हाथी** : ज्योंही यह प्रश्न हल हो जायेगा, यह योजना आरम्भ हो सकती है ।

†**श्री पी० रा० रामकृष्णन्** : जल उपयोग करने के बारे में विभिन्न राज्यों में विवाद होने की संभावना के तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार दामोदर घाटी निगम की भांति समूचे दक्षिण जोन के लिये पानी और बिजली सम्बन्धी संयुक्त संसाधनों के लिये एक योजना बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री हाथी** : यदि कभी बोर्ड स्थापित कर दिया गया तो स्वाभाविक है कि वह इस प्रश्न पर विचार करेगा । बोर्ड का यह एक कार्य है ।

†**श्री आचार** : यह प्रश्न कब से निलम्बित है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप जल अरब सागर में जाकर मिल रहा है ।

†**श्री हाथी** : मेरा विचार है कि १९५६ से यह मंत्रालय इसको जानता है ।

जहाज से उतारा गया किन्तु गुमशुदा माल[1]

†*१४८३. **श्री आसर** : क्या परिवहन, तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन में १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक "जहाज से उतारा गया किन्तु गुमशुदा" माल की कुल कितनी मात्रा बताई जाती है ; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) ७००६ पैकेज ।

(ख) किसी भी सामान को "जहाज से उतारा गया किन्तु गुमशुदा" घोषित करने के मुख्य कारण निम्नलिखित दोनों अथवा एक हैं :—

(१) छोटी मोटी चोरियां ।

(२) माल उतारने पर उसकी गणना करते समय टैली क्लर्क की भूल अथवा लापरवाही से थैलों में बन्द सामान की गिनती में बहुधा गलती हो जाती है क्योंकि उनकी गणना तेजी से की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Landed but missing cargo.

२. इन कमियों को दूर करने के लिये की गई कार्यवाहियां निम्न हैं :—

(१) जब माल से भरी गाड़ियां डाक की सड़क के द्वार से गुजरती हैं तो सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारी चोरियों की कोशिश रोकने के लिये इन गाड़ियों की जांच करते हैं। इसके साथ डाक शेड के निकट मिलने वाले व्यक्तियों से भी बहुधा परिचय पत्र अथवा टोकन दिखाने की प्रार्थना की जाती है ताकि डाक में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश की रोकथाम की जा सके। चोरी की घटनाओं का पता लगाने में सहायता देने वाले कर्मचारियों को इनाम दिया जाता है। इन उपायों की उपयुक्तता का निर्धारण करने की दृष्टि से पोर्ट एण्टी-पिल्फरेज कमिटी नियमित रूप से इनका पुनरीक्षण करती है।

(२) गलत गणना करने के लिये टैली क्लर्कों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(३) पत्तन में लगभग ३,००० पैकेज ऐसे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। गुमशुदा सामान के मालिकों से समय समय पर इन पैकेज का निरीक्षण करने के लिये कहा जाता है ताकि यह मालूम किया जा सके कि उस ढेर में वह सामान है अथवा नहीं।

†**श्री आसर :** इस विवरण में उल्लिखित सामान का कितना मूल्य है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं "जहाज से उतारा गया किन्तु गुमशुदा" सामान के सब मामलों की पूर्णरूपेण जांच कराऊंगा।

†**श्री आसर :** क्या यह सच है कि पत्तन न्यास विधि और नियमों की सुरक्षा के अधीन बम्बई पत्तन न्यास अपने उत्तरदायित्व से बच रहा है और इसके परिणामस्वरूप सामान और जहाजों के मालिकों को काफी हानि उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे दूर करने के लिये कोई उपाय ढूंढ़ेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** मेरा विचार है कि बम्बई पत्तन न्यास उचित अथवा अनुचित किसी भी रूप में, बम्बई पत्तन न्यास अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करता है। जहाज अथवा उसके मालिक का उत्तरदायित्व सामान उतारने के बाद समाप्त हो जाता है। यदि सामान उतारने के पश्चात् इसे गुमशुदा घोषित कर दिया जाये तो जहाज के मालिक का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

†**श्री हेडा :** क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि जहाज पर उतारा गया किन्तु गुमशुदा माल का कितना भाग ऐसा है जो प्रतिसिद्ध है और बिना समुचित आयात लाइसेंस की सहायता से मंगाया गया था ?

†**श्री राज बहादुर :** बिना पहचान के कुछ सामान का विश्लेषण इस प्रकार है ; ७७८ पैकेज, ६८७ वायर क्वायल्स, २७४ ड्रम और ७४१ कैसेज तथा कार्टल। मैं आंकड़े भी दे दूं। १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक ४१, ८५, १०१ टन शुष्क माल उतारा गया था लेकिन केसैज और ड्रम के रूप में ४,१६६ पैकेज और २,८४० पैकेट अवतरित किन्तु गुमशुदा समझा गया है।

†**श्री हेम बरुआ :** विवरण में कहा गया है कि ३,००० पैकेज अभी भी बिना पहचान पत्तन में पड़े हुए हैं। इन में से यदि किन्हीं पैकेज में प्रतिसिद्ध माल है तो उनकी कितनी संख्या है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री राज बहादुर :** मैंने अभी अभी यह विश्वलेषण बताया है इसमें किसी प्रकार का प्रतिसिद्ध माल नहीं है। फिर भी इस विषय की जांच की जा सकती है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार ने इसकी जांच की है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री तंगामणि ।

†**श्री तंगामणि :** उन ३,००० पैकेट में कितनी लागत का सामान है जिनकी अभी पहचान नहीं हुई है ? क्या उनमें से अभी किसी की पहचान हुई है ?

†**श्री राज बहादुर :** जब भी मालमालिक यह कहता है कि उनका पैकेज गुम है तो हम उसे बिना पहचान वाले माल के ढेर पर भेजते हैं क्योंकि सम्भव है मालिक और माल में सम्पर्क स्थापित हो सके और प्रायः हम सफल हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि विशेष पैकेट माल या पैकेज यहां अवतरित नहीं हुआ है और फिर भी उसे गुमशुदा घोषित कर दिया जाता है। ऐसा टैली क्लर्क की भूल के कारण हो जाता है। ७,००६ पैकेज की जो संख्या बताई गई है वह अवतरित किन्तु गुमशुदा पैकेजों की यथार्थ संख्या नहीं है।

†**श्री तंगामणि :** मैं उनका मूल्य जानना चाहता था।

†**श्री राज बहादुर :** मैं उनका मूल्य नहीं बता सकता हूं। इस प्रश्न का मैं ने पहले ही उत्तर दे दिया है।

†**श्री आसर :** क्या सरकार माल की चोरी रोकने के लिये सुरक्षा बल नियत करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** बम्बई पत्तन न्यास ने चोरी की घटनायें कम करने की दिशा में कार्यवाही की है। इसके अतिरिक्त एण्टी-पोर्ट पिल्फरेज कमिटी है और व्यवस्था की अच्छाई और बुराई का निर्णय वही करते हैं ?

राज्यों में एम० बी० बी० एस० कोर्स

†*१४८५. **श्री संगण्णा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० बी० बी० एस० कोर्स में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के रक्षित स्थानों का कोटा, नई दिल्ली, की चिकित्सा विज्ञान की अखिल भारतीय संस्था की भांति १० प्रतिशत से बढ़ कर २० प्रतिशत हो गया है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३४**]

†**श्री संगण्णा :** विवरण से प्रकट है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थानों की पूर्ति उपयुक्त उम्मीदवारों द्वारा नहीं होती है। क्या सरकार भरती सम्बन्धी नियमों में शिथिलता बरतने का विचार रखती है ताकि उनकी पूर्ति हो सके ?

†**श्री करमरकर :** किसी अंश तक नियम शिथिल किये गये हैं। शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से ही ऐसा किया गया है। उनका कहना है कि उदाहरणार्थ यदि प्रवेश के लिये किसी विशिष्ट

---

†मूल अंग्रेजी में

परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही नहीं किन्तु उसमें निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है तो उसमें उक्त उम्मीदवारों के लिये पांच प्रतिशत कमी की जा सकती है; यह इस शर्त पर किया गया है कि निम्न प्रतिशत की निर्धारित सीमा अर्हता परीक्षा पास करने के लिये आवश्यक न्यूनतम अंक से कम न हो। फिर उनका कहना है कि इन विद्यार्थियों के लिये प्रवेश लेने की उम्र तीन वर्ष बढ़ाई जा सकती है। इन रियायतों का अनुकरण किया जा रहा है।

†**श्री संगण्णा :** देश के प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आमिद जातियों से सम्बन्धित कितने डाक्टर हैं;

†**श्री करमरकर :** मुझे याद नहीं है।

†**श्री सुब्बया अम्बलम :** भरती के लिये कितने न्यूनतम अंक निर्धारित किये गये हैं ?

†**श्री करमरकर :** बाद में संशोधन की बात छोड़ कर कुछ विश्वविद्यालयों में निम्नतम अंक ५० प्रतिशत निर्धारित किये गये हैं और जिन राज्यों में इन नियमों का पालन किया जा रहा है वहां ५ प्रतिशत रियायत दी जाती है।

†**श्री पं० रं० कृष्ण :** क्या उन जातियों के लिये रिज़र्व किये गये स्थानों का पूर्ण उपयोग किया गया है ?

†**श्री करमरकर :** कुछ राज्यों ने रिपोर्ट दी है कि इनका पूर्ण लाभ नहीं उठाया गया है।

†**श्री पं० रं० कृष्ण :** क्या सरकार के पास इन व्यक्तियों की सहायता करने की कोई योजना है ताकि वे कम से कम रिज़र्व कोटे का लाभ उठा सकें ?

†**श्री करमरकर :** जी नहीं। उन्हें केवल सहूलियतें दी गई हैं और लोगों को मेडिकल कालेज में जाने के लिये विवश करने की अन्य कोई योजना नहीं है।

†**श्री अय्याकण्णु :** क्या मंत्री महोदय अनुसूचित जातियों को और सहूलियतें देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

†**श्री करमरकर :** वह विषय अन्य मंत्रालय से सम्बन्धित है और मैं उनकी नीति के अनुसार कार्य करने में प्रसन्नता अनुभव करूंगा।

†**श्री सूपकार :** क्या अंक में छूट देने के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को कुछ और भी विशेष रियायतें दी गई हैं ?

†**श्री करमरकर :** मैंने बताया था कि अंकों में ५ प्रतिशत की छूट दी गई है। इसी आशय का परामर्श दिया गया है।

†**श्री कोडियान :** क्या दिल्ली के मेडिकल कालेज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित २० प्रतिशत स्थानों की पूर्ति हो गई है ?

†**श्री करमरकर :** मेरा विचार है कि पूर्ति हो गई है किन्तु इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये कि क्या सम्पूर्ण २० प्रतिशत स्थान भर गये हैं। जहां तक मुझे स्मरण है उनकी पूर्ति हो गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड मंत्रणा समितियां

†*१४८७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खण्ड मंत्रणा समितियों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** (क) और (ख). जी हां, निम्नलिखित प्रकार से :—

(१) योजना और विकास के सम्बन्ध में उन समितियों की उपयोगिता पर बल देने के लिये यह निर्णय किया गया है कि उन्हें अब खण्ड विकास समितियों का नाम दे दिया जाये । विभिन्न क्षेत्रों में सहायता करने के लिये उप-समितियों भी स्थापित की जायेंगी ।

(२) समितियों में स्थानीय संस्थाओं, जैसे कि ग्राम पंचायतों के अधिक प्रतिनिधि होने चाहियें ।

(३) समिति के निर्णय मान्य होंगे, उन्हें केवल राज्य सरकारें ही बदल सकेंगी ।

(४) राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की गयी है कि वे शीघ्रातिशीघ्र गैर-सरकारी व्यक्तियों को चेयरमैन के रूप में नियुक्त करें।

(५) खण्ड विकास समिति की स्वीकृति के बिना एक खण्ड की राशि किसी भी दूसरे खण्ड में नहीं लगाई जा सकेगी । एक दीर्घकालीन योजना यह है कि एक निर्वाचित निकाय स्थापित किया जायेगा जो कि विकास कार्यक्रमों की योजना बना ले और उनकी कार्यान्विति के लिये जिम्मेदार होगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** स्थानीय संस्थाओं और संघटनों के प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन संस्थाओं या संघटनों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ।

†**श्री सु० कु० डे :** सब से पहले हैं ग्राम पंचायतें । यह आशा है कि ग्राम पंचायतों के सभी मुखिया खण्ड विकास समितियों के सदस्य होंगे । यदि उनकी संख्या बहुत ज्यादा हुई तो उस स्थिति में कुछ एक चुने हुये मुखियाओं को सदस्य बनाया जायेगा । फिर, एक प्रतिनिधि भारत सेवक समाज का, एक प्रतिनिधि राज्य विधान मण्डल का, एक संसद् का, एक सहकारी समितियों का और कुछ प्रतिनिधि अन्य स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के होंगे ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या उनमें खैरायती तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा ?

†**श्री सु० कु० डे :** मैं ने पहले ही बता दिया है कि उस क्षेत्र की प्रसिद्ध सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, बलवन्त राय मेहता कमेटी ने ब्लाक कमेटियों को पंचायतों और जिला स्तर के बीच में कुछ शासकीय अधिकार—स्टैचुटरी अधिकार—देने की जो सिफारिश की थी, क्या वह सदा के लिये समाप्त हो गई है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरी सरकारों ने उसका विरोध किया है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री सु० कु० डे :** शक्ति के अवक्रमण और इस कार्यक्रम के संचालन को लोकतंत्रात्मक रूप देने के लिये कोई उपाय खोजने का प्रत्येक राज्य द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ एक राज्यों ने खण्ड-स्तर पर संविहित संस्थायें स्थापित करने का निर्णय कर लिया है और कुछ राज्य जिला-स्तरों पर स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

†**श्री वेंकटा सुब्बैया :** किन किन राज्य सरकारों ने खण्ड परिषदों, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खण्डों को चलाने के लिये खण्ड मंत्रणा समितियों के स्थान पर पंचायत समितियां स्थापित करने के सम्बन्ध में बी० जी० मेहता समिति की सिफारिश को कार्यान्वित किया है।

†**श्री सु० कु० डे :** आन्ध्र प्रदेश राज्य में २० खण्ड हैं जिन्हें खण्ड पंचायत समितियों के अधीन चलाया जा रहा है। वहां का राज्य विधान मण्डल एक संविधि पर भी विचार कर रहा है। मद्रास राज्य विधान मण्डल भी उस सम्बन्ध में विचार कर रहा है। अन्य राज्य भी उस पर किसी न किसी रूप में विचार कर रहे हैं।

†**श्री वासप्पा :** क्या सरकार ने खण्ड विकास समिति के स्थान के सम्बन्ध में कोई पक्का निर्णय कर लिया है ; और यदि हां, तो क्या उन्हें देश के शहरी हेडक्वार्टरों में स्थापित किया जायगा, या कि देहाती भागों में ?

†**श्री सु० कु० डे :** खण्ड-हेडक्वार्टर ही वास्तव में खण्ड विकास समितियों के हेडक्वार्टर होंगे।

†**श्री अंसार हरवानी :** माननीय मंत्री ने बताया है कि समिति में सभी प्रसिद्ध संस्थाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। परन्तु संस्थाओं की प्रसिद्धि के सम्बन्ध में कैसे निर्णय किया जायेगा ?

†**श्री सु० कु० डे :** राज्य सरकार।

†**श्री हेडा :** क्या उस बारे में कल्याण विस्तार अग्रिम परियोजनाओं के साथ कोई समन्वित योजना तैयार की गयी है, क्योंकि कल्याण विस्तार अग्रिम परियोजनाओं से सम्बन्धित इन परियोजनाओं का एक भाग परियोजना कार्यान्वित समिति के अधीन होगा और इसका भाग केवल एक मंत्रणा समिति के अधीन होगा ? सरकार इस अनियमितता को कैसे दूर करेगी ?

†**श्री सु० कु० डे :** माननीय सदस्य सम्भवतः सामुदायिक विकास मंत्रालय और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में समन्वित कार्यक्रम की ओर संकेत कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाई है। हम स बारे में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से बातचीत कर रहे हैं ?

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय मंत्री ने यद्यपि सामुदायिक विकास कार्य के जिला स्तरों और खण्ड स्तरों पर गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किये जाने की चर्चा की है, फिर भी, वास्तव में सरकारी व्यक्तियों का उसमें मुख्य भाग होता है, और इसी लिये लोगों में उत्साह की कमी है। क्या यह सच है ?

†**श्री सु० कु० डे :** सरकारी राज और जनता के राज में बड़ा भारी अन्तर है। हमारे देश में यातायात के साधनों में अभी उन्नति नहीं हुई है। इसीलिये इन कामों में देर लग ही जाती है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री तंगामणि :** माननीय मंत्री ने यह बताया है कि इन सभी खण्ड विकास समितियों को हिदायतें भेज दी गयी हैं कि समितियों का प्रधान या चेयरमैन गर-सरकारी व्यक्ति होना चाहिये। इस सुझाव को कितने खण्डों ने स्वीकार कर लिया है और कितनों ने अस्वीकार कर दिया है ?

†**श्री सु० कु० डे :** अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश ने इस सम्बन्ध में निश्चित हिदायतें जारी कर ी हैं। शेष राज्य भी इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं।

मिरज-बार्सी रेलवे का मीटर लाइन में बदला जाना

†*१४८८. { **श्री दिगे :**
श्री भाने :
श्री द० अ० कट्टी :

क्या **रेलवे** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मिरज-बार्सी रेलवे को मीटर लाइन में बदल ने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेलवे लाइन को आमनी की ओर से ले जाने के बारे में अन्तिम रूप से फैसला कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क), माननीय सदस्य सम्भवत: बार्सी लाइट रेलवे के मिरज —कु डुवाड़ी सेक्शन की ओर संकेत कर रहे हैं। इस बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है, क्योंकि अभी सर्वेक्षण रिपो नहीं पहुंची है।

(ख) जी, नहीं। रेलवे ने सुझाव पर विचार किया है परन्तु सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही अन्तिम निर्णय किया जा सकेगा।

(ग) इस बारे में अभी इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता।

†**श्री सुगन्धि :** क्या इसकां छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलना योजना के 'कोर' में सम्मिलित है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी, नहीं। यह 'कोर' में सम्मिलित नहीं है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** इस रेलवे को छोटी लाइन से मीटर लाइन तथा बड़ी लाइन में बदलने में कितना खर्च आयेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मीटर लाइन के बारे में तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मेरे पास बड़ी लाइन के बारे में आंकड़े हैं और उस पर लगभग ९०७ लाख रुपयों का खर्च आयेगा।

†**श्री आसर :** पूना—मिरज लाइन को बड़ी लाइन में बदल दे की मंजूरी दी गयी थी। उस कार्य को कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

ठेके

†*१४९०. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन ठेकेदारों ने, जिन्हें कि वाल्टेयर में गाड़ी के डिब्बों को जोड़ कर तैयार करने का ठेका दिया गया था, अप्रैल १९५८ से हड़ताल घोषित कर रखी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका डिब्बों की तैयारी पर क्या असर पड़ा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) १३८६ डिब्बों की तैयारी की हुई है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : यह हड़ताल किस लिये घोषित की गयी थी और तैयार करने के लिये पड़े हुये डिब्बों के लिये नौवहन समवायों को विलम्ब शुल्क कौन अदा करेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां**: मजदूरों की गड़बड़ के कारण हड़ताल घोषित की गई थी । विलम्ब शुल्क के लिये कोई जुर्माना लगाने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : एक वर्ष से भी अधिक समय पहले सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया था कि इस समवाय के कार्य के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इस स्थिति को सुधारने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इस समवाय को १०,८०० डिब्बों का ठेका दिया गया था । उसने कुछ एक काम तो कर दिया है । परन्तु एक समय मजदूरों के बारे में कुछ गड़बड़ सी हो गई थी और इसलिये उन्हें बाध्य होकर काम बन्द करना पड़ा । उस के बाद स्थिति में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है । हमने उनके ठेके समाप्त कर देने के प्रश्न पर विचार किया है । यह मामला विधि मंत्रालय को सौंप दिया गया था । हम स्वयं अब इस बारे में अन्तिम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अन्य मंत्रालयों से भी परामर्श करना है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : इस फर्म को यह ठेका कब दिया गया था और अन्तिम ठेके के करार पर कब हस्ताक्षर किये गये थे ? क्या इस पर अन्तिम निर्णय करने से पहले भी इस बारे में कोई शिकायतें थीं ? इस समय कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी ?

†**श्री शाहवनाज़ खां** : वह ठेका तो जुलाई, १९५५ में दिया गया था । परन्तु उस पर हस्ताक्षर करने में कुछ समय लग गया था ।

†**श्री बोस** : मजदूरों के सम्बन्ध में क्या झगड़ा था ; क्या उन्होंने कोई शिकायत की है और क्या उन की शिकायत उचित है या कि अनुचित ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : उस पर दक्षिण पूर्व रेलवे विचार कर रही है ?

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या यह सच नहीं है कि ये ठेकेदार अप्रैल, १९५८ से पहले भी ठेके के करार की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे और इसकी ओर पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : उन्हों ने तो एक के सिवाय सभी आवश्यक शर्तों को पूरा किया था। उस में जमानत जमा कराने के सम्बन्ध में एक खण्ड था। इस फर्म ने यह अभ्यावेदन किया था कि बैंक की गारंटी देने की शर्तें बहुत सख्त हैं। यह अभ्यावेदन केवल इसी फर्म की ओर से नहीं किया गया था, बल्कि दक्षिण भारत की एक और फर्म ने भी इसी प्रकार का अभ्यावेदन किया था। इस मामले पर विचार किया गया था और यह महसूस किया गया है कि उनका अभ्यावेदन उचित है, और उस के परिणामस्वरूप मूल करार में कुछ एक संशोधन कर दिये गये थे।

यकृत्कोप (पीलिया)

†*१४९१. **श्री जाधव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूषित पानी को उबालने के बाद भी यकृत्कोप (पीलिया) महामारी के कृमि नष्ट नहीं होते ;

(ख) क्या यह सच है कि उसने कृमि रोग होने के ३० दिन बाद दिखाई देते हैं ;

(ग) दिल्ली जल संभरण के पम्पिंग स्टेशन से ऊपर जमुना में गन्दे पानी के कितने नाले मिलते हैं ; और

(घ) वे नाले पम्पिंग स्टेशन से कितनी दूरी पर यमुना में मिलते हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) कृमि अन्तर्विकासावधि १० से ४० दिन तक और प्रायः २५ दिन की होती है।

(ग) दिल्ली के लिये जल संभरण के हेतु दो पम्पिंग स्टेशन हैं। एक वजीराबाद में और दूसरा ओखले में। अब वजीराबाद से ऊपर तो कोई भी नाला यमुना में नहीं मिलता क्योंकि नजफगढ़ नाले को अब ३,००० फुट नीचे की ओर यमुना में मिला दिया गया है। परन्तु वजीराबाद और ओखला के बीच यमुना में ९ स्थानों पर गन्दे नाले यमुना में मिलते हैं।

(घ) लोकसभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३५]**

†**श्री जाधव** : पानी को कितनी डिग्री तक उबालने के बाद रोग के ये कृमि नष्ट होते हैं ?

†**श्री करमरकर** : हमारा प्रविधिक परामर्श तो यही है कि पानी को उबालने से ये कृमि मर जाते हैं।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या यह सच है कि हजारनवीस समिति की यह राय है कि लाजपत नगर और जंगपुरा के क्षेत्र को संभरित किया जाने वाला पानी पीने के योग्य नहीं है ?

†**श्री करमरकर** : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। परन्तु वह पानी तो ओखले से संभरित किया जा रहा है ?

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : जी नहीं।

†**श्री करमरकर**: तो तब तो वह पानी अच्छा है। वजीराबाद से आने वाला पानी बिल्कुल ठीक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हीराकुड बांध परियोजना

†*१४९२. **श्री सूपकार :** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हीराकुड बांध परियोजना से कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है ; और

(ख) परियोजना के सिंचाई के जल तथा उस की विद्युत का पूरा इस्तेमाल हो जाने के बाद वहां से कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) सिंचाई से अभी तक तो ज़रा भी राजस्व प्रांप्त नहीं हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार अभी तक पानी के दर तथा सुधार शुल्क के सम्बन्ध में अन्तिम फैसला नहीं कर सकी है । जहां तक बिजली से प्राप्त होने वाले राजस्व का सम्बन्ध है, कुल १,२३,००० किलोवाट स्थापित क्षमता में से ३७,५०० किलोवाट विद्युत का एक यूनिट अभी बन्द ही है और शेष ८५,५०० किलोवाट में से ३४,००० किलोवाट अर्थात् केवल ३९·८ प्रतिशत बिजली का ही इस समय उपयोग हो रहा है । इससे १९५७ में ३०·९१ लाख रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ था । परन्तु स्थिति अब निरन्तर सुधरती जा रही है, और यह बात इस तथ्य से ज्ञात होती है कि मई, १९५८ में इससे कुल ६·४२ लाख रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ था ।

(ख) आशा है कि हीराकुड बांध परियोजना (की पहली तथा दूसरी अवस्था) के पूर्ण-रूपेण विकसित हो जाने पर निम्नलिखित वार्षिक राजस्व प्राप्त होंगे :—

	सिंचाई	लाखों में (रुपये)
(१)	सम्बलपुर . . .	३४·३६
	डेल्टा . . .	१३९·०४
(२)	विद्युत	२०४·६१
	कुल . . .	३७८·०१

†**श्री सूपकार :** इस समय ३४,००० किलोवाट बिजली की जो खपत हो रही है, उस का किस किस उद्योग में उपयोग किया जा रहा है ?

†**श्री हाथी :** इस ३४,००० किलोवाट बिजली का अधिकतर उपयोग परियोजना प्राधिकारियों, सम्बलपुर क्षेत्र तथा कागज़ मिल द्वारा किया जाता है ।

†**श्री सूपकार :** यह बिजली किस दर से दी जाती है और भविष्य में किस दर से दी जायेगी ? क्या प्रत्येक उद्योग के लिये अलग-अलग दर होंगी ?

†**श्री हाथी :** कुछ समय पूर्व मैं ने सभा को सूचित किया था कि हीराकुड परियोजना से बिजली संभरण के लिये क्या दर हैं । ये प्रत्येक उद्योग में विभिन्न कार्यों के लिये इस्तेमाल की जाने वाली बिजली के लिये अलग अलग हैं ।

†**श्री सूपकार :** मैं तो केवल बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं ।

†**श्री हाथी :** बड़े उद्योगों के लिये १२५ किलोवाट तथा उस से अधिक बिजली के संभरण के लिये दर ५·५० रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमास होगी परन्तु राज्य सरकारें विभिन्न उद्योगों के लिये विभिन्न दर भी निश्चित कर सकती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूपकार** : यह कब तक पूरा हो जायेगा और उस के पानी का इस क्षेत्र के लिये कब तक इस्तेमाल प्रारम्भ हो जायेगा ?

†**श्री हाथी** : मेरा अनुमान है कि डेल्टा के क्षेत्र में १९६१-६२ तक सिंचाई प्रारम्भ हो जायेगी।

†**श्री पाणिग्रही** : विवरण से यह प्रतीत होता है कि हीराकुड की नहरों से सिंचाई के लिये संभरित किये गये जल के लिये शुल्क नहीं लिया गया है। क्या किसानों को यह पानी मुफ्त ही दिया जा रहा है ?

†**श्री हाथी** : जल-शुल्क के दर अभी तक निश्चित नहीं हुए हैं ; इसीलिये उड़ीसा की सरकार कोई शुल्क न ले सकी।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या हीराकुड के पानी के सम्बन्ध में अभी तक कोई राशि एकत्रित की गई है ?

†**श्री हाथी** : हमें यही जानकारी मिली है कि अभी तक ज़रा भी राशि इकट्ठी नहीं की गई है।

†**श्री सूपकार** : जहां तक ९०,००० किलोवाट की क्षमता का सम्बन्ध है, जिस का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा, क्या रूरकेला इस्पात कारखाने के तैयार होने से पहले बिजली की खपत बढ़ाने की कोई संभावना है ?

†**श्री हाथी** : बिजली की खपत के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि इस वर्ष के अन्त में रूरकेला के लिये ६०,००० किलोवाट की और अल्यूमिनियम फैक्टरी के लिये लगभग २५,००० किलोवाट की आवश्यकता होगी अर्थात् ८५,००० किलोवाट की कुल खपत होगी। इस समय केवल ३४,००० किलोवाट बिजली की ही खपत हो रही है। इस में यदि ८५,००० किलोवाट की मांग और जोड़ दें, तो हीराकुड से पैदा की जाने वाली सारी बिजली की खपत हो जायेगी। फिर किसी और को बिजली देना सम्भव नहीं होगा।

†**श्री पाणिग्रही** : तो फिर रेलवे बोर्ड ने हीराकुड से दक्षिण पूर्व रेलवे के लिये बिजली लेने का कैसा निर्णय किया है ?

†**श्री हाथी** : उस के लिये हम ने २५,००० किलोवाट बिजली देने का वचन दिया है और वह चिपलिमा बिजली घर से दी जा सकेगी। बिजली की कमी को पूरा करने के लिये १,२५,००० किलोवाट बिजली की क्षमता का एक और संयंत्र भी लगाया जा रहा है।

मुस्लिम वक़्फ़ अधिनियम, १९५४

†*१४९३. **श्री मुहम्मद ताहिर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य में मुस्लिम वक़्फ़ अधिनियम, १९५४ को लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त अधिनियम के लागू न होने पर वक़्फ़ सम्पत्तियों का ठीक प्रकार से प्रबन्ध नहीं हो रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि इस अधिनियम को पंजाब में लागू किया जाये ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उसे लागू करना चाहती है, और यदि हों तो कब; और

(ङ) कितने राज्यों में अभी तक वह अधिनियम लागू किया जा चुका है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ङ) : लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ३६**]

गुड़गांव में नहर

*१४९४. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से सुरंग निकाल कर गुड़गांव में नहर निकालने की जो पंजाब सरकार की योजना है उस के लिये केन्द्र ने कितना अनुदान दिया है ;

(ख) इस नहर का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ग) कितना भू-भाग इस से लाभ उठा सकेगा ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) गुड़गांव नहर सुरंग योजना के लिये भारत सरकार ने अब तक कोई राशि नहीं दी है ।

(ख) योजना पंजाब सरकार द्वारा तैयार की जा रही है ।

(ग) प्रस्तावित योजना से ५,९०,००० एकड़ क्षेत्र को लाभ होने की आशा है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस योजना का श्रीगणेश कब हुआ था, और अब तक इस योजना को कार्यान्वित करने में इतनी अधिक देर क्यों हो रही है ?

†**श्री दासप्पा** : यदि उत्तर को अंग्रेज़ी में भी पढ़ दिया जाये तो मैं आप का बड़ा कृतज्ञ हूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिये ।

†**श्री हाथी** : जहां तक अनुपूरक प्रश्न का सम्बन्ध है इस कार्य को पंजाब सरकार ने प्रारम्भ करना है, केन्द्रीय सरकार ने नहीं । इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उस की जांच की है । इसलिये यह बताना कठिन है कि इस योजना को वास्तव में कब प्रारम्भ किया जायेगा ।

अब मैं मूल प्रश्न के उत्तर को अंग्रेज़ी में भी पढ़ कर सुनाता हूं ।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेज़ी में भी पढ़ा गया]

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि गुड़गांव पंजाब का वह जिला है जो सब से पिछड़ा हुआ कहा जाता है, और वास्तविकता भी यही है, इसलिये उस जिले की स्कीमों में इतनी देर करने से क्या पूरे जिले के भू-भाग को हानि नहीं होगी ? यदि हां, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को पूरा करने के बारे में पंजाब गवर्नमेंट को इस प्रकार का संकेत क्यों नहीं देती ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हाथी** : केन्द्रीय सरकार किसी भी योजना को प्रारम्भ नहीं किया करती । वह तो विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर केवल विचार करती है । सरकार जब यह समझती है कि कोई योजना प्रविधिक दृष्टि से ठीक है तो प्रविधिक समिति से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उसे पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जाता है । परन्तु इस को प्रारम्भ करना तो सम्बन्धित राज्य सरकार का काम है । जहां तक इस का सम्बन्ध है, उसे योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था, क्योंकि, वह पूरी नहीं थी । राज्य सरकार ने नहर के बारे में योजना तो भेजी है, परन्तु उस में कई बातें ऐसी हैं जिन के बारे में अभी निर्णय करना बाकी है ।

श्री सिंहासन सिंह : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । इस भवन का कंवेंशन यह रहा है कि हिन्दी का सवाल हो तो जवाब भी हिंन्दी में दिया जाता है, लेकिन यहां पर अंग्रेजी में जवाब दिया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पूरी तरह ऐसा नहीं हो सकता ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार को कोई सहायता दी गई है ?

†**श्री हाथी** : सहायता देने का प्रश्न तो इसे योजना में सम्मिलित कर लेने और कार्य को प्रारम्भ कर देने के बाद उत्पन्न होगा ।

†**श्री कमल सिंह** : पंजाब सरकार इस योजना पर कितने रुपये खर्च करने का विचार रखती है ?

†**श्री हाथी** : रुपया खर्च करने का अभी तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता; इसे जब तक योजना में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता, इस का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । योजना आयोग की प्रविधिक समिति ने अभी इस पर विचार नहीं किया है ।

†**श्री कमल सिंह** : इस पर कुल लगभग कितना खर्च आयेगा ?

†**श्री हाथी** : लगभग पांच करोड़ पये ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : विभिन्न मंत्रियों द्वारा सभा में दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि इस समस्या पर वर्ष प्रति वर्ष चर्चा होती रही है, क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से इस बारे में कुछ करने के लिये कहा है ?

†**श्री हाथी** : पंजाब सरकार ने एक योजना तैयार की है ; उस से फिर से योजना तैयार करने के लिये कहने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री जाधव** : क्या इस के तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने की कोई संभावना है ?

†**श्री हाथी** : मैं कह नहीं सकता । संभवतः सम्मिलित कर ली जाये ।

तिनेवेलि-कुमारी अन्तरीप रेल सम्पर्क

†*१४९५. **श्री थानुलिंगम नादर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में तिनेवेलि-कुमारी अन्तरीप रेल लाइन का सर्वेक्षण किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कब और उस का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १९५५ में एक यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गई थी ।

(ख) सर्वेक्षण प्रतिवेदन का संकलन किया जा रहा है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री थानुलिंगम नादर : क्या सरकार यथा शीघ्र एक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कराने का विचार करती है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : अभी जैसा कि मैं बता चका हूं, यातायात सर्वेक्षण का संकलन किया जा रहा है । वह तिनेवेली को त्रिवेन्द्रम से एक शाखा लाइन के द्वारा नगरकोइल से कुमारी अन्तरीप तक मिलाने वाली लाइन के बारे में हैं । तत्पश्चात् यह आवश्यक समझा गया कि निम्न छः वैकल्पिक लाइनों के यातायात संबंधी तथा वित्तीय समस्याओं की अलग-अलग जांच की जानी चाहिये । त्रिवेन्द्रम–नगर कोइल; त्रिवेद्रम-नगरकोइल कुमारी अन्तरीप; तिन्नेवेलि-नगरकोइल; तिन्नेवेलि-नगरकोइल कुमारी अन्तरीप; तिन्नेवेलि-नगरकोइल त्रिवेन्द्रम त्रिवेन्द्रम-नगर-कोइल–तिन्नेवेली ।

†श्री तिरुमल राव : क्या मैं माननीय मंत्री से मानचित्र के द्वारा बताने के लिये कह सकता हूं . . . (अन्तर्बाधा)

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मेरे सम्मुख मानचित्र है, माननीय सदस्य यदि चाहें तो देख सकते हैं ।

†श्री थानुलिंगम नादर : इनमें से किसी भी एक लाइन के बारे में सरकार कब निर्णय करेगी ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : प्रतिवेदनों के प्राप्त होने और उन पर भली भांति विचार किये जाने के पश्चात् निर्णय किया जायेगा ।

†श्री रामनाथन चेट्टियार : योजना में कुल कितनी लागत लगेगी और क्या इस योजना को द्वितीय योजना में सम्मिलित करने की कोई सम्भावना है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : लागत के निर्धारण के संबंध में अभी प्रतिवेदन तक नहीं प्राप्त हुआ है । द्वितीय योजना में सम्मिलित करने का जहां तक संबंध है ; उसकी भी कोई आशा नहीं है ।

†श्री थानूपिल्लै : यातायात सर्वेक्षण समिति ने प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था और उस पर अन्तिम रूप से विचार करने में कितना समय लगेगा ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यातायात सर्वेक्षण किया जा चुका है किन्तु सर्वेक्षण प्रतिवेदन का अभी संकलन किया जा रहा है ?

†श्री तंगामणि : मद्रास राज्य में पूरे जिले में रेल नहीं है इसको ध्यान में रखते हुये क्या तिन्नेवेली जिले को कन्याकुमारी जिले से मिलाने के प्रश्न पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जैसाकि मैं कह चुका हूं हमारी भी मनुष्य, धन तथा सामान संबंधी कुछ सीमायें हैं ।

†**श्री थानू पिल्ले** : सामान्यत : जो योजनाएं प्रथम पंच वर्षीय योजना में शामिल की गई थीं उनको द्वितीय योजना में कम से कम अवश्य समाप्त किया जायेगा । तिन्नेवेली-कुमारी अन्तरीप के मामले में, सब से पहला प्रस्ताव १९१४ में किया गया था जिस पर इस सरकार ने १९५४ में विचार किया था । प्रतिवेदन अभी १९५८ तक में तैयार नहीं हुआ है । यह रेलवे फिर भला कब तक बनकर तैयार होगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यथा समय में ।

रेल गाड़ी में डाका

†*१४९६. **श्री तंगामणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० अगस्त, १९५८ की रात को उत्तर रेलवे की कानपुर-इटावा शटल गाड़ी में भरथना रेलवे स्टेशन के निकट यात्रा करते समय कुछ यात्री लूट लिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य की चीजें लूटी गईं ;

(ग) अपराधियों को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यात्रा के लिये इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां । १६-८-५८ को २१.३० पर समहो और भरथना रेलवे स्टेशनों के बीच तीसरे डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्री लूट लिये गये थे ।

(ख) १३७ रुपये १० आने की चीजें और नकद कुल मिला कर लूटा गया जिसमें से बाद को १०२ रुपये ४ आने वसूल कर लिये गये हैं ।

(ग) जिन सात व्यक्तियों पर सन्देह किया गया था उनमें से अब तक ५ गिरफ्तार कर लिये गये हैं ।

(घ) इस क्षेत्र में डकैती की यह एकमात्र घटना घटी है । यात्रियों की सुरक्षा के लिये पुलिस के दस्ते नियुक्त किये गये हैं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच है कि यह डकैती सात सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा डाली गई थी, यदि हां तो क्या हमले से कुछ लोगों के चोटें भी लगी थीं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : डकैती इस गिरोह द्वारा डाली गई थी । अब मुझे जो सूचना उपलब्ध है उससे पता लगता है कि डकैतों के पास एक देसी रिवालवर, कुछ चाकू और लाठियां थीं। किसी भी यात्री के चोट नहीं लगी ।

†**श्री तंगामणि** : यद्यपि डकैती की यही एक घटना घटी है, फिर भी सरकार इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये इस क्षेत्र के लोगों को सजग करने के प्रश्न पर विचार नहीं करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज खां : मैं नहीं जानता कि इससे अधिक और क्या आशा की जा सकती है। इनमें से चार तो घटना स्थल पर रेलवे संरक्षण दल के द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये थे।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

†श्री तंगामणि : क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : मैं दो प्रश्नों के लिये पहले भी अनुमति दे चुका हूं। इस प्रकार कितने और प्रश्नों के लिये अनुमति देता रहूंगा ?

†श्री तंगामणि : मैं एक तथ्य संबंधी प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को दो तीन अनुपूरक पूछ कर सारे प्रश्न समाप्त कर देने चाहिये।

†श्री तंगामणि : डकैती स्टेशन पर डाली गई थी अथवा चलती गाड़ी में और अपराधी पकड़े कहां पर गये थे ?

†श्री शाहनवाज खां : एक डिब्बे में केवल चार यात्री थे। अगले स्टेशन पर इस डिब्बे में गिरोह घुस गया और दोनों स्टेशनों के बीच जबकि गाड़ी चल रही थी, उन्होंने डकैती डाली। अगले स्टेशन भरथना पर वे उतर गये। लूटे गये लोगों ने शोर मचाया और रेलवे संरक्षण बल ने आकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया।

दिल्ली में भूमिगत नालियां

*१४९८. {श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली गेट से मथुरा रोड़ तक ट्रंक सीवर (बड़ी भूमिगत नाली) बनाने की योजना पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ; और

(ख) यह कार्य कब आरम्भ होकर कब तक समाप्त होने की आशा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अन्दाजन ६४·८ लाख रुपये।

(ख) सितम्बर, १९५८ के अन्त तक कार्य के चालू हो जाने की आशा है। ठेके की अवधि १५ कार्य महीनों तक की है।

†श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो दिल्ली दर्वाजे से मथुरा रोड तक सीवेज लगाया जा रहा है क्या उसके सिवाय दिल्ली में और भी कहीं बड़े सीवर्स लगाने की कोई योजना है, क्या उस पर प्रकाश डाला जा सकेगा।

†श्री करमरकर : दिल्ली मे नालियों के सुधार की अन्य योजनाएं जो या तो पूरी हो चुकी हैं अथवा चल रही हैं, निम्न प्रकार हैं (१) उत्तर दिल्ली में मल एकत्रित होने के स्थान पर मल-शोधन संस्कार और (२) पश्चिम दिल्ली में मल एकत्रित होने के स्थान पर मल-शोधन संस्कार करना।

!मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : अभी पिछले दिनों दिल्ली जो एक प्रकार से जलमग्न हो गयी थी, उसका एक मुख्य कारण यह बतलाया जाता है कि यहां का सीवेज सिस्टम असफल हो गया था और खत्म हो गया था, मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में क्या कोई खास कार्यवाही की जा रही है और क्या उसके बारे में कोई शीघ्रता की जायेगी ।

†**श्री करमरकर** : मेरे मित्र नाली व्यवस्था और मल व्यवस्था के समझने में गलती कर रहे हैं । वर्षा के पानी को निकालने के लिये नाली की व्यवस्था और चीज है । वह इसी के बारे में पूछ रहे हैं जब कि मैं उन्हें मल व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का संभरण

†*१५०१. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब से उसे खाद्य का संभरण करने तथा खण्डवार के प्रतिबन्धों को वापस लेने के लिये निवेदन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब से उत्तर को गेहूं के लाने ले जाने पर खण्डवार प्रतिबन्ध समाप्त करने के लिये निवेदन किया गया था किन्तु वह स्वीकार नहीं किया जा सका ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : सितम्बर से अक्तूबर में उत्तर प्रदेश को कितने खाद्यान्न का संभरण किया गया और क्या इस मात्रा से उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मैं सदन में ये आंकड़े कई बार बता चुका हूं । सितम्बर मास में हम ८५,००० टन खाद्यान्नों का संभरण कर रहे हैं, और अक्तूबर मास की मात्रा हमने अभी निर्धारित नहीं की है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को यह निदेश जारी किये हैं कि वह अत्यावश्यक पदार्थ अधिनियम के उपबन्धों का कठोरतापूर्वक पालन करे ; और यदि हां तो क्या राज्य सरकार ने ऐसा किया है और उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : उत्तर प्रदेश ने कुछ शक्तियों के लिये कहा है । यह हमारे निदेश देने का सवाल नहीं है । वे शक्तियां दे दी गई हैं और कुछ कार्यवाही की गई हैं । समाचार पत्रों में दिन प्रति दिन समाचार आते रहते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस मामले पर सरकार से उस समय चर्चा की गई थी जब कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री गत सप्ताह यहां थे ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : कौन सा मामला ?

†**श्री तंगामणि** : अन्न पर से खण्ड के प्रतिबन्ध को हटाने का मामला ।

---

†भूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन :** इस मामले पर इस कारण चर्चा नहीं की गई कि यह मसला पहले ही तय किया जा चुका था ।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या सरकार उत्तर प्रदेश के लिये कम से कम गेहूं का बीज जारी करने की सम्भावनाओं पर विचार करेगी क्यों कि बीज तक के लिये गेहूं वहा उपलब्ध नहीं है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** ऐसा करने के लिये हम पहले से ही सहमत हो गये हैं और उत्तर प्रदेश कार्यालय पंजाब सरकार से हूं का बीज मंगाने के लिये सम्पर्क स्थापित कर रही हैं ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब से उत्तर प्रदेश को कितना गेहूं भेजा जा रहा है ?

श्री अ० प्र० जैन : अब उसकी ठीक तादाद तो मैं नहीं बतला सकता लेकिन मेरे ख्याल में वह काफ़ी है ।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ग़ल्ला केन्द्र से उत्तर प्रदेश को भेजा जा रहा है उसका कूछ हिस्सा देहातों में भी बांटने के लिए रक्खा है और क्या उन्हें यह पता है कि उत्तर प्रदेश के देहातों में अभी भी गल्ला प्राप्य नहीं है और जो प्राप्य है भी वह बहुत तेज़ भाव पर है ?

श्री अ० प्र० जैन : जो अनाज उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है उसमें से काफ़ी तादाद देहातों में बांटी जा रही है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के भाव कम हो गये हैं, यदि हां, तो कहां तक ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** सामान्यत : उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के भाव कम हो गये हैं । गेहूं का भाव मोटे तौर से २ रुपये और चावल का भाव कुछ स्थानों में ६ रुपये से लेकर ८ रुपये तथा कुछ अन्य स्थानों में ४ रुपये तथा कुछ स्थानों में इससे भी कम हो गया है । मोटे अनाजों के भाव भी गिर गये हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो केन्द्र से उत्तर प्रदेश को अनाज भेजा जा रहा है, उसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन को इस प्रकार की हिदायतें दी गई हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को उसमें प्राथमिकता दी जाय ?

श्री अ० प्र० जैन : जी हां, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भी वहां से दिया जा रहा है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास इस क़िस्म की कोई रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जो सस्ते ग़ल्ले की दुकानें खोली गई हैं उनमें बाढ़ पीढ़ित क्षेत्रों के वास्ते ध्यान रक्खा गया है ?

श्री अ० प्र० जैन : ऐसी बात है ।

श्री सिंहासन सिंह : बाढ़ पीढ़ित क्षेत्रों में सस्ते ग़ल्ले की दुकानों पर जो ग़ल्ले की मिक़दार थी, क्या उसको बढ़ा दिया गया है और अगर बढ़ा दिया गया है तो कितना बढ़ाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० प्र० जैन : बाढ़ तो अभी आई थी और अभी ही दुकानें खुली हैं इसलिए उनमें घटाने बढ़ाने का मेरे अंदाज से तो कोई सवाल नहीं है और दूसरे यह ऐसी तफ़सील की बातें हैं जिनको कि उत्तरप्रदेश गवर्नमेंट खुद करती है ।

राजस्थान से खाद्यान्नों का निर्यात

†*१५०३ { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री ओंकार लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में राजस्थान से कितना खाद्यान्न बाहर भेजा गया है ;

(ख) खाद्य स्थिति का सामना करने के लिये कितना खाद्यान्न राजस्थान को भेजा गया है ;

(ग) इस खण्ड में बम्बई नगर क्यों मिला लिया गया है ; और

(घ) बम्बई नगर में कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है और राजस्थान से कितना खाद्यान्न वहां भेजा गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) राजस्थान नगर से व्यापार के रूप में विभिन्न प्रकार का कितना खाद्यान्न भेजा गया उसके आकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) ६ सितम्बर, १९५८ तक केन्द्रीय स्टाक में से १४,२०० टन आयात किये गये गेहूं का संभरण किया गया है ।

(ग) और (घ). यद्यपि बम्बई नगर प्रारम्भ में पश्चिम गेहूं खण्ड से अलग कर दिया गया था, किन्तु वस्तुतः वह इसी खण्ड में आता है । बम्बई नगर को शेष खण्ड से लाने ले जाने का प्रतिबन्ध इस कारण हटा दिया गया था कि जिससे बम्बई नगर के लोग अपनी पसन्द का देसी गेहूं, खण्ड के अन्य लोगों की भांति, खरीद सकें । इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कि देशी गेहूं बहुत अधिक मात्रा में बम्बई नगर में नहीं लाया जाता, सरकारी स्टाक में से गेहूं का वितरण पहले वाले हिसाब से किया जाने लगा था और नगर की आटा की चक्कियों को आन्तरिक बाजार से गेहूं खरीदने के लिये मना कर दिया गया था । बम्बई नगर में प्रति मास सरकारी स्टाक में से लगभग २५,००० टन गेहूं का संभरण किया जाता है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार १५-४-५८ से ७-८-५८ तक राजस्थान से बम्बई नगर को रेल के द्वारा कुल १८,००० टन गेहूं ले जाया गया था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच नहीं कि बम्बई नगर को सम्मिलित कर लेने से इस खण्ड का सन्तुलन गड़बड़ हो गया है और राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस मामले में अभ्यावेदन कर के बम्बई को अलग करने के लिये कहा है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** मैं नहीं समझता कि इस से खण्ड के सन्तुलन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ा है । राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अगस्त में इस की ओर हमारा ध्यान दिलाया और वह चाहते थे कि बम्बई इस में से अलग कर दिया जाये किन्तु हम ने महसूस किया कि बम्बई को इस समय अलग कर देने से उस नगर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : बम्बई को मिला लेने से जो कठिनाई उत्पन्न हो गई है उसे हल करने के लिये राजस्थान को क्या सहायता दी जा रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हम राजस्थान को समुद्र पार के देशों का गेहूं दे रहे हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : दोनों उपबन्धों का समायोजन किस प्रकार होता है ? हम यहां का गेहूं और जगह भेजते हैं और कहीं और जगह से मंगा कर वहां भेजते हैं। क्या ऐसा करने से यातायात में व्यर्थ ही व्यय होता है और कठिनाई उठानी पड़ती है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : इस से कठिनाइयां नहीं उत्पन्न होतीं क्योंकि कुछ व्यापार का नमूना तैयार कर लिया गया है और इस प्रक्रम पर इस में गड़बड़ी करना बुद्धिमानी नहीं होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नौवहन समवाय को सामान देर से छुड़ाने के लिये किया गया भुगतान

†*१४८२. **श्री त्यागी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी नौवहन समवायों को १९५६-५७ में विभिन्न मंत्रालयों एवं अन्य निर्यातकों द्वारा देर से माल छुड़ाने के लिये कुल कितना धन विलम्ब-शुल्क के रूप में दिया गया ; और

(ख) इस में से विदेशी मुद्रा की राशि कितनी थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ३७]** अन्य निर्यातकों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) देर से माल छुड़ाने के लिये जो भुगतान किया गया उस में काफी भुगतान रुपयों में किया गया था किन्तु चूंकि विदेशी नौवहन कम्पनियाँ यदि चाहें तो वे अपनी आय को अपने देश की मुद्रा में बदल सकती हैं, इस कारण नौवहन कम्पनियों ने उस राशि को छोड़ कर जो उन्हें भारत में यहां के पतनों में विलम्ब के कारण, जिस से यह आय हुई, व्यय करनी पड़ती, शेष को विदेशी मुद्रा व्यय समझना चाहिये।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मुख्यालय का स्थानान्तरण

†*१४८४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मुख्यालय का नई दिल्ली से बम्बई को स्थानान्तरण करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख) सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्राक्कलन समिति ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के तेंतालीसवें प्रतिवेदन के पैरा १९ और २० में इस विषय में ये सिफारिशें की हैं :—

(१) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का मुख्यालय दिल्ली में रहना चाहिये इस प्रश्न की जांच नये सिरे से सरकार और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) निगम के मुख्यालाय के लिये नई दिल्ली में इमारत बनवाई जाने की परियोजना पर कोई और आगे वादा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का मुख्यालय कहां स्थित हो इस की जांच नहीं कर ली जाती है :

पश्चिमी बंगाल के अस्पतालों में अतिरिक्त रोगियों के रखे जाने की व्यवस्था

†*१४८६. **श्री साधन गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में राज्य के अस्पतालों में ९,००० अतिरिक्त रोगियों के रखे जाने की व्यवस्था की जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) योजना में १९६०-६१ के अन्त तक ९,००० अतिरिक्त रोगियों के रखे जाने की व्यवस्था की जाने की चर्चा है । इस संख्या में से ४,००० पलंगों की व्यवस्था राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहले से ही सम्मिलित कर ली गई है ; १,००० पलंगों की व्यवस्था राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत की जायेगी और शेष ४,००० पलंगों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार की सहायता से किया जायेगा । राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितने पलंगों की व्यवस्था है उस के अतिरिक्त जो ५,००० पलंगों की व्यवस्था की जायेगी उन पर प्राक्कलित व्यय ५.९२ करोड़ रुपया होगा केन्द्रीय सरकार से ४.४ करोड़ रुपये की सहायता मांगी गई थी ।

(ग) पश्चिमी बंगाल की सरकार को सूचित किया गया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी कोई योजना नहीं थी जिस के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाय, इस कारण उन्होंने योजनाओं की जो सूची प्रस्तुत की थी उस में भारत सरकार द्वारा वार्षिक ऋण रूपी अनुदान की योजना शामिल करने की राय दी गई थी और यह बताया गया था कि १९५९-६० के लिये राज्य की विकास योजनायें जिस समय बनाई जायें उस समय योजना आयोग के सम्मुख वह इस मामले को पेश करें ।

अरियालूर रेल दुर्घटना

†*१४८९. **श्री नरसिंहन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के अरियालूर और कल्लागाम स्टेशनों के बीच ९ अगस्त, १९५८ को मालगाड़ी की जो दुर्घटना हुई, उस की विभागाध्यक्षों द्वारा की गई जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ; और

(ग) यात्रियों तथा ले जाये गये सामान के लिये कोई नया भय न उत्पन्न हो जाये इसे बचाने के लिये रेल के प्वाइंटों तथा संबंधित पुल की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर महा प्रबन्धक के कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है ।

(ग) यह दुर्घटना **प्रथम दृष्ट्या** पुल अथवा उस से मिलने वाले मार्ग में किसी खराबी के कारण नहीं हुई थी ।

खोसला समिति

†*१४९७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल के पुलों की दशा की जांच करने और उन के सुधार के लिये उपाय बताने के लिये नियुक्त की गई खोसला समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने उन की जांच कर ली है ;

(घ) कार्यवाही कब तक की जाने वाली है ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(ङ) यह एक विशेषज्ञ समिति है जिस से उस का गम्भीर और विशद अध्ययन कर विभिन्न सूत्रों से तमाम आंकड़े एकत्र करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है । इस कारण निष्कर्ष पर पहुंचने में विशेष कर इसलिये कुछ समय लगेगा कि जो स्तर निर्धारित किये जाने हैं उन का पुलों के डिजाइन और भविष्य में उन की सुरक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्यों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ।

दुग्ध उत्पादन

†*१४९९. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इन लक्ष्यों की कहां तक प्राप्ति हो सकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली परिवहन उपक्रम[1] के लिये ऋण

†*१५००{**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** :
श्री वाजपेयी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम की कार्यपद्धति में सुधार करने के लिये चालू वर्ष में उसे कुछ अतिरिक्त ऋण देने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Delhi Transport Undertaking.

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

भूतपूर्व दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारमंडल के १९५८-५९ के आयव्ययक में अतिरिक्त बसें खरीदने के लिये भारत सरकार से २५ लाख रुपये ऋण के लिये उपबन्ध किया गया था । यह ऋण वास्तविक आवश्यकता पड़ने पर लिया जा सकता है और इस प्रकार का निवेदन प्राधिकार द्वारा किया गया था और उस के स्थान पर अब दिल्ली परिवहन उपक्रम दिल्ली निगम के द्वारा ऋण ले सकेगी । इस व्यवस्था के अनुसार उपक्रम के महानिदेशक द्वारा इस ऋण की स्वीकृति की मांग की गई है जो विचाराधीन है । दिल्ली परिवहन उपक्रम का विचार इस ऋण से ४७ नई बसें खरीदने का है ।

त्रिपुरा

†*१५०२. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में खाद्यान्न की वर्तमान कमी के क्या कारण हैं ; और

(ख) प्रशासन द्वारा और अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) त्रिपुरा में खाद्यान्नों की कमी पूर्वी पाकिस्तान से काफी संख्या में शरणार्थियों के आने के कारण तथा जिरातियां किसानों द्वारा पाकिस्तान को चावल ले जाना है ।

(ख) त्रिपुरा में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि छोटी सिंचाई की योजनाओं को कार्यान्वित कर के, राज सहायता प्राप्त दरों पर रसायनिक उर्वरकों का वितरण कर के, स्थानीय खाद सम्बन्धी संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर के, अच्छी किस्म के धान के बीजों का वितरण कर के और खेतों के सुधरे हुए तरीकों को लागू कर के की जा रही है ।

दुर्गापुर और उड़िया स्टेशनों का नये नमूने का बनवाया जाना

†*१५०४. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुर्गापुर के एक बड़े औद्योगिक केन्द्र बन जाने के कारण बढ़ते हुए महत्व को दृष्टि में रखते हुए दुर्गापुर और उड़िया के स्टेशन नये नमूने का बनाने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस का प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो नये नमूने का स्टेशन न बनवाने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य दुर्गापुर और उड़िया स्टेशनों का उल्लेख कर रहे हैं । यदि ऐसा है, तो दुर्गापुर स्टेशन को नये नमूने का बनवाने का विचार है किन्तु उड़िया स्टेशन के लिये नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दुर्गापुर में नये नमूने के स्टेशन की इमारत और माल रखने के शेड को बनवाने के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

(ग) उड़िया स्टेशन के दुर्गापुर से बहुत निकट होने के कारण और दुर्गापुर स्टेशन को नये नमूने का बनवाये जाने के कारण उस के नये ढंग का बनवाया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

भारत-पाकिस्तान सीमा का बन्द किया जाना

†*१५०५. **श्री वाजपेयी :**
श्री दशरथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत-पाकिस्तान की सीमा बन्द कर देने के परिणामस्वरूप अगरताला में एक लाख मन से अधिक पटसन रुक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) इस वर्ष जुलाई के अन्त तक त्रिपुरा में बोया गया सारा पटसन मुख्य रूप से भारत-पाकिस्तान मार्ग से हो कर भेजी गई थी । किन्तु चूंकि पाकिस्तान रेलवे द्वारा पर्याप्त संख्या में खाली वैगनें न दिये जाने के कारण विमान द्वारा भारत-व्यापी मार्ग से थोड़ी मात्रा में पटसन भेजा गया जिस के लिये परिवहन पर बहुत व्यय करना पड़ता है । पाकिस्तान द्वारा सीमा बन्द कर दिये जाने के पश्चात् पटसन विमान द्वारा ले जाया जाता रहा । पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे ने भारत व्यापी मार्ग से हो कर लाने के लिये सामान्य दरों में आठ आने प्रति मन की रियायत दे दी है ।

विमान दुर्घटना

†*१५०६. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री तंगामणि :
श्री वें० प० नायर :
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रात्रि की हवाई डाक ले जाने वाले 'स्काईमास्टर' जो नागपुर जा रहा था ८ सितम्बर, १९५८ को उड़ते समय मीनाम्बाक्कम के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया ;

(ख) यदि हां, तो विमान तथा यात्रियों की सम्पत्ति की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या कोई यात्री घायल भी हो गये ;

(घ) क्या यात्रियों के यातायात के लिये कोई अन्य प्रबन्ध किया गया था; और

(ङ) क्या दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का स्काईमास्टर वी टी-डी० आई० ए० जो मद्रास से नागपुर को रात्रि की हवाई डाक ले जा रहा था ८-९-५८ को मद्रास में उतर रहा था और उतरने में दुर्घटना का शिकार हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विमान अत्याधिक क्षतिग्रस्त हो गया था । यात्रियों की सम्पत्ति को कोई हानि नहीं पहुंची ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने सहायता के लिये दो डेकोटा भेजे थे ।

(ङ) जी हां ।

दिल्ली में बस्तियां

†*१५०७. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली भू क्षेत्र की विभिन्न सहमति प्राप्त बस्तियों की इमारत के नक्शों पर स्वीकृति नहीं दी जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि इन बस्तियों के प्लाट के मालिक इसके लिये अभ्यावेदन करते आ रहे हैं कि उनके द्वारा प्रस्तुत इमारतों के नक्शे मंजूर किये जाय; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) ३६ गैर-सरकारी बस्तियां ऐसी हैं जिनका नक्शा पास किया चुका है किन्तु दिल्ली निगम ने केवल ८ ऐसी बस्तियों में मकान बनाने की स्वीकृति दी है जिनमें अत्यावश्यक सेवा का प्रबन्ध विद्यमान है ।

(ख) और (ग). निगम ने उन बस्तियों की इमारतों के नक्शे पास नहीं किये हैं जिनमें इकट्ठे जल संभरण, मल व्यवस्था, नाली व्यवस्था, और सड़कों आदि का प्रबन्ध नहीं है ।

अमरीका से खाद्य सहायता

†*१५०८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने भारत को २० करोड़ डॉलर की खाद्य सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). इस मामले पर अभी अमरीकी सरकार से वार्ता चल रही है ।

भाखरा बांध

†*१५०९ **श्री रामकृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २८ फरवरी १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखरा बांध के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक बनाये गये सब से गहरे नींव स्तर के ऊपर कांक्रीट दीवाल की कुल लम्बाई और ऊंचाई कितनी है; और

(ग) क्या वर्तमान गति से बांध निश्चित अवधि के भीतर बन जायेगा ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अगस्त १९५८ के अन्त तक भाखरा बांध में २९,३५,८९५ घन गज कांक्रीट पड़ चुकी है । कुल जितनी कांक्रीट बिछाई जानी है, यह उसका ५७.३ प्रतिशत है ।

(ख) सारे बांध की लम्बाई पर कांक्रीट बिछाई जा रही है । सब से गहरी नींव के स्तर से बांध की औसत ऊंचाई अब ३९० फुट है और सब से ऊंचा भाग ४१४ फुट है । इसकी लम्बाई आधार पर ३२५ फुट है और पूरे हो जाने पर जब बांध की ऊंचाई ७४० फुट हो जायेगी तब वह १७०० फुट हो जायेगी ।

(ग) जी, हां ।

दिल्ली के गांवों में बिजली लगाना

†*१५१०. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राधा रमण :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २० फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य क्षेत्र में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें ३१ अगस्त १९५८ तक बिजली लगा दी गई है;

(ख) १९५८ (१ सितम्बर १९५८ के बाद) में कितने गांवों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस काम में अभी तक कुल कितना खर्च किया गया है ?

†सिंचाई और विद्युत उप मंत्री (श्री हाथी) : (क) तब से कोई वृद्धि नहीं हुई है और बिजली लगाये गये गांवों की संख्या वही अर्थात् ११ ही है ।

(ख) दस ।

(ग) ५.२ लाख रुपये ।

जोधपुर के लिये वाष्प शक्ति-संयंत्र

†*१५११. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेकनिकल सहकारी मिशन के अन्तर्गत जोधपुर के लिये ३००० किलोवाट वाष्प-शक्ति पैदा करने वाले दो संयंत्र प्राप्त हो गये हैं;

(ख) जो मशीनरी आई है उसकी क्या कीमत है ;

(ग) इन संयंत्रों का रेलवे को यदि कोई विलम्ब शुल्क दिया गया है, तो वह कितना है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) जोधपुर में बिजली की अत्यन्त कमी को देखते हुए पावर हाउस को शीघ्र ही बनाने के लये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जोधपुर के पावर स्टेशन के लिये ावश्यक तीन हजार किलोवाट के दो स्टीम टर्बो-अलटरनेटर तथा उनसे सम्बन्धित सभी संयंत्र था सज्जा निर्माण स्थल पर पहुच गई है ।

(ख) आवश्यक मशीनरी की कुल कीमत ४९ लाख रुपयों के आसपास होगी ।

(ग) रेलवे अधिकारियों को विलम्ब शुल्क के ९१६·३७ रुपये चुकाये गये हैं ।

(घ) जोधपुर में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये जोधपुर पावर हाउस के विस्तार की योजना मंजूर कर ली गई है और उसके अनुसार आवश्यक बायलरों सहित ३००० किलोवाट बिजली पैदा करने वाले २ सेट लगाये जायेंगे । ज्योंही उक्त पावर स्टेशन के लिये असैनिक निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा त्योंही सेट लगाने का काम शुरू कर दिया जायेगा । इस बीच बिजली की कमी की कठिनाई को दूर करने के लिये जोधपुर पावर हाऊस में २०० किलोवाट बिजली पैदा करने वाले डीजल सेट लगाये जा रहे हैं । नये सेट शीघ्र ही लगाये जाने की आशा की जाती है ।

पाकिस्तान बहकर चले गये स्लीपर

†*१५१२. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री हेम राज :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८ की जुलाई के चौथे सप्ताह में रावी में आने वाली बाढ़ों से दस हजार से ज्यादा स्लीपर पठानकोट से पाकिस्तान को बहकर चले गये हैं;

(ख) उनकी अनुमानित कीमत क्या है; और

(ग) क्या उन्हें पाकिस्तान से वसूल कर लिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रखी जायेगी ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सैक्शन पर बिजली की रेलें चलाना

†*१५१३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री १९ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर बिजली की रेलें चलाने के सस्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री श्री सें० वें० रामस्वामी)** : असैनिक इंजीनियरिंग निर्माण कार्य करने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दंडकारण्य परियोजना के लिये रेलवे लाइन

†*१५१४ **श्री संगण्णा :**
श्री प्र० के० देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना के लिये प्रस्तावित रेलवे लाइन को मध्य प्रदेश के बस्तर जिले और उड़ीसा के कोरापत जिले के बीच से बनाने के बारे में सर्वेक्षण हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा और वास्तविक कार्य कब शुरू होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री वें० वें० रामस्वामी)** : (क) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) अभी से कुछ कहना संभव नहीं है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये अवकाश-गृह

†*१५१५. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये अवकाश-गृह खोल दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कहां खोले गये हैं; और

(ग) यदि नहीं तो उन्हें खोलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यह सुझाव रखा गया है कि डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये दक्षिण में बंगलौर में अवकाश-गृह खोला जाये और पोस्ट मास्टर-जनरल मद्रास को निदेश दिया गया है कि वे इसके लिये कुछ विभागीय जगह खाली कर दें और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो कोई उपयुक्त किराये की जगह प्राप्त करें ।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप

†१५१६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन का इंजन का कारखाना खपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता क्या है और उसकी तुलना में वास्तविक उत्पादन कितना कम है;

(घ) स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) कब तक कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) कारखाने की मौजूदा स्थापित क्षमता हर महीने १४ डब्ल्यू० जी० रेल-इंजन तैयार करने की है और इतने ही रेल-इंजन तैयार भी किये जा रहे हैं ।

(घ) और (ङ). भाग (क) और (ग) के जवाब को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

केन्द्रीय बिजली घर की शीतक मीनार (कूलिंग टावर)

†*१५१७. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के केन्द्रीय बिजली घर में शीतक मीनार (कूलिंग टावर) बनाये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां तो उसकी लागत और क्षमता क्या होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) उसकी लागत लगभग ७ लाख रुपये होगी और उसकी क्षमता प्रति मिनिट ३५ ००० गैलन पानी की होगी ।

चलटिकट–परीक्षक[1]

†१५१९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चल-टिकिट-परीक्षकों की उत्तर रेलवे में वर्तमान संख्या बिना टिकिट यात्रा रोकने के लिये पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) टिकिट जांच करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

स्वेज नहर अधिभार का भारतीय नौवहन पर प्रभाव

*१५२०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वेज नहर का उपयोग करने वालों पर ३ प्रतिशत अधिभार लगाया जायेगा जिससे नहर की सफाई का खर्च चुकाया जायेगा; और

(ख) यदि हां तो इसका भारतीय नौवहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) नहर से गुजरने वाली भारतीय नौवहन कम्पनियों को ३ प्रतिशत अधिभार देना पड़ता है और वे इस अतिरिक्त शुल्क को देने के लिये तैयार हो गई हैं । इसके लिये उन्होंने भाड़े की दरें बढ़ा कर जहाजों में माल लादने वालों से पैसा वसूल नहीं किया और न ही भारत सरकार से इसके लिये पैसा मांगा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Travelling Ticket Examiner

इन्फ्लूएंजा

†*१५२१. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पहिले भारत तथा अन्य देशों में जो इन्फ्लूएंजा फैला था क्या उसके निकट भविष्य में फिर से फैलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों द्वारा उसकी कितनी भीषणता निर्धारित की गई है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना दी है;

(घ) यदि हां, तो उनसे किस प्रकार की सूचना मिली है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस महामारी को रोकने तथा उसके इलाज के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). आशा की जाती है कि निकट भविष्य में इन्फ्लूएंजा के भीषण रूप से फैलने की कोई संभावना नहीं है ।

(ग) और (घ). विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति लोक सभा के पटल पर रखी जाती है । **(देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३८)**

(ङ) फिलहाल कोई विशेष सावधानी बर्तने की आवश्यकता नहीं है ।

बम्बई के मराठ वाड़ा क्षेत्र में केन्द्रीय गोदाम

†२५००. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों की कमी को दूर करने के लिये बम्बई के मराठवाड़ा क्षेत्र के किन स्थानों पर और कितने स्थानों पर केन्द्रीय गोदाम खोले गये हैं; और

(ख) उचित मूल्य वाली दुकानों को बिक्री के लिये दिये गये विभिन्न खाद्यान्नों की मात्रा कितनी है और ३१ जुलाई, १९५८ को उनकी क्या दरें थीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) बम्बई राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के अस्थायी दो डिपो निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—

१. औरंगाबाद ।

२. जालन ।

(ख) जनवरी से जुलाई १९५८ तक बम्बई राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में उचित मूल्य वाली दुकानों के जरिये बिक्री करने के लिये राज्य सरकार को ४४० टन गेहूं और १,३६० टन चावल दिया गया था । गोदाम के बाहर (बोरों की कीमत मिलाकर) केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्नों को बेचे जाने की कीमतें निम्नलिखित थीं :—

	प्रतिमन का भाव
१. गेहूं .	१४ रुपये
२. मोटा चावल	१६ रुपये
३. अच्छा चावल	२० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में वन्य पशु

†२५०१. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वन्य पशुओं की रक्षा के लिये निर्धारित १३५.०४ लाख रुपयों की रकम में से बम्बई सरकार को कितना अनुदान देने का प्रस्ताव रखा गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : वन्य पशु सुरक्षा के लिये योजना अवधि में किये गये उपबंध की कुल रकम १३५.०४ लाख है। उसमें से बम्बई को बांट में मिलने वाली रक़म ३१.७३ लाख है जिसमें खर्च के केन्द्र तथा राज्य दोनों के हिस्से शामिल हैं। मंजूर किये गये अनावर्ती खर्च का ५० प्रतिशत ही केन्द्र का हिस्सा होगा। निम्नलिखित विवरण में बांट की कुल रकमें बताई गई हैं और १९५६–५७ से १९५८–५९ तक के केन्द्रीय अनुदान की अनुमानित रकमें दी गई हैं :—

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई रकम के रूपये	मंजूर किया गया केन्द्रीय अनुदान के रुपये
१९५६–५७	६१,३०३	६,३००
१९५७–५८	६,०६,४१३	१३,९००
१९५८–५९	४,९९,०००	२,२४,०००

मराठवाड़ा में टेलीफोन के कनैक्शन

†२५०२. **श्री पांगरकर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में बम्बई राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में कितने टेलीफोन के कनैक्शन देने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : लगभग ७४ टेलीफोन। आवेदकों की कुल संख्या १०० है।

राष्ट्रीय राज पथ

†२५०३. **श्री पांगरकर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री बम्बई राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजपथों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजदहादुर)** : केवल राष्ट्रीय राजपथ संख्या ९ अर्थात् पूना––बम्बई–हैदराबाद––विजयवाडा सड़क ही बम्बई राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र म से होकर जाती है।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†२५०४. **श्री साधू राम :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ और १९५८–५९ के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के चतुर्थ श्रेणी वाले कर्मचारियों को गर्मी की वर्दी दे दी गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५७–५८ में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कोई गर्मी की वर्दी नहीं दी गई । जहां तक १९५८–५९ का सम्बन्ध है, अप्रैल १९५८ में महा निदेशक, संभरण तथा निपटान को आवश्यक व्यादेश भेज दिया गया था । शीघ्र ही वर्दियां मिलने की सम्भावना है । १९५८–५९ के लिये ठेके की दरों पर चप्पलों के लिये आर्डर भी दिया जा चुका है और उनके मिलते ही, वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दे दी जायेगी ।

(ख) चूंकि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का स्थायी किया जाना विचाराधीन है अतएव जनवरी, १९५७ के पहिले वर्दियां आदि देने के सम्बन्ध में उसका स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका । अतएव गर्मी की वर्दियां देना सम्भव नहीं था ।

मंत्रणा समिति की बैठकें

†२५०५. **श्री कुम्भार** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संघीय राज्य क्षेत्रों में होने वाली खंड मंत्रणा समिति की बैठकों, सम्मेलनों, सेमीनारों तथा जिला विकास बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को क्या सामुदायिक विकास योजना निधियों में से यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिये जाते हैं ;

(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों को यह भत्ता किस दर पर दिया जाता है ;

(ग) क्या सरकारी सदस्यों को उनके सम्बन्धित विभागों और सामुदायिक विकास विभाग से भी इस अवधि के लिये पैसा दिया जाता है ;

(घ) कितने संघीय राज्य क्षेत्र इस प्रकार का भत्ता देते हैं और कितने नहीं देते ?

(ङ) इसका ब्यौरा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** (क) से(ङ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

आंध्र की चीनी मिलें

†२५०६. **श्री म० वें० कृष्णराव** : **क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की विभिन्न मिलों की गन्ना पेरने की क्षमता कितनी है ; और

(ख) १९५७–५८ की गन्ना पेरने की ऋतु में उक्त फैक्टरियां में कितना गन्ना पेरा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :–

फैक्टरी का नाम	प्रतिदिन की गन्ना पेरने की क्षमता (टनों में)	१९५७–५८ में पेरा गया कुल गन्ना (टनों में)
बाब्बिली	६००	८१,१८७
समालकोट	७५०	१,११,५५८
किरलमपुडी	१,०००	१,५१,०४३
वुय्युरु	१,८००	२,७३,२७३
सीथानाग्राम	३००	५६,६१९
अनाकपाले	५००	६९,४९२
शकरनगर	३,२००	५,२५,०४६
आन्ध्र	१,०००	१,४७,१९७
रिपाल्ले	८००	२०,७२९
चाल्लापाल्ली	८००	५२,९४८
दारलापुडी	६००	७९,३७४
विजयलक्ष्मी	३००	३००*

गुंटुर में ऊपरी पुल

†२५०७. **श्री म० वें० कृष्णराव** : क्या **रेलवे** मंत्री २५ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में लेवल क्रासिंग के ऊपर एक पुल बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: जी, हां। रेलवे प्रशासन ने गुंटूर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर स्थिति वर्तमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर एक ऊपरी सड़क का पुल बनाने के निर्माण कार्य के अपने हिस्से का अनुमान मंजूर कर लिया है। अभी नगरपालिका ने पुल को जोड़ने वाली सड़कों का काम शुरू कर दिया है और रेलवे के भाग में भी शीघ्र ही पुल बनाने का काम शुरू हो जायगा।

आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संभरण योजनायें

†२५०८. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संभरण की कितनी योजनायें केन्द्रीय सरकार को भेजी गई हैं और उनके क्या नाम हैं; और

(ख) १९५८–५९ में सरकार द्वारा कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

†मूल अंग्रेजी में

*इस कारखाने में सीजन के समय भागीदारों में झगड़ा हो जाने से कम काम हुआ है।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १९५८–५९ के लिये निम्नलिखित तीन ग्रामीण क्षेत्र की जल संभरण योजनायें प्राप्त हुई हैं और वे मंजूर हो गई हैं :–

	नाम	अनुमानित लागत लाख रुपये
१.	श्री काकुलम ज़िले में श्रीकाकुलम	
२.	कुडप्पाह ज़िले में पुलीवेंडला	१९.००
३.	आदिलाबाद ज़िले में उत्तनूर	१३.३९

(ख) १०.०० लाख रुपये ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ पर डिग्राघाट पर पुल

†**२५०९. श्री फ० गो० सेन** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ पर महानंदा के डिग्राघाट पर पुल बनाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) इस काम के लिये टेंडर बुलाये गये हैं और वे विचाराधीन हैं । काम शुरू होने के बाद उसे पूरा करने में तीन वर्ष लगेंगे ।

बड़ी सिंचाई परियोजनायें

†**२५१०. श्री अब्दुल सलाम** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से प्रत्येक ऐसी बड़ी सिंचाई परियोजना की उसकी नहरों सहित प्रति एकड़ पूंजीगत कीमत कितनी है जिसका काम पूरा हो गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ३९]**

अनुसन्धान एककः

†**२५११. श्री राम कृष्ण** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना को अच्छी तरह कार्यान्वित करने के लिये और साथ ही साथ तृतीय पंच वर्षीय योजना तैयार करने के लिये सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये अनुसन्धान एककों का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

भाखरा नंगल बांध देखने जाने वाले पर्यटक

†२५१२. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री पांगरकर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक चालू वर्ष में कितने विदेशी पर्यटक तथा उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति भाखरा नंगल बांध देखने आये थे ; और

(ख) वे किन देशों से आये थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) १५ अगस्त १९५८ तक १,४३,०८१ दर्शक आये थे जिनमें से ८८४ विदेशी थे ।

(ख) वे अफगानिस्तान, अल्जीरिया, आस्ट्रेलिया, आस्त्रिया, बर्मा, सीलोन, चीन, चेको-स्लावाकिया, पूर्वी अफ्रीका, एजिप्ट, जर्मनी, हालैंड, ईरान, जापान, नेपाल, उत्तरी वियतनाम, पौलेंड, रूमानिया, साउदी अरेबिया, स्विटजरलैंड, ट्रिनीडाड, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और यूगोस्लाविया से आये थे ।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा

†२५१३. **श्री राम कृष्ण:** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक ऐसे कितने रेलवे कर्मचारियों का पता लगाया गया है जो ऊंचे दर्जों में बिना टिकट यात्रा करते हैं ;

(ख) ऊंचे दर्जों में इस प्रकार की अनधिकृत यात्रा के मामलों को कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १९५७ में २१ और जून १९५८–५९ के अन्त तक ५ ।

(ख) बिना टिकट यात्रा के खिलाफ़ की गई सारी कार्यवाही रेलवे कर्मचारियों द्वारा ऊंचे दर्जों में बिना टिकट यात्रा अथवा अनियमत रूप से यात्रा किये जाने पर भी समान रूप से लागू होती है । इसके सिवाय भारतीय रेलवे अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों से बिना टिकट यात्रा करने पर पैसे लिये जाते हैं और उन पर विभागीय कार्यवाही भी की जाती है ।

भारत में निर्मित रेल के सवारी और माल-डिब्बे

†२५१४. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और अब तक १९५८–५९ में भारत में कुल कितने रेल के सवारी और माल डिब्बे बनाये गये और प्रत्येक सवारी तथा माल-डिब्बे की औसत लागत कितनी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसी अवधि में विदेशों (प्रत्येक देश) से कुल कितने सवारी तथा माल-डिब्बे आयात किये गये थे और आयात किये गये प्रत्येक सवारी तथा माल डिब्बे की क्या कीमत है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ४१]**

दिल्ली में चेचक

†२५१५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में चेचक के बीमारों की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो संख्या बढ़ने का क्या कारण है ; और

(ग) इस बीमारी की बढ़ती को रोकने के लिये सरकार क्या अतिरिक्त कार्यवाही कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) निम्नलिखित निरोधात्मक उपाय अपनाये गये हैं :—

(१) सामुहिक टीके लगाना।

(२) प्रचार द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा देना।

(३) दिल्ली नगर पालिका निगम द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अर्थात् वेक्सीनेटरों सफाई निरीक्षकों आदि की संख्या का बढ़ाया जाना।

(४) महामारी अधिनियम, १८९७ के अधीन अस्थायी विनियमों को जारी करना ; और

(५) बीमारों को अलग जगहों में रखना।

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में अनाज का वितरण

२५१६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों के लिये भारत सरकार ने अप्रैल, १९५७ से ३० जून १९५८ तक गेहूं और चावल की कितनी मात्रा दी है ;

(ख) इस मात्रा में से ३० जून तक कितना अनाज बेचा जा चुका है ; और

(ग) सरकार द्वारा दिये गये खाद्यान्नों का स्थानीय बाजारों पर क्या असर पड़ा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) सूखे से प्रभावित राज्यों के लिये अप्रैल १९५७ से ३० जून १९५८ तक २९ लाख ८३ हज़ार टन गेहूं और चावल दिया गया था।

(ख) २७ लाख ५० हजार टन।

(ग) इस ने भावों की अधिक तेज़ी को रोकने में सहायता की।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पशुओं के रोग

२५१७. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पशुओं के रोगों की रोकथाम के लिये १९५५-५६ और १९५६-५७ में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ख) दिल्ली के पशुओं में अक्सर कौन से रोग पाये जाते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) पशुओं की सम्पर्कीय बीमारियों के फैलने और बड़े पैमाने पर बढ़ने की रोकथाम करने के लिये निम्न-लिखित उपाय किये गये :—

	१९५५-५६	१९५६-५७
(१) गलघोटू टीका[1] . .	१७,०७९	८,९३०
(२) महामारी टीका[2] . .	५७,५९६	५६,२१२
(३) ज़हरबाद टीका[3] . .	८२९	२,००१
(४) गलघोटू सिरम का बचाव वाला टीका[4]	२,०१७	२,१८४
(५) ज़हरबाद का बचाव वाला टीका	५८०	—
(६) महामारी विरोधी टीका	१,४९२	५५९

(ख) (१) गलघोटू
(२) जहरबाद
(३) महामारी
(४) खुर पका मुंह पका बीमारी

दिल्ली में पशुओं की नस्ल सुधारना

२५१८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये एक योजना बनाई गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये अखिल भारतीय नमूने पर एक पशुग्राम और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने के लिये एक योजना है और यह झील-खुरंजा गांव में स्थापित

---

[1]मूल अंग्रेजी में

[1]Haemorrhagic S pticaemia Vaccination.

[2]Rinderpest Vaccination.

[3]Black quarter Vaccination.

[4]Haemorrhagic septicaemia serum inoculation.

किया जायेगा। इस योजना में एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पशु कालोनी में खोला जाना है और इस केन्द्र के साथ छः पशुग्राम केन्द्र सम्बन्धित होंगे। प्राप्त अनुभव के आधार पर, छः पशुग्रामों के साथ एक अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र योजना के चौथे वर्ष में खोलने का भी प्रस्ताव है।

(ग) इस प्रकार के एक केन्द्र खोलने के लिये १९५८-५९ के बजट अनुमानों में २४,००० रुपये की स्वीकृति दी हुई है।

जमुना बांध

२५१९. **श्री नवल प्रभाकर:** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमुना नदी पर बांध बांधने के लिये जो भूमि ली गयी थी उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक दिया जायेगा;

(ग) प्रति बीघा कितना मुआवजा दिया जायेगा; और

(घ) इस बांध के नीचे कितनी भूमि आती है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख): शायद सदस्य महोदय का मतलब शाहदरा मार्जिनल बन्द से है। दिल्ली प्रशासन से पूछने पर पता चला है कि जो लोग, उनको मिलने वाली, मुआवजे की रकम लेने लैंड एक्विजिशन क्लेक्टर के पास गये उनको मुआवजा मिल चुका है। जो लोग मुआवजा लेने नहीं गये उनके पैसे खज़ाने में जमा करा दिये गये हैं और विवाद वाले मामले मुआवजे की रकम समेत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिये गये हैं। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के पास मुआवज़े का कोई मामला बाकी नहीं है।

(ग) हर बीघे पर मुआवजे की रकम इस प्रकार है :—

क्रमांक	गांव का नाम	मुआवजा [जिसमें जमीन की कीमत तथा १५ प्रतिशत अनिवार्य भूमि अर्जन (कम्पलसरी एक्विजिशन) की लागत भी शामिल है]
		रुपये
(१)	कारावाल नगर	१३४.०४
(२)	बहेरीपुर	११३.२८
(३)	खजूरी खास	१२२.८८
(४)	गोंडा गजरान खादर . .	९४.७७
(५)	गोंडा चौहान खादर . . .	१३१.४९

(घ) ३८५.८९ बीघे।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन लगाना

२५२०. **श्री डामर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार तथा रतलाम जिलों के किन-किन कस्बों में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत टेलीफोन लगाये जाने वाले हैं ; और

(ख) किन-किन कस्बों में किस-किस वर्ष में टेलीफोन लगने वाले हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). दूसरी पंच-वर्षीय आयोजना काल में ज़िले-बार दिखाये गये निम्न स्थानों में प्रत्येक प्रस्ताव की मंजूरी दिये जाने की तारीख से अनुमानत : एक वर्ष के भीतर सम्बन्धित प्रस्ताव के न्याय समझे जाने पर ही टेलीफ़ोन-सुविधाएं उपलब्ध किये जाने की संभावना है ।

जिले के नाम	स्थान जहां सार्वजनिक टेलीफोन-घर खोले जाने हैं
झाबुआ . . .	१. अलराजपुर
	२. ज़ोबत
	३. पेतलाबाद
	४. ठंडला
धार	१. बदनावाड़ी *
	२. कुक्सी
	३. मनावर
	४. सरदारपुर
रतलाम . . .	१. आलोत*

विभिन्न राज्यों की बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†२५२१. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री परिग्रही :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय योजना अवधि में प्रत्येक राज्य को बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्राप्य संसाधनों के मूल्यांकन की दृष्टि से कितनी रकम फिर से बांट में दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** फिर से बांट में रकम देने का प्रश्न विचाराधीन है।

†मूल अंग्रेज़ी में

*२२ जुलाई, १९५८ को यहां सार्वजनिक टेलीफ़ोन–घर पहले ही खोले जा चुके हैं ।

कृषि संबंधी पाठ्यक्रम (फार्म कोर्स)

†२५२२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन संस्थाओं को सहायता देने की योजना बनाई है जिनमें कृषि संबंधी पाठ्यक्रम (फार्म कोर्सेज़) लागू हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) सन् १९५२ में भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने किसानों के लाभ के लिये ६माह के प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम की एक योजना बनाई है जिसके अनुसार किसानों को कृषि के क्षेत्र में आधुनिक विकास से परिचित कराया जाएगा ताकि वे इस ज्ञान का उपयोग अपनी जमीन का विकास करने में कर सकें। यह योजना राज्य सरकारों को भेजी गई थी और भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् इसमें अंतर्निहित आवर्त्ती खर्च का ५० प्रतिशत एक या दो वर्ष तक देने के लिए तैयार हो गई थी। इस परिपत्र के प्रत्युत्तर में नौ राज्यों में किसानों के प्रशिक्षण के लिये प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम चालू किये गये थे और इस योजना के अंतर्गत लगभग ७०० किसानों को प्रशिक्षित किया गया था ।

(ख) इस योजना की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४२]**

बांध परियोजनाओं में विदेशी विशेषज्ञ

†२५२३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांध निर्माण परियोजनाओं में अभी भी कितने विदेशी विशेषज्ञ लगे हुए हैं ; और

(ख) वे किन देशों के हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). बांध निर्माण परियोजनाओं के काम में २१ विदेशी विशेषज्ञ भारत में लगे हुए हैं और उनकी नियुक्ति नीचे लिखे स्थानों पर की गई है :--

भाखरा नंगल परियोजना	१६
दामोदर घाटी निगम	२
रिहांड बांध परियोजना	२
केन्द्रीय जल-विद्युत शक्ति आयोग (जल शाखा) . .	१
कुल	२१

ये सभी अमेरिका के हैं।

हवाई जहाज़ों में यात्रियों के लिये पत्रिकायें

†२५२४. **श्री त० व० विट्ठलराव :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के हवाई जहाज़ों में यात्रियों को कोई पत्रिकायें दी जाती हैं ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) कारपोरेशन प्रत्येक वर्ष इस पर कितना खर्च करता है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री नुहीउद्दीन) : (क) जी हां,

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४३**]

(ग) लगभग ४३,८०० रुपये ।

कंचनपुर के लिये चिकित्सा व्यवस्था

†२५२५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कंचनपुर निवासियों ने त्रिपुरा प्रशासन को एक अभ्यावेदन भेजा कि कंचनपुर में अधिक जनसंख्या को देखते हुए वहां चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किया जाये और २० बिस्तर वाला एक अस्पताल खोला जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री फरमरफर)** : (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है । इस समय कंचनपुर तहसील में दो डिस्पैंसरियां हैं--एक कंचनपुर में और दूसरी पचेरथल में, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के भारी संख्या में यहां आ जाने के कारण जनसंख्या बढ़ गई है इसलिये त्रिपुरा प्रशासन पहले से ही यहां चिकित्सा की सुविधायें बढ़ाने के बारे में विचार कर रहा है । कंचनपुर बाज़ार की डिस्पैंसरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिणत करके वहां लोक स्वास्थ्य और प्रसूत सेवा के लिये छः बिस्तरों की व्यवस्था की जायेगी । यह प्रस्थापना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल है ।

धतूरा

†२५२६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कई स्थानों पर धतूरे को विष के तौर पर इस्तैमाल किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५७ और १९५८ में अब तक विभिन्न राज्यों में कितने ऐसे मामलों की सूचना मिली जिन में धतूरा खिलाया गया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री फरमरफर)** : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य रेलवे की गाड़ी

†२५२७. **श्री आसार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च-अप्रैल, १९५८ में मध्य रेलवे की गाड़ी संख्या ३०७ डाउन एक्सप्रैस के बैठने के डिब्बे को खाना खाने के लिये प्रयोग में लाया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या यह भी सच है कि चलती गाड़ी में चाय और खाने की अन्य वस्तुएं तैयार करने के लिये उसमें स्टोव जलाया गया था ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विषय में कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

२२-३-१९५८ से २६-४-१९५८ के बीच ३०७—डाउन/३०८-अप बम्बई-पूना एक्सप्रैस गाड़ियों की दो बफेट कारों में से एक मरम्मत के लिये कर्मशालाओं में भेजनी पड़ी और उसके स्थान पर तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में खाने की वस्तुएं, सोडावाटर आदि रखना पड़ा।

'बफेट कार' के कर्मचारियों ने अनधिकृत रूप से तीसरे दर्जे के डिब्बे में स्टोव पर चाय बना ली जो कि उन्हें दूसरी बफेट कार से लानी चाहिये थी। वास्तव में वे दूसरी बफेट कार से कुछ चाय लाये थे परन्तु वह कम पड़ गई।

जब मध्य रेलवे प्रशासन को पता चला तो उन्होंने सम्बन्धित कर्मचारियों को हिदायतें दीं कि तीसरे दर्जे के डिब्बे में स्टोव न जलाया जाये। केटरिंग इस्पैक्टरों और अन्य अधीक्षक कर्मचारियों को भी हिदायतें दी गई हैं कि भविष्य में ऐसी बात न होने पाये ।

टेपियोका का उत्पादन

†२५२८. **श्री मणियंगाडन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेपियोका के उत्पादन को बढ़ाने और इन का उत्पादन करने वालों की हालत सुधारने के सुझाव देते हुए केरल राज्य के टेपियोका उत्पादकों के प्रतिनिधियों का कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). केरल राज्य के टेपियोका उत्पादकों के प्रतिनिधियों से इस मंत्रालय में कोई ज्ञापन नहीं मिला है। सूचना मिली है कि केरल सरकार को अखिल भारतीय टेपियोका विपणन संवर्धन बोर्ड के डायरेक्टर से एक ज्ञापन मिला है जिस पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

केरल में सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य

†२५२९. **श्री मणियंगाडन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये केरल राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई ; और

(ख) उस वर्ष राज्य सरकार ने कितना खर्च किया था ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). बड़े और दरम्याने सिंचाई कार्यों के लिये, जिन में नलकूप आदि भी शामिल हैं, केरल राज्य को २,१७,६३,५०० रुपये का आवंटन किया गया था और उन्हों ने २,१२,५८,७३५ रुपये खर्च किये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहाज खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा

२५३०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने जहाज खरीदने के लिये १९५२ से अब तक विदेशी बैंकों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की है ; और

(ख) कितने विदेशी बैंकों अथवा सरकारों ने भारत को विदेशी मुद्रा देने का प्रस्ताव किया है अथवा सीधे इसे देने के लिये तैयार हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). जहाज खरीदने के लिये भारत सरकार ने जो विदेशी मुद्रा प्राप्त की है इस में अभी अकेले जापान से ही जहाज लेने सम्बन्धी ऋण मिला है। इस की कुल राशि २४ करोड़ रुपये (१८ बिलियन येन) है। इस में से ६.६७ करोड़ रुपये (५ बिलियन येन) की राशि जहाज मंगाने के लिये नियत कर दी गई है।

ऐसा पता चला है कि मरकैन्टाइल बैंक आफ इन्डिया, लंदन, बैंक आफ बड़ौदा और सैन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया लिमिटेड आदि कुछ बैंकों ने भारत की जहाजी कम्पनियों को थोड़ी मात्रा के ऋण के रूप में विदेशी मुद्रा देने की सुविधा दी है।

एक जापानी दलाल फर्म से भी बातचीत चल रही है जिस ने सरकार को अमेरिका से १९ करोड़ रुपये (२५० लाख डालर) ऋण दिलाने को कहा है। इस समय यह सम्भव नहीं है कि यह कहा जाय कि यह बातचीत तय हो जायेगी या कितना धन मिल सकेगा।

नाव सेवा

†२५३१. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में धुलियां और खेजुरिया घाट के बीच गंगा नदी पर कितने नाव सेवायें और किन प्रकारों की नावें चलाई जा रही हैं ;

(ख). प्रति दिन नाव सेवा में कितनी यात्री और कितना सामान एक दूसरी ओर ले जाया जाता है ; और

(ग) यह नाव सेवा कौन चलाता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बंगले के चपरासी

२५३२. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के अफसरों को बंगले के चपरासी मिलते हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलों पर ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार को उन पर कितना वार्षिक खर्च करना पड़ता है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, कुछ अफसरों को बंगले के चपरासी दिये जाते हैं ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४४]**

लगेज गार्ड प्रणाली

२५३३. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में लगेज गार्ड की जगह ब्रेक्स-मैन प्रणाली चालू करने के बाद क्षतिपूर्ति के दावों की संख्या बढ़ गई है ; और

(ख) क्या इस परिवर्तन के कारण कार्य-दक्षता पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी नहीं । इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि लगेज गार्ड की जगह ब्रेक्स-मैन प्रणाली चालू करने की वजह से क्षतिपूर्ति के दावों की तादाद बढ़ गई है या कार्य-कुशलता पर बुरा असर पड़ा है ।

रेलवे एक्ट

२५३४. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे एक्ट का हिन्दी संस्करण प्रकाशित हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के कब तक प्रकाशित होने की आशा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख). केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद विधि मंत्रालय में किया जा रहा है । मालूम हुआ है कि विधि मंत्रालय भारतीय रेल अधिनियम का भी एक द्विभाषी, अंग्रेज़ी-हिन्दी, संस्करण शीघ्र प्रकाशित कर रहा है ।

उत्तर प्रदेश की गैर-सरकारी बिजली सप्लाई कम्पनियां

†२५३५. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की गैर-सरकारी बिजली सप्लाई कम्पनियों ने विस्तार कार्यक्रम के लिये सरकार से कोई सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश की कुछ एक गैर सरकारी बिजली सप्लाई कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने विद्युत (संभरण) अधिनियम, १९४८ में

†मूल अंग्रेज़ी में

कुछ रूपभेद करने का सुझाव दिया था जिस से विकास के लिये आसान शर्तों पर पूंजी अर्जित कर सकें। किसी विशेष योजना के लिये सरकार से प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता नहीं मांगी गई थी। अधिनियम में संशोधन करने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है।

टेलीफोन निदशिका

†२५३६. **श्री दशरथ देब :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ से अगरताला के लोगों को नई टेलीफोन निदेशिकायें नहीं दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी नहीं। जून १९५८ का अन्तिम संस्करण उन्हें दिया गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सामान की चोरी

†२५३७. **श्री आसर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के जिला थाना में पडघा स्थान पर एक पठान को रेलवे का हर प्रकार का सामान चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि ये चोरियां हर रोज़ होती रहती थीं ;

(ग) क्या सरकार ने उन सब लोगों की तफतीश की है जो इस पठान को सहयोग देते थे ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन लोगों के, विशेष कर रेल कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां। बम्बई-आगरा रोड पर पडघा स्थान पर थाना ज़िला को पड़घा पुलिस ने एक पठान, बाघ अली खां वल्द खुदा बख्श खां, को गिरफ्तार किया। वह ट्रक में कुछ सामान लिये जा रहा था जिस के बारे में यह शक था कि वह रेलवे का चुराया हुआ सामान है।

(ख) नहीं।

(ग) और (घ). गिरफ्तार किये गये पठान के खिलाफ मुकदमें की जांच पुलिस कर रही है परन्तु अभी तक किसी रेलवे कर्मचारी पर यह शक नहीं कि वह उस की मदद कर रहा हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड

†२५३८. **सरदार इक़बाल सिंह:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड ने बांध के ऊपर की ओर जलग्रस्त क्षेत्र के विकास के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्य वन संरक्षकों ने भाखड़ा बांध के महा प्रबन्धक के सहयोग से भाखड़ा जलग्रस्त क्षेत्र में भू-संरक्षण की एक योजना तैयार की है । भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड इस योजना का परीक्षण कर चुका है और इस समय उस पर भारत सरकार का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय विचार कर रहा है क्योंकि भारत सरकार को उस के लिये सहायता देनी होगी ।

(ख) योजना की मुख्य -मुख्य बातें नीचे बताई जाती हैं :—

(१) काश्त अधीन क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के उपाय :

काश्त अधीन क्षेत्रों में कृषक भूमि की सतह को ठीक कर के, क्यारियां बना कर, दीवालें आदि बना कर भू-संरक्षण के उपाय करेंगे । प्रति कड़ औसत खर्च २०० रुपये होगा । कृषकों का प्रोत्साहन करने के लिये उन्हें १०० पये राजसहायता ी जायेगी यह विचार किया गया है कि ५० प्रतिशत कृषि भूमि में, जोकि १,६६,४५० एकड़ है, भू-संरक्षण के उपायों के लिये यह २० वर्ष तक पर्याप्त है ।

(२) वन लगाना :

पंजाब और हिमाचल प्रदेश के वन विभाग पहले से ही वनों के लिये नियत किये गये क्षेत्रों की देख रेख कर रहे हैं और वहां वन लगाने पर विशेष निधि की आवश्यकता नहीं होगी । उन वन क्षेत्रों में, जिन का सीमांकन नहीं किया गया है अगले २० वर्ष में ७०,००० एकड़ भूमि में १५० रुपये प्रति एकड़ खर्च करके वन लगाने का सुझाव है ।

(३) चारे वाली भूमि का प्रबन्ध तथा अन्य उपाय :

बंजर ज़मीन और उन क्षेत्रों में जहां घने वन नहीं लगाये जा सकते वहां 'चेक-डैमिंग' और 'गल्ली-प्लगिंग' जैसे उपाय किये जायेंगे परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्रायः गरीब होते हैं और वे पशु चरा कर अपना निर्वाह करते हैं इसलिये इन क्षेत्रों में आने जाने पर प्रतिबन्ध लगाये बिना ये उपाय नहीं किये जा सकते । २० वर्ष में उन वन क्षेत्रों, जिन का सीमांकन नहीं किया गया है, के २० प्रतिशत क्षेत्र में ये उपाय करना सम्भव होगा । इस अवधि में कुल १,२९,१०० एकड़ भूमि का संरक्षण होगा और गार्डों द्वारा तथा बाड़ लगा कर, घास के बीज जमा कर के और उन का वितरण कर के, चरागाहों और चारे वाली भूमि का एकड़ खर्च के, 'चेक-डैमिंग' और 'गल्ली-प्लगिंग' कर के लगभग २५ पये प्रति प्रबन्ध कर कर के भू-संरक्ष किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(४) स्पिती क्षेत्र :

इस क्षेत्र के लिये जो औसतन ११,००० फट की ऊंचाई पर स्थिति एक बहुत बड़ा मैदान हैं विशेष उपाय करने होंगे। इस क्षेत्र में आबादी बहुत कम है और वृक्ष भी बहुत कम हैं। पशुओं के चरनें और भूमि के कटाव के कारण इस क्षेत्र से सतलज में बहुत सी मिट्टी आती है। भू-संरक्षण का एक मात्र उपाय जो यहां किया जा सकता है वह यही है कि भेड़ बकरियों की संख्या कम कर दी जाये और बारी-बारी से कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। भेड़ बकरियों की संख्या में ५० प्रतिशत कमी कर दी जायेगी। इस की क्षतिपूर्ति करने के लिये भेड़ों की नस्ल सुधारने का प्रयत्न किया जायेगा जिस से अधिक ऊन प्राप्त हो सके। बारी-बारी क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने और स्पिति में पशुओं के प्रवेश को सीमित करने के लिये आगामी २० वर्ष में २० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

अनुमान लगाया गया है कि इस योजना पर आगामी २० वर्ष में ३,२३,७२,५०० रुपये खर्च होंगे। भाखड़ा नंगल परियोजना में भूमि-संरक्षण पर २ लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। भूमि-संरक्षण बोर्ड इस ख्याल से योजना पर विचार कर रहा है कि योजना को कार्यान्वित करने के लिये सहायता दी जाये।

उत्तर रेलवे में रेल कारें

†२५३९. **सरदार इक़बालसिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में रेल कारें चलाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये रेल कारें किन सैक्शनों में चलाई गई हैं अथवा चलाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख) : उत्तर रेलवे में सदर बाज़ार और सदुलपुर जंक्शन के बीच और दिल्ली सराय रोहेला और हिसार जंक्शन के बीच पहले से मीटर लाइन की डीज़ल रेल कारें चल रही हैं। उत्तर रेलवे को बड़ी लाईन की १२ रेल कारें और आवंटित की गई हैं जो सितम्बर, १९५८ की समाप्ति तक उन्हें मिल जायेगीं। प्राप्त होने पर इन बड़ी लाइन की डीज़ल कारों को दिल्ली और फ़ीरोज़पुर डिवीज़नों के निम्नलिखित सैक्शनों पर चलाने का विचार है :—

(१) नई दिल्ली–पानीपत–कु क्षेत्र–नर्वाना–जींद–रोहतक–दिल्ली-किशनगंज ।

(२) दिल्ली-किशनगंज–रोहतक–जींद–पानीपत–नई दिल्ली ।

(३) जालंधर शहर–लुधियाना–मोगा तहसील—फ़ीरोज़पुर छावनी ।

(४) जालंधर शहर—होशियारपुर–लुधियाना–लोहियां खास ।

फसलों की हानि

†२५४०. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, नाशक कीटों के कारण फसलों को कुल कितनी हानि पहुंची ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) नाशक कीटों को नष्ट करने के लिये कौन से मुख्य उपाय किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कोई ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) राज्य सरकारों की पौधे संरक्षण संस्थायें नाशक कीटों आदि का नष्ट करने के उपाय करती हैं। वे कीट नाशक औषधियों का वितरण कर के और उन्हें छिड़कने की मशीनें आदि दे कर कृषकों की भी सहायता करते हैं।

केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में १४ प्रादेशिक पौधे संरक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं जो कीट नाशक औषधियों, मशीनों, मोटर गाड़ियों और टैक्नीकल कर्मचारियों की आपात काल में व्यवस्था कर के राज्य सरकारों के संसाधनों की पूर्ति करेंगे। विमान द्वारा औषधियां छिड़कने के लिये विमान भी दिये जाते हैं।

डाक घरों के निरीक्षक

†२५४१. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में डाक घरों के निरीक्षकों की संख्या क्या है ;

(ख) उन में से कितनों के कार्यालय प्राइवेट मकानों में हैं ; और

(ग) उन का मासिक किराया क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** :

	बम्बई नगर के लिये	बम्बई नगर के समेत तमाम बम्बई सर्कल के लिये
(क)	१२	८३
(ख)	कोई नहीं	३७

(ग) रहने के स्थान में ही कार्यालय बनाने के लिये डाक घरों के प्रत्येक निरीक्षक को ५ रुपये मासिक भत्ता मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक मास कुल १८५ रुपये दिये जाते हैं।

डाक की चोरियां

†२५४२. **श्री पांगरकर** : **क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक डाक की कुल कितनी चोरियां हुई हैं; और

(ख) इन चोरियों के कारण कुल कितनी हानि हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) ९ ।

(ख) ७४२८ रुपये ९९ नये पैसे।

†मूल अंग्रेजी में

भारत में पंजीबद्ध विमान

†२५४३. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशों में ऐसे कितने विमान चल रहे हैं जिनका पंजीयन भारत में हुआ है;

(ख) इन विमानों में कितने भारतीय विमान-चालक हैं; और

(ग) भारत में पंजीबद्ध विमानों को गैर-भारतीय समवायों द्वारा चलाने की अनुमति क्यों दी गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) दो।

(ख) एक।

(ग) इस शर्त पर स्वीकृति दी गई है कि जब कभी आवश्यकता हो असैनिक उड्डयन के डायरेक्टर जनरल विमान को वापस मंगवा सकते हैं। भारत में पंजीबद्ध विमान जो विदेशों में चल रहा है उस से विदेशी मुद्रा की आय होती है और विमान की क्षमता का बेहतर उपयोग होता है।

नदी बोर्ड अधिनियम, १९५६

†२५४४. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी बोर्ड अधिनियम १९५६ में अवेक्षित किन्हीं नदी बोर्डों ने कार्य आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, ऐसी परियोजना का नाम क्या है और वह किस राज्य में है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). देश की किसी नदी अथवा नदी घाटी के लिये कोई नदी बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है।

राज्य सरकारों की शक्तियां

†२५४५. **सरदार इक़बाल सिंह :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार ने हाल ही की एक अधिसूचना में राज्य सरकारों को जो शक्ति प्रदान की है कि वह किसी भी स्टाकिस्ट का माल गत तीन मास के औसत मूल्य पर बेच सकती है क्या किसी राज्य सरकार ने उसका प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां तो कितनी राज्य सरकारों ने इस शक्ति का प्रयोग किया; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) दो।

(ग) स्टाक अर्जित करके सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय कृषि शिक्षा परिषद

†२५४६. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलौर में भारतीय कृषि शिक्षा परिषद् का सत्र हुआ था;

(ख) यदि हां तो इस में कौन-कौन से व्यक्ति उपस्थित थे; और

(ग) इस सत्र की मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४५]**.

पंजाब में 'अधिक अन्न उगाओ' योजनायें

†२५४७. **सरदार इक़बालल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २८ फरवरी १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में १९५७-५८ में अधिक अन्न उगाओ योजनाओं की सहायता से खाद्य का कितना अतिरिक्त उत्पादन हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: राज्य सरकार से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार ५०,७०० टन ।

रेलवे की रियायतें

†२५४८. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी शिक्षा सांस्कृतिक अथवा सामाजिक निकायों की संख्या क्या है जिन्हें उन संस्थाओं अथवा संगठनों की सूची में अपने नाम दर्ज कराने के लिये १९५८ में अब तक आवेदन पत्र दिये हैं जिन्हें भारत में अपने वार्षिक सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये रेलवे की रियायतें मिल सकती हैं; और

(ख) उनके नाम क्या हैं जिनके नाम दर्ज किये जा चुके हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्रीशाहनवाज़ खां)** : (क) १९५८ में अब तक २२ संस्थाओं के नाम दर्ज कराने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं । एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ख) शिक्षात्मक सांस्कृतिक अथवा सामाजिक महत्व के उन निकायों की सूची जो वार्षिक सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये रेलवे की रियायतें प्राप्त कर सकते हैं जो कोचिंग टैरिफ नं० १७ आर० आर० सी० ए० के नियम ११८ के परिशिष्ट के क्रम संख्या १८(१) में दी गई है समय-समय पर पुनरीक्षित की जाती है और जब तक आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता तब तक प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताई गई २२ संस्थाओं की उस सूची में शामिल नहीं हो सकता ।

रेलवे सुरक्षा बल

†२५४९. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक डिवीज़न में अलग-अलग ३१ जुलाई १९५८ को उत्तर रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल में कुल कितने कर्मचारी थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक प्रत्येक डिवीज़न में उक्त प्रतिरक्षा बल पर कुल कितना खर्च हुआ ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). ३१-७-५८ को संख्या और १९५७-५८ में उन पर किये गये खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

डिवीजन	**संख्या**	**व्यय (रुपयों में)**
दिल्ली	१७०३	१५,७३,०४०
फीरोजपुर	७५५	९,०८,०००
लखनऊ	१०७१	११,९६,०००
अलाहाबाद	११०७	१२,९१,०००
मोरादाबाद	६८२	७,५४,६८९
बीकानेर	४९३	४,७५,०३२
जोधपुर	१६७	१,८७,४७१
मुख्य कार्यालय	१७९	२,९९,०००
ट्रेनिंग स्कूल	५४	१,२५,९६२
सशस्त्र अनुभाग	१५७२	९,७३,०००
कुल	७७८३	७७,५३,१९४

१९५८-५९ के दौरान १-८-५८ तक लगभग २० लाख रुपये खर्च हुए और वर्ष के लिये आयव्ययक में व्यवस्था ९४,३७,००० रुपये है ।

जम्मू तथा काश्मीर को दी गई सहायता

†२५५०. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर राज्य को १९५८-५९ में अब तक कुल कितनी सहायता दी गयी है :—

१. सड़क विकास;

२. सुरंगें;

३. पुल;

४. सड़क व दर्रों से बर्फ़ की सफाई तथा मरम्मत,

५. अधिकारियों के क्वाटर तथा कुलियों के झौंपड़े ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (१) (२) (३) (५). ७६ लाख रुपये । सुरंगों, पुलों, अधिकारियों के क्वाटरों तथा कुलियों के झौंपड़ों के सभी आंकड़े इस राशि में सम्मिलित हैं । और इसको अलग-अलग करना सम्भव नहीं । अधिकतर व्यय सड़कों और पुलों पर हुआ ।

(४) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के दर्रों को साफ करने और मरम्मत के लिये कोई अनुदान अथवा सहायता स्वीकार नहीं की गयी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक

†२५५१. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोक फैलर फाउन्डेशन द्वारा केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक, को अपने कार्यक्रमों को आगे चालू रखने के लिये कोई सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इस सहायता का किन गवेषणा कार्यों में उपयोग किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). अमेरिका की रोक फैलर फाउन्डेशन ने केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था को १,२५,००० डालर की सहायता विशेष प्रयोगशाला एवं क्षेत्र उपकरण और चावल के सुधार सम्बन्धी अध्ययन में प्रयोग के लिये पुस्तकालय सामग्री के क्रय तथा नौवहन के लिये दी है । यह राशि १ जून, १९५८ से ३ वर्ष तक उपलब्ध रहेगी ।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४७]**

भ्रष्टाचार

२५५२. **श्री महेन्द्र नाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक दावा निरीक्षक के पद के हाल ही के चुनाव में कुछ अनियमितताओं की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे में ३९ दावा निरीक्षकों की जगहें जिस तरह भरी गयीं उनमें कोई अनियमितता नहीं हुई ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में कृष्णा बांध

†२५५३. **श्री मि० सु० मूर्ति** : क्या **सिंचाई और और विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील प्लेटों के अभाव के कारण आंध्र प्रदेश का कृष्णा बांध अभी अपूर्ण ही पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित स्टील प्लेटें कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर 'हां' में है । परन्तु कमी स्टील प्लेटों की नहीं है, बल्कि स्टील एंगिलों और राउन्डों की है ।

(ख) अनुमान है कि कृष्णा-बांध की समस्त आवश्यकतायें सितम्बर, १९५८ तक पूरी हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्नों पर चुंगी

†२५५४. { **श्री नाथ पाई :**
श्री यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नगरपालिका की सीमा के भीतर जो खाद्यान्न भेजा जाता है उसकी चुंगी अदा करने का दायित्व किस पर होता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये खाद्यान्नों पर जहां भी चुंगी देनी होती है, नगरपालिका उप-नियमों के अन्तर्गत यह वहां की राज्य सरकार अदा करती है ।

रामपुर में ऊपरी पुल

†२५५५. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर रेलवे स्टेशन पर जिस ऊपरी पुल का निर्माण बहुत दिनों पहले हो जाना चाहिये था और जिसके बनाने का काम हाल ही में आरम्भ किया था, उसका निर्माण एकदम बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका बनाना पुनः कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सेक्शन को दोहरा करने के सम्बन्ध में रामपुर स्टेशन के यार्ड का काफी बड़े पैमाने पर नवनिर्माण करने की प्रस्थापना थी । इस विचार से पैदल ऊरी पुल का निर्माण रोक दिया गया था । उस यार्ड के नवनिर्मा की योजना के समाप्त होते ही इस पुल का निर्माण पुनः आरम्भ हो जायेगा ।

गंगा नदी बोर्ड का निर्माण

†२५५६. **श्री विमल घोष** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी बोर्ड अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तुरन्त गंगा नदी बोर्ड के निर्माण की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां; इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार ने सुझाव प्रस्तुत किया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार उस पर विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भागीरथी नदी के दायें तट का कटाव

†२५५७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, पश्चिमी बंगाल सरकार ने नवद्वीप (ज़िला नादिया पश्चिमी बंगाल) में भागीरथी नदी के दाय तट की रक्षा के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है ताकि बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त हो सके ।

(ख) क्या यह योजना स्वीकृत कर ली गयी है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता स्वीकृत की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). उत्तर 'हां' में है ।

(ग) ९,७१,३०० रुपये ।

जनस्वास्थ्य इंजीनियरों को वृत्तिका

†२५५८. **सरादार इक़बाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की जन स्वास्थ्य इंजीनियरों को वृत्तिका देने की कोई योजना है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत जिन लोगों को वृत्तिका दी गई है उनकी संख्या क्या है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) २०५ ।

टेलीफोन के कनैक्शन

†२५५९. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के फिरोजपुर जिले के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन लगवाने के लिये कितने आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची पर हैं;

(ख) अभी तक उन्हें टेलीफोन न मिलने का क्या कारण है; और

(ग) इन लोगों को कब तक टेलीफोन मिल जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ग) सभी मामलों में शीघ्र ही कार्यवाही होगी और शनैः शनैः कार्य विस्तार पर जब एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ेगी और अतिरिक्त लाइनें लगाई जायेंगी तो सभी के लिये टेलीफोन की व्यवस्था हो जायेगी ।

पंजाब में टेलीफोन के कनैक्शन

†२५६०. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में पंजाब में ज़िलेवार कितने टेलीफोन के नये कनैक्शन दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :

जिले का नाम	टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या
अम्बाला	२५०
अमृतसर	३४३
भटिण्डा	६३
फरीदकोट	१५
फतहगढ़	११
फीरोजपुर	९४
गुरूदासपुर	२९
गुड़गावं	६५
हिसार	११७
होशियारपुर	११६
जींद	४
जालन्धर	१३८
कंडाघाट	२०
कांगड़ा	२
कपूरथला	१७
करनाल	७०
लुधियाना	२२३
नारनौल	२
पटियाला	१४३
रोहतक	८९
संगरूर	३८
शिमला	३९९

कृषि तथा शालिहोत्री महाविद्यालयों को सहायता

†२५६१. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पंजाब के कृषि तथा शालिहोत्री महाविद्यालयों को कोई सहायता दी है ;

(ख) सहायता प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों के नाम क्या हैं और उन्हें कितनी सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने दी जाने वाली सहायता से अधिक वित्तीय सहायता की मांग की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जी हां, भारत सरकार ने, पंजाब सरकार द्वारा कृषि महाविद्यालय लुधियाना, तथा शालिहोत्री महाविद्यालय हिसार, के लिए निम्नलिखित अनुदान और ऋण स्वीकार किये हैं :—

महाविद्यालय का नाम	कुल स्वीकृत सहायता (लाखों रुपयों में)		अब तक दी गयी राशि (लाखों रुपयों में)	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
१. कृषि महाविद्यालय लुधियाना .	१५.३८	९.६२	१५.००	९.६२
२. शालिहोत्री महाविद्यालय हिसार .	१२.१५३	२२.५९	११.२१४	६.३८

(ग) जी हां, योजना आयोग के परामर्श से मामले पर विचार किया जा रहा है।

राज्यों को लोहा तथा इस्पात का सम्भरण

†२५६२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से इस प्रकार की खबर मिली है कि कृषि के काम के लिये उचित मात्रा में लोहा और इस्पात के उपलब्ध न होने के कारण, कृषि उत्पादन में काफी रुकावट पड़ रही है;

(ख) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक प्रत्येक तिमाही के लिए राज्यवार कृषि के कार्यों में प्रयोग होने के लिए कितनी मात्रा में लोहा और इस्पात दिया गया है ; और

(ग) राज्यों के बीच कृषि कोटा निर्धारित करने के आधार क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जी हां, हाल ही में आंध्र प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन ने सूचना भेजी है कि कृषि प्रयोजनों के लिये लोहा और इस्पात का संभरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। इन्हें रक्षित स्टाक में से अतिरिक्त कोटा दे दिया गया है।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ग) विभिन्न राज्यों के लिये लोहे व इस्पात के कोटे उपलब्ध मात्रा और उन राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए जो कि आवंटन से कहीं ज्यादा होती हैं, निर्धारित किये जाते हैं।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†२५६३. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार दिल्ली और नई दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के सम्बन्ध में अस्पतालों के खर्चे समेत औसतन प्रति मास कितना व्यय करती है ;

(ख) उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो कि इस में शामिल हैं ; और

(ग) योजना के पूर्व जब यह व्यय सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया जाता था तो यह कितना था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों के अतिरिक्त अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना पर अस्पतालों समेत गत तीन वर्षों में दिल्ली और नई दिल्ली में निम्न प्रकार व्यय हुआ :—

१९५५-५६	९४,६३१	रू०
१९५६-५७	१,२१,२३७	,,
१९५७-५८	१,४३,९४२	,,

इस योजना से लाभ उठाने वाले जिन लोगों को विलिंगडन तथा सफदरजंग अस्पतालों में प्रविष्ट किया गया, उसका कोई अलग से लेखा जोखा नहीं है, और न ही उसका हिसाब रखना सम्भव ही है। परन्तु इस योजना के अन्तर्गत आने वाले लोगों ने जो लाभ उठाया उस पर अन्दाजे से दो अस्पतालों में निम्न व्यय हुआ :—

१९५६-५७	१,११,४१७	रु०
१९५७-५८	१,२७,०७३	रु०
(ख) १९५५-५६	७०,६००	रु०
१९५६-५७ और १९५७-५८	८८,०००	रु०

(ग) इस अंशदायी स्वास्थ्य योजना लागू होने से पूर्व जो मंत्रालय, विभाग अथवा दफ्तर अपने कर्मचारियों के लिये डाक्टरी सहायता की जो व्यवस्था करते थे उस के व्यय का मंत्रालय के पास कोई लेखा जोखा नहीं ।

डोरनाकल स्टेशन पर 'इंटरलॉकिंग' उपकरण

†२५६४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के डोरनाकल स्टेशन पर केबिनों में इंटरलॉकिंग उपकरण कब लगाया जायेगा ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस के बिना इस स्टेशन पर गाड़ियों के आने जाने में भारी खतरा है, क्योंकि इस स्टेशन पर यातायात बहुत ही अधिक है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) डोरनाकल स्टेशन पर इंटरलॉकिंग उपकरण मार्च १९५९ तक लगा दिया जायेगा ।

(ख) जी नहीं ; यद्यपि इस स्थान पर इंटरलॉकिंग उपकरण नहीं है, परन्तु फिर भी व्यवस्था ऐसी की गई है कि गाड़ियों का आना जाना ठीक तरह चलता रहे । इस के अतिरिक्त सभी गाड़ियां यहां खड़ी होती हैं । और वे स्टेशन पर कम और नियंत्रित गति से प्रविष्ट होती हैं ।

आसाम के स्टीमर चलाने वाले समवाय

†२५६५. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र आसाम में जो समवाय स्टीमर चलाने का काम करते हैं, उन के नाम और पूंजी क्या है ; और

(ख) क्या इन में से किसी को कोई सहायता अथवा ऋण दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५०]**.

(ख) प्रस्थापना है कि इंडिया जनरल नेवीगेशन और रेलवे कम्पनी लिमिटेड को ३० लाख का कर्जा दिया जाये।

स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी

†२५६६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य मंत्रालय में सहायकों तथा क्लर्कों की संख्या क्या है ;

(ख) इन में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सहायक ६७

क्लर्क १४२

(ख) अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के :

सहायक . . . ८

क्लर्क १९

पश्चिमी बंगाल में सिंचाई के कुएं

†२५६७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच विशेष प्रकार के बड़े कच्चे सिंचाई कुओं की जांच करने के पश्चात् उन की उपयोगिता के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार ने कोई उत्तर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) दिल्ली प्रशासन ने इस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकाला है ; और

(घ) क्या सभी राज्यों में सरकार इस योजना को लोकप्रिय बनाना चाहती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार अभी तक इस मामले पर विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कुएं बनाने के लिये स्थान का निर्णय कर लिया गया है ; परन्तु अभी कार्य आरम्भ नहीं किया गया क्योंकि उक्त स्थान पर वर्षा का पानी एकत्रित हो गया था। बनाने के काम में शीघ्रता करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

(घ) प्रयोगात्मक योजनाओं के जो परिणाम होंगे उन के आधार पर इस मामले पर विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि-अर्थशास्त्र अनुसन्धान केन्द्र

२५६८. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि-अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र भारत के कितने राज्यों में और कब से कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) इन केन्द्रों पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) भारत सरकार ने सन् १९५४ में कई विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग के साथ चार कृषि अर्थशास्त्र अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किये थे । उन केन्द्रों का स्थान और उन से सम्बन्धित क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :—

संस्था/विश्वविद्यालय	सम्बन्धित राज्य
१. दिल्ली स्कूल आफ एकोनामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।	दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश
२. गोखले इन्स्टीट्यूट आफ पोलिटिक्स एन्ड इकोनोमिक्स, पूना ।	बम्बई और मैसूर
३. मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास .	आन्ध्र, मद्रास और केरल
४. विश्व-भारतीय विश्वविद्यालय, शान्ति-निकेतन ।	उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम ।

(ख) अभी तक इन केन्द्रों पर १२.७४ लाख रुपये खर्च किये गये हैं ।

गोबर

†२५६९. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष लगभग कितनी कीमत का गोबर और गोमूत्र उपलब्ध होता है ;

(ख) इन से किस मात्रा में नाइट्रोजन पोटाश और फोसफेट्स का उत्पादन हो सकता है ; और

(ग) इस का मूल्य क्या होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) १९५६ में जो पशु गणना हुई थी उस के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि १२,००० लाख टन ताजा गोबर और ३३५० टन ताजा गोमत्र प्रति वर्ष प्राप्त हो जाता है जिस का कि भारत के लोग प्रयोग करते हैं । रुपयों में इस का मूल्यांकन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि गोबर को कच्चे माल की तरह बेचा तो जाता नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नाइट्रोजन, पोटाश और फोसफेट्स की जितनी मात्रा का गोबर और गोमूत्र में अनुमान लगाया है वह निम्नलिखित है :

	N	K_2O	P_5O_2
		(ये आंकड़े दस लाख टनों में हैं)	
१. गोबर . .	२.४	१.८	१.२
२. गोमूत्र . .	२.०	१.६	०.०३

(ग) रासायनिक उर्वरकों के मुकाबले में गोबर और मूत्र में क्रमशः ५० प्रतिशत और १०० प्रति शत 'गुण' है। इस आधार पर यह ५६,००० लाख रुपये का फैलता है। P_2O_5 और K_2O क्रमशः ८४६० लाख और १४,५२० लाख रुपये का बनता है।

दालमिया दादरी की सीमेंट फैक्टरी

†२५७०. **श्री राम कृष्ण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दालमिया दादरी सीमेंट फैक्टरी के अधिकारियों ने रेलवे की भूमि पर कब्जा कर के चर्खी दादरी पर एक इमारत बना दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सीमेंट फैक्टरी के अधिकारियों से यह भूमि वापिस लेने के लिये कोई कदम उठाया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) दालमिया दादरी के सीमेंट के कारखाने के अधिकारियों द्वारा रेलवे की भूमि पर कोई कारखाना नहीं बनाया।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चीनी की मिलें

†२५७१. **श्री जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 'सीज़न' में केवल १५८ चीनी मिलों द्वारा ही कार्य किये जाने का क्या कारण था ;

(ख) १९५६–५७ के 'सीज़न' में काम न करने वाली चीनी मिलों की संख्या क्या है; और

(ग) गत 'सीज़न' में जिन मिलों ने काम नहीं किया उनकी गन्ना पेरने की क्षमता कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) १९५७–५८ वर्ष में १६४ चीनी मिलें कार्य कर रही थीं। ६ मिलें कार्य नहीं कर रही थीं क्योंकि उनमें से ५ के पास संयंत्र छोटे और पुराने हैं। और ये स्थित भी ठीक स्थानों पर नहीं हैं। ६ठी मिल जो कि मालिकों में झगड़े की वजह

†मूल अंग्रेजी में

से पिछले ८ वर्षों से बन्द पड़ी है, १९५७-५८ में काम चालू नहीं कर सकी क्योंकि दूसरे ज़ोन में गन्ने का सम्भरण बहुत नाकाफी रहा ।

(ख) ६ ।

(ग) इन ६ चीनी मिलों की, जिन्होंने १९५७-५८ में काम नहीं किया गन्ने पेरने की प्रति दिन की क्षमता कुल २,१५० टन की है ।

चीनी के कारखाने

†२५७२. **श्री जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ अगस्त १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने के सम्भरण के सम्बन्ध में जिन कारखानों ने कृषकों से बन्धकपत्र लिखवा रखे थे उनके नाम क्या हैं और आगे से इन बन्धकपत्रों की अवधि प्रत्येक कारखाने के लिये क्या होगी; और

(ख) जिन चीनी के कारखानों ने गन्ने के सम्भरण की गारण्टी करने के समय रुपया अगाऊ लिया उनके नाम क्या हैं । कारखाने वार यह राशि कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) सहकारी कारखानों के अतिरिक्त निम्न कारखानों ने गन्ना उत्पादकों से गन्ना सम्भरण के लिये करार किये । करार की अवधि उनके नाम के आगे दी गई है ।

कारखाने का नाम	करार की अवधि
मालीनगर	५ वर्ष
तिलकनगर	१ वर्ष
कोहलापुर	१ से १० वर्ष
लक्ष्मीवादी	१० से १५ वर्ष
साकरवादी	१ से १२ वर्ष
झालटन	१ वर्ष
रावलगांव	५ से ७ वर्ष

(ख) निम्न तीन कारखानों ने गारन्टी के रूप में अगाऊ लिया उसके दर और शर्तें उसके साथ दिये हैं :—

(१) लक्ष्मीवादी	यदि कृषकों ने कारखाने से लम्बा करार कर रखा हो, तो, आगामी सम्भरण आरम्भ होने तक के लिये बिल की सारी राशि का १० प्रति शत जमा रखा जाता है ।
(२) साकरवादी	
(३) रावलगांव	करार की तिथि के तीन मास के बीच सम्भरण करने वाले द्वारा १० रुपये प्रति टन के हिसाब से 'डिपाजिट' दिये जाने की व्यवस्था है ।

†मूल अंग्रेजी में

बड़ा डाकघर, गाज़ीपुर

२५७३. **श्री सरजू पाण्डे**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर (पीरनगर) के बड़े डाकघर के स्थानान्तरण के बारे में वहां के निवासियों की ओर से कोई ज्ञापन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विभाग ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां, गाज़ीपुर के बड़े डाकघर को नगर के बीच में स्थानान्तरण करने के बारे में ज्ञापन प्राप्त हुये हैं ।

(ख) नगर के बीच में एक विभागीय भवन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

स्पेशल रेलगाड़ियां

२५७४. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के कौन कौन से वार्षिक मेलों के लिये १९५८ में अब तक यात्रियों के लिये स्पेशल गाड़ियां चलाई गईं ;

(ख) उनसे कितनी अतिरिक्त आय हुई ;

(ग) क्या राजस्थान में होने वाले मेलों के लिये स्पेशल गाड़ियां चलाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उन मेलों के नाम क्या हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (घ) सूचना मंगाई जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोदी कर्मचारियों के पदों का वर्गीकरण एवं प्रवर्गीकरण[1]

†२५७५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार गोदी कर्मचारियों के पदों का वर्गीकरण एवं प्रवर्गीकरण करने के लिये जिस समिति का निर्माण किया गया था, क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ; समिति अभी १३ अगस्त को तो बनाई ही गई थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Classification and catagorisation.

डिक्रोंग नदी पर पुल

†२५७६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम की नार्थ ट्रंक रोड पर डिक्रोंग नदी पर पुल के निर्माण का जो काम १९५५ में आरम्भ हुआ था वह अभी पूरा नहीं हुआ है जिसके फलस्वरूप उत्तरी लखीमपुर का सब-डिवीजनल नगर आसाम के शेष भाग से अलग बना हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां, यह पुल बन रहा है लेकिन उत्तरी लखीमपुर के बीच यातायात अच्छे मौसम वाले दिनों में एक अस्थायी पुल द्वारा और गर्मी के दिनों में नावों द्वारा कायम रखा जाता है ।

(ख) इसके निर्माण के दौरान में पाई गई फाउन्डेशन बेड के अनुकूल बनाने के लिये आसाम के लोक-निर्माण विभाग को जो इस निर्माण कार्य के प्रभारी हैं, अधोरचना[1] के डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ा । इस पुल के १९५९ के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन में पुल

†२५७७. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दक्षिण पूर्व रेलवे जोन की रेलवे लाइनों पर ऊपरी या नीचे के पुलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) इनका निर्माण किन-किन स्टेशनों पर किया जायेगा ;

(घ) क्या योजनाओं और प्राक्कलनों का अनुमोदन हो गया है ; और

(ङ) प्रत्येक पुल की औसत लागत कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) सड़क वाले ऊपरी पुल २३
सड़क वाले नीचे के पुल ६

(ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(घ) जी हां, सभी सड़क वाले ऊपरी पुलों और चार सड़क वाले नीचे के पुलों के बारे में ।

(ङ) किसी ऊपरी/नीचे के पुल की औसत लागत का हिसाब लगाना संभव नहीं है क्योंकि नीचे के।ऊपरी पुल की लागत जिन पटरियों पर हो कर उसे जाना है उनकी संख्या किनारे की ऊंचाई आदि स्थानीय परिस्थितियों, पुल तक पहुंचने के रास्तों के लिये प्राप्त की गई भूमि की लागत आदि पर निर्भर करती है—जो स्थान स्थान पर अल-अलग रहती है । ऊपर (ख) में उल्लिखित पुलों के लिये औसत लागत ऊपरी पुल के लिये लगभग ५ लाख रुपये प्रति पुल और नीचे के पुल के लिये लगभग २.५ लाख प्रति पुल होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Substructure.

मनीपुर में सर्वेक्षण-कार्य

†२५७८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ८ मई १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में सर्वेक्षण और बन्दोबस्त के कार्य के लिये इस बीच पश्चिमी बंगाल के भू-परिमाप विभाग के सर्वेक्षण अफ़सरों की सेवायें प्राप्त कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) उनकी नौकरी की शर्तें और निबन्धन क्या हैं ;

(घ) यह कार्य कितनी अवधि तक चलते रहने की आशा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) मनीपुर प्रशासन ने पश्चिमी बंगाल सरकार से इसका अनुरोध किया है ।

(ख) एक बन्दोबस्त अफसर और दो उपसर्वेक्षक आ गये हैं । निम्नलिखित अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये और अनुरोध किया गया है ;

१ सहायक बन्दोबस्त अफसर (राजपत्रित)

४ कानूनगो (अराजपत्रित)

३० अमीन (अराजपत्रित)

८ उप-सर्वेक्षक (अराजपत्रित)

इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि आगे चल कर कुछ ड्राफ्ट्समैनों और ट्रेसरों की जरूरत पड़ेगी । पश्चिमी बंगाल से जो कर्मचारी आने वाले हैं उनकी कुल संख्या ६० से अधिक होने की आशा नहीं है ।

(ग) बन्दोबस्त अफसर भारत प्रशासन सेवा का अफसर है । अन्य कर्मचारियों को गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्टैंडर्ड प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा ।

(घ) बन्दोबस्त-कार्य में पांच या छः वर्षों का समय लगने की आशा है । लेकिन पश्चिमी बंगाल के प्रतिनियुक्त किये गये कर्मचारियों को स्थानीय कर्मचारियों के प्रशिक्षित होते ही कार्य मुक्त कर दिया जायेगा ।

टेलीफोन

†२५७९. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्दवान नगर में इस समय कुल कितने टेलीफोन ; और

(ख) कनेक्शनों के लिये कितनी अर्जियां विचाराधीन हैं और सबसे पहले की अर्जी की तारीख क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) २३७ ।

(ख) १०३ । सबसे पहले की अर्जी की तारीख १९-५-५५ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली की रेल गाड़ियां

†२५८०. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ अगस्त, १९५८ को बर्दवान तक जाने वाली बिजली की रेल गाड़ियों के उद्घाटन समारोह पर कितनी राशि व्यय की गयी थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** २१८० रूपये ।

शरबती घाटी परियोजना

†२५८१. **श्री बोडयार :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरबती घाटी परियोजना के जलमग्न क्षेत्रों के निवासियों ने अपने पुनर्वास और अपनी जलमग्न भूमियों के लिये प्रतिकर के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) किस प्रकार की पुनर्वास तथा प्रतिकर योजनायें लागू करने का विचार किया गया है; और

(घ) इस सम्पूर्ण परियोजना में इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५२]**

मयूराक्षी परियोजना का कानाड़ा बांध

२५८२. **श्री पाईका मुरमू :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों को भूमि दे दी गयी है जिनकी भूमि पश्चिम बंगाल के मयूराक्षी परियोजना के कानाड़ा बान्ध बनाने के लिये ले ली गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस श्रेणी और कितने मूल्य की भूमि दी जायेगी; और

(ग) कानाड़ा बांध के लिये किस श्रेणी की भूमि अर्जित की गयी थी और उसका क्या मूल्य आंका गया था ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई

†२५८३. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियों की सफाई और विकास के लिये पुनर्वास मंत्रालय ने जनवरी, १९५६ से अगस्त, १९५८ के बीच दिल्ली में कितने निष्क्राम्य मकान और स्थान स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित किये हैं ;

(ख) इन स्थानों के बारे में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या निष्क्राम्य मकानों और स्थानों के अधिकृत किरायेदारों को दिल्ली विकास प्राधिकार के अनुमोदित नक्शों के अनुसार उनको विकसित करने की अनुमति दी जाती है वशर्ते कि वे यह अपने खर्च पर करने का प्रस्ताव करें;

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) इनमें रहने वालों को बेदखल करने की अवस्था में क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) २४१ इसमें १२४ कटरे और ११७ छोटे मकान शामिल हैं।

(ख) ९५ कटरों में बुनियादी सहूलियतों, जैसे जल संभरण, नाली व्यवस्था, पाखानों आदि का प्रबन्ध किया जा चुका है। २ कटरे अत्यन्त जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण गिरा दिये गये और उनमें रहने वाले २४ परिवारों को बदले में दूसरे मकान दिये गये। शेष कटरों में भी इसी प्रकार की सहूलियतें दी जा रही हैं।

(ग) जी नहीं ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकार को हस्तान्तरित की गयी निष्क्राम्य सम्पत्तियों की मालिक सरकार है और किरायेदार उन्हें विकसित नहीं कर सकता है क्योंकि यह अधिकार केवल मालिक को ही होता है ।

(ङ) गन्दी बस्तियों की सफाई की कार्यवाही के फलस्वरूप बेदखल किये गये लोगों को राज-सहायता प्राप्त मकानों में बदले में दूसरा स्थान दिया जाता है।

निजामुद्दीन और ओखला के बीच रेल के ऊपर का पुल

२५८४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २३ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निजामुद्दीन और ओखला रेलवे स्टेशनों के मध्य रेलवे लाइनों के ऊपर बनाये जाने वाले दो पुलों का निर्माण-कार्य इस बीच पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर किन तिथियों से यातायात आरम्भ हुआ; और

(ग) उन में से प्रत्येक के निर्माण पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) ३१ अगस्त, १९५८ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पुल के पूरे निर्माण के खर्च की रकम के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं । ऊपर बनाये गये पुलों पर ३२.३५ लाख रुपये व्यय का अनुमान लगाया गया था । यह इस प्रकार है :—

	रुपये लाखों में
(१) सफदरजंग की ओर जंगपुरा की रेलवे क्रासिंग के ऊपर के दो पुल . .	१०.१३
(२) देहली की ओर से मिलने वाली सड़क . . .	४.६७
(३) मथुरा की ओर से मिलने वाली सड़क . .	९.०१
(४) (१) भाग में उल्लिखित दो ऊपर के पुलों के बीच के भराव पर	८.४७
कुल	३२.३५

डाकखानों के सीनियर सुपरिंटेंडेंट

†२५८५. **श्री तंगामणि :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ग' श्रेणी के नगरों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) ऐसे कितने परिवर्तन किये गये हैं ;

(ग) एस० एस० पी० योजना के लागू होने के बाद से डाकखानों के सीनियर सुपरिंटेंडेंटों के कितने पदों की स्थापना की गयी है; और

(घ) इसके फलस्वरूप कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी हां ।

(ख) 'ग' श्रेणी के राज्यों की सूची में सात शहर मिला लिये गये हैं; भोपाल, तंजोर, बेल्लोर, राज महेन्द्री; रांची, कटक और जामनगर ।

(ग) दो ।

(घ) २४,००० रुपये प्रति वर्ष ।

अखिल भारतीय रेलवे टेलीग्राफ़ कर्मचारी परिषद्

†२५८६. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय रेलवे टेलीग्राफ कर्मचारी परिषद् ने एक संकल्प स्वीकार करके भेजा है जिसमें टेलीग्राफ-कर्मचारियों के पद-नाम को बदलने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दी में तार भेजने की योग्यता रखने वाले टेलीग्राफ़ कर्मचारियों को ५० रुपये प्रोत्साहन तदर्थ भत्ते के रूप में मंजूर किये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे के तार-कर्मचारियों को यह दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) सरकार को ऐसा कोई संकल्प नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां, उन्हें जिनके लिये हिन्दी की मोर्स प्रणाली में अर्हता प्राप्त करना नौकरी की शर्तों में शामिल नहीं था ।

(घ) अक्तूबर, १९५७ से लेकर तीन वर्ष तक उन तार भेजने वालों को, जो नौकरी पर हों और हिन्दी की मोर्स प्रणाली सीख लें, ५० रुपये का मानदेय दिया जायेगा । इन व्यक्तियों की संख्या वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर विनियमित करदी जायगी ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुल

†२५८७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९५८ में उत्तर रेलवे पर भारी वर्षा के कारण पठान कोट और जोगीन्दर नगर के बीच कितने पुल क्षतिग्रस्त हुये ; और

(ख) उन की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) एक भी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर रेलवे का आरक्षण कार्यालय[1]

†२५८८. **श्री राम कृष्ण रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कनाट सर्कस में उत्तर रेलवे के आरक्षण कार्यालय के भवन के सामने के सारे अतिक्रमणों और बाधाओं को हटाने वाली है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) . पुनर्वास मंत्रालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा है लेकिन इसके बदले में दूसरा स्थान न मिल सकने की वजह से शरणार्थियों के किसी भी स्टाल को यहां से हटाना अभी तक संभव नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में पहले कदम के रूप में स्टेट एन्ट्री रोड के चक्करदार रास्ते के बजाय कनाट सर्कस की ओर से सीधा प्रवेशमार्ग बनाने के लिये कुछ स्टालों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Reservation Office

ट्रक के साथ रेल गाड़ी की टक्कर

†२५८९. **श्री वाजपेयी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ सितम्बर, १९५८ को दिल्ली से ९ मील की दूरी पर एक रेल के फाटक पर एक मालगाड़ी एक ट्रक से टकरा गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के फलस्वरूप कितनी क्षति हुई ; और

(ग) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी हां, उत्तर रेलवे के दिल्ली-अम्बाला कैन्ट सेक्शन के बदली स्टेशन के पास बिना पहरे वाले एक रेल के फाटक पर एक ट्रक लाइन पार करने का प्रयास करते वक्त एक साइडिंग को शन्ट किये जाने वाले माल डिब्बों से टकरा गया इसके फलस्वरूप ब्रेकवान और पांच डिब्बे पटरी से उत्तर गये।

(ख) रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत ७,९७५ रुपये कूंती गयी है।

(ग) एक सहायक-अधिकारियों की समिति ने इस घटना की जांच की है।

डीजल कारें

†२५९०. **श्री वाजपेयी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन पर दिल्ली और हिसार के बीच चलने वाली डीज़ल कारें बन्द कर दी गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस सर्विस को शीघ्र ही फिर से चालू करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). इंजनों में मशीनों की कुछ खराबी के कारण दिल्ली-सराय रोहिल्ला और हिसार के बीच चलने वाली डीजल-कारें १-९-१९५८ से बन्द कर दी गयी हैं।

(ग) यह खराबी दूर होते ही ये सर्विसें फिर से चालू कर दी जायेंगी।

खपरैल के लिये नौवहन की दरें

†२५९१. **श्री वारियर :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन की दरें अत्यधिक होने के कारण केरल से खपरैलों के निर्यात में बाधा पहुंचती है !

(ख) क्या भारत सरकार को इस संबं में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) यह सच है कि खपरैलों के लिये भाड़े की मौजूदा दरें काफी ज्यादा हैं लेकिन इन खपरैलों का निर्यात और भी कई बातों पर निर्भर होता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) संबंधित नौवहन हितों से इस मसले पर बातचीत आरम्भ की गयी है ।

सिंडर

२५९२. **श्री लच्छी राम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल रेलवे के झांसी डिवीजन में कितने नये माल गोदामों के प्लेटफार्मों व पुराने प्लेटफार्मों के बढ़ाये हुये हिस्सों तथा अन्य स्थानों को ऊंचा करने आदि में मिट्टी के बजाये सिंडर (जला हुआ कोयला) डाला गया ;

(ख) यह सिंडर कितनी तादाद में डाला गया और उसका औसत मूल्य क्या था, और उसकी ढुलाई (रेलवे वैगन का किराया), वैगनों की लदाई, उतराई, आदि में अलग अलग कितना व्यय हुआ ; और

(ग) यदि सिंडर की बजाय मिट्टी डलवाई जाती तो सरकार की निश्चित दर से उस पर कितना व्यय होता ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कहीं सिंडर इस्तेमाल नहीं किया गया । सिर्फ ग्वालियर में मोटर चढ़ाने वाले प्लेटफार्म पर कोयले की राख डाली गयी ।

(ख) जैसा भाग (क) के उत्तर में बताया गया है सिर्फ मोटर चढ़ाने वाले प्लेटफार्म पर १३,५०० घन फुट कोयले की राख डाली गयी, जिसकी लागत १,०८० पये थी । माल डिब्बों से राख नहीं भेजी गयी । भरायी का काम मजदूरों ने किया ।

(ग) कोयले की राख की जगह अगर मिट्टी डाली जाती, तो उसकी लागत १,७५५ पये होती ।

दिल्ली में बिजली का शवदाह-यंत्र[1]

†२५९३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली में बिजली के शवदाह यंत्र के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : नयी दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगरपालिका निगम अब भी इस मसले पर विचार कर रहे हैं ।

घी

†२५९४. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९३५–३६, १९४५–४६, १९४८–४९, १९५३–५४ और १९५६–५७ में भारत में कुल कितने मूल्य के कितने शुद्ध घी का उत्पादन हुआ ;

(ख) इन वर्षों में देश में कितने वनस्पति (जमाये हुये वनस्पति तेलों) का उत्पादन होता था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Crematorium

(ग) इसमें से कितने का निर्यात किया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि घी में अधिकांशत: वनस्पति तेलों की मिलावट की जाती है ;

(ङ) घी में वनस्पति की यह मिलावट घट रही है या बढ़ रही है ; और

(च) यदि पिछले चार वर्षों में सरकार ने इस मिलावट के खिलाफ कोई कार्यवाही की हो तो वह क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) घी के उत्पादन के वर्षवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९४५, १९५१ और १९५६ में की गयी पंचवार्षिक पशु-गणना में इन वर्षों में घी के उत्पादन की संगणना इस प्रकार है :—

वर्ष	परिमाण	अनुमानित कीमत
	(लाख मन)	(लाख पये)
१९४५ . . .	११३·०	१०,०००
१९५१	१०३·१	२०,०००
१९५६	१०६·०	१९,०००

(ख) और (ग). वनस्पति का उत्पादन और निर्यात इस प्रकार रहा :—

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
	हजार टन	(हजार टन)
१९३५–३६ . . .	१८·०	कुछ नहीं
१९४५–४६	१३२·०	कुछ नहीं
१९४८–४९ . . .	१४३·०	कुछ नहीं
१९५३–५४	२००·४	०.९०
१९५६–५७	२६३·८	११.१२

(घ) जी नहीं ।

(ङ) उपलब्ध खबरों से यह प्रतीत होता है कि १९५५ और १९५७ के बीच घी के जिन नमूनों में वनस्पति की मिलावट पाई गयी थी उनमें पांच राज्यों में तो मिलावट की प्रतिशत बढ़ी थी और छ राज्यों में घटी थी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(च) (१) घी में वनस्पति की मिलावट का पता आसानी से लगाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :—

(१) उत्पादन और बिक्री, दोनों के केन्द्रों पर वनस्पति की परीक्षणात्मक जांच और विश्लेषण इस दृष्टि से तीव्र तर कर दिया गया है कि ऐसे वनस्पति का उत्पादन और बिक्री बिलकुल न हो जिस पर बुदोइन जांच का कोई असर न होता हो (तिल के तेल के लिये जो उसे रंगने के साधन का काम करता है)। कारखानों के अभिलेखों की भी बाकायदा जांच की जाती है ताकि इस बात का निश्चय हो सके कि बनस्पति के प्रत्येक बैच की बुदोइन जांच केमिस्ट ने प्रमाणित की है।

(२) वनस्पति में नारियल के तेल के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है क्योंकि वनस्पति में उस तेल के रहने से मिलावट का पता लगाना ज्यादा कठिन हो जाता है।

(२) १९५४ में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम बनने और देश भर में एक से नियम लागू होने से घी के नमूने जमा करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमें दायर करने की कार्यवाही गहनतर बना दी गयी है।

(३) गृह स्वामिनियों तक के लिये घी में मिलावट का पता लगाना आसान बनाने के लिये मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय संस्था ने बुदोइन जांच का एक आसान तरीका निकाल लिया है और इस के लिये एक टेस्ट किट बनाली है। इसमें एक बार की जांच में केवल ३ नये पैसे के रासायनिक-पदार्थ लगते हैं।

लोहे और इस्पात का कबाड़

†२५९५. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हर साल रेलवे से कितना लोहे और इस्पात का कबाड़ निकलता है और उसकी कीमत कितनी होती है ;

(ख) क्या यह ढलाई के कारखानों और इस्पात संयंत्रों को भेजा जाता है ; और

(ग) यदि हां तो १९५६—५८ की अवधि में हर साल ढलाई के कारखानों और इस्पात संयंत्रों को कितना कबाड़ दिया गया है और उसकी क्या कीमत है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) लगभग १,७६,००० टन कबाड़ दिया गया है और उसकी कीमत १७७ लाख रुपये है।

(ख) जी हां।

(ग) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५३]**

जहाज निर्माण के लिये पुर्जे

†२५९६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ अप्रैल १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जहाज बनाने के लिये आवश्यक पुर्जों को भारत में बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : इस मामले की जांच करने के लिये भारत सरकार के प्रधान सर्वेक्षक के सभापतित्व में जो स्थायी प्रविधिक विशषज्ञ समिति बनाई गई थी उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी। इस बीच हिन्दुस्तान शिपयार्ड (लिमिटेड) विदेशी पुर्जों के बदले में देशी पुर्जों के लिये भारतीय निर्माताओं को आर्डर देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। यार्ड ने हाल ही में भारतीय निर्माताओं को लगभग १ लाख रुपये की कीमत के पुर्जों का आर्डर दिया है।

यार्ड ने भारतीय निर्माताओं से इस बात का आग्रह किया है कि वे कुछ ऐसे जहाज बनाने के सामान का निर्माण आरम्भ कर दें जो विदेशों से मंगाया जाता है।

इसके अलावा यार्ड एंकरों तथा डेविट्स के भारत में बनाये जाने के लिये पेंटट लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।

पंजाब में कृषि स्नातकोत्तर गवेषणा प्रशिक्षण केन्द्र

†२५९७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पंजाब सरकार की ऐसी किसी योजना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है जिसके अधीन उच्च उपाधियों के लिये एक क्षेत्रीय कृषि स्नातकोत्तर गवेषणा प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना है ; और

(ख) यदि हां तो योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). भारत सरकार पंजाब सरकार को लुधियाना के वर्तमान कृषि कालेज को ही कृषि विज्ञान की स्नातकोत्तर शिक्षा के केन्द्र में बदलने के लिये वित्तीय सहायता देने को तैयार हो गई है। केन्द्रीय सहायता के अनुदान के पद-निर्देशों और शर्तों को बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५४]** राज्य सरकार की ब्यौरेवार योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर रेलवे में रेलवे कारखाना

†२५९८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उत्तर रेलवे में एक रेलवे कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो ये कारखाने कहां खोलने का प्रस्ताव रखा गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर रेलवे में कोई रेलवे कारखाना खोलने का प्रस्ताव नहीं है। परन्तु पंजाब सरकार के कब्जे का अमृतसर कारखाना १ जून, १९५६ से उत्तर रेलवे ने ले लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

†२५९९. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेलवे श्रमिकों के रेलवे बोर्ड द्वारा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां तो उनकी संख्या कितनी होगी ; और

(ग) वे किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). रेलवे श्रमिकों में अशिक्षा दूर करने के लिये हाल ही में जो समीक्षा की गई थी उसके परिणाम स्वरूप रेलवे प्रशासन को यह सलाह दी गई है कि वह अपनी प्रौढ़ शिक्षा कक्षायें चलाने के अतिरिक्त कर्मचारियों के एकत्रित होने की जगहों पर ५ और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले और संबंधित राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की गई है कि अपने समाज शिक्षा संगठन के जरिये इन केन्द्रों को चलायें। ये हिदायतें अगस्त, १९५८ में ही जारी की गई हैं और संबंधित राज्य सरकारों से उन शिक्षा केन्द्रों को खोलने के लिये सम्पर्क बनाने में रेलवे प्रशासन को कुछ समय लगेगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश में संशोधन

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, १९४८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७९६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ९४१/५८]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचनायें

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० संख्या ८०४ दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ ।

(१) जी० एस० आर० संख्या ८०५ दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या ८०६ दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ९४२/५८]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचनायें

†**श्री मो० वे० कृष्णप्पा** : श्री अ० म० थामस की ओर से मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० संख्या ८१५, दिनांक ११ सितम्बर १९५८ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या ८१६, दिनांक ११ सितम्बर १९५८ ।

(३) जी० एस० आर० संख्या ८१७, दिनांक ११ सितम्बर १९५८ जिसमें दिल्ली (अतिथियों पर नियंत्रण) आदेश, १९५८ दिया गया है ।

(४) राजस्थान चना (निर्यात पर रोक) आदेश १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली जी० एस० आर० संख्या ८१८ दिनांक १२ सितम्बर १९५८ ।

(५) जी० एस० आर० संख्या ८१८-ए दिनांक १३ सितम्बर १९५८ जिसमें चावल (उत्तरी महाखंड) यातायात नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ९५३/५८]

बीमा अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचना

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : मैं बीमा अधिनियम १९३८ की धारा २ग की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८३१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९४४/५८]

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : सभा की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं ताकि भविष्य में मैं अपना आचरण नियमित कर सकूं । पहला प्रश्न यह है कि जब माननीय सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित करके कुछ कहते हैं तो क्या वे अध्यक्ष द्वारा वह बात सभा और सभा द्वारा सामान्य जनता से नहीं कहते हैं और क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों में उन्हें इस प्रकार भाषण देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सदस्यों को अधिकार है कि यदि कोई बात उन्होंने न कही हो और ऐसा कहा जाये तो उन्होंने वह बात कही है तो क्या उन्हें उस बात को ठीक करने का अधिकार है ? यदि उनके बारे में कोई गलतफहमी हो तो क्या उन्हें उसे दूर करने का अधिकार है ? क्या ऐसी गलतफहमी के बारे में तर्क उठाये जा सकते हैं ?

कल मैंने कई बार कहा कि डा० क० ब० मेनन को वक्तव्य देने की अनुमति न देने से जनता में यह भावना पैदा होगी कि सरकार साम्यवादियों की धमकी से डर गई है । यही बात मैंने दोबारा उस समय भी कही जब गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि मैंने कहा है कि कांग्रेस तथा साम्यवादी दल के बीच सांठगांठ है । तुरन्त मैंने उन्हें बताया कि उन्हें मैंने यह बात नहीं कही थी और मने यह भी बताया

---

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

कि मैंने यह कहा था कि राजनीति में यही आवश्यक नहीं है कि कोई बात सही हो बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह जनता को भी सही मालूम हो। बाद में आपने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया कि मैंने कहा कि आप साम्यवादियों की धमकी से डर रहे हैं। फिर भी मैंने आपसे कहा कि मैंने यह नहीं कहा था—मैंने तो यह कहा था कि डा० मेनन को वक्तव्य देने की अनुमति न देने से जनता न जाने क्या क्या सोचेगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार स्पष्टीकरण देने का मुझे अधिकार था पर आपने स्पष्टीकरण को सुनने के बजाय यह कहा कि आपको बाध्य हो कर मुझसे सभा न छोड़ने के लिये कहना पड़ेगा।

साम्यवादी सदस्यों ने मेरे भाषण में अन्तर्बाधायें कीं और शोर मचाया। मैंने कभी किसी साम्यवादी सदस्य के भाषण में विघ्न नहीं डाला। मैं सभा में शान्तिपूर्वक ढंग से भाग लेता हूं। यदि ऐसी बातें होती रहीं तो सभा में भाषण स्वतंत्रता का भी खतरा पैदा हो जायेगा।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष को अधिकार है कि वह किसी माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों को, सभा को या उसे बताये बिना, कार्यवाही के विवरण में से निकाल सकता है। मैं चाहता हूं कि ये सब बातें स्पष्ट कर दी जायें। अन्यथा मुझे भय है कि इस सभा को भी कहीं वैसे ही दृष्य न देखने पड़ें जैसे अन्य राज्य विधान सभाओं में हुये हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात यहां हो।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सभा में मैंने कभी एक दल के सदस्य के रूप में व्यवहार नहीं किया है। हमारे दल के लोगों ने सभा का त्याग किया पर मैं कभी सभा के बाहर नहीं गया। कल भी मैं सभा का त्याग कर सकता था पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा निश्चय है कि जिस दिन मैं सभा का त्याग करूंगा उसके बाद फिर लौट कर नहीं आऊंगा।

अतः मैं इन सब बातों के सम्बन्ध में आपका स्पष्ट विनिर्णय चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि यदि पीठासीन पदाधिकारी का व्यवहार कठोर हो तो हमारे सामने क्या मार्ग है। कुछ दिनों पूर्व सभा में एक महिला सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहती थीं तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था, फिर श्री फ्रेंक एन्थनी ने जब एक प्रश्न उठाया तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ और सभापति तालिका से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया।

उसके बाद अभी कल .....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मैं आपकी बातें काफी सुन चुका हूं। माननीय सदस्य इस प्रकार वाद विवाद में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते। यदि उन्हें कुछ कहना था तो उन्हें मेरी अनुमति लेनी चाहिये थी। पर वह मेरे आचरण पर आरोप लगा रहे हैं। मैं दो-तीन बातें बरदाश्त कर चुका हूं। यदि उन्हें कुछ कहना है तो वह मुझे लिखें मैं उनका उत्तर दूंगा।

जिस ढंग से वह व्यवहार कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। जहां तक उनका व्यक्तिगत मामला है मैंने उन्हें भाषण देने का अवसर दिया और उनकी बातें सुनी पर वह अन्य अनेक मामलों को ले रहे हैं जैसे मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध कर रहे हों। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह यह रवैया छोड़ दें। जहां तक उनकी बातों का सम्बन्ध है, मैं कल की कार्यवाही देख कर इस मामले का स्पष्टीकरण

---

†मूल अंग्रेजी में

दूंगा। यदि मैंने कोई कठोर व्यवहार किया है तो मैं अपने कठोर व्यवहार के लिये खेद प्रकट करूंगा। अपने सम्बन्ध में वह बता सकते हैं कि उनके साथ क्या ज्यादती हुई है, अन्य माननीय सदस्यों की बात वह न उठायें।

माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई हैं उन पर मैं विचार करूंगा। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं और मुझे आशा नहीं थी कि वह ऐसी बात कहेंगे कि "अन्यथा, इस सभा में भी वैसे ही दृश्य उपस्थित होंगे।" अच्छा होता कि उन्होंने इतनी बड़ी बात न कही होती। वह इस सभा से कोई भी दृश्य उपस्थित कर सकते हैं।

आचार्य कृपालानी : मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात को गलत तरीके से कह रहे हैं। मैंने यह कहा कि इस सभा की कार्यवाही में भी अन्तर्बाधायें पैदा होंगी जैसा कि अन्य स्थानों पर होता है। मैंने जो कुछ भी कहा है बहुत समझ बूझ कर कहा है—एक-एक शब्द पर अच्छी प्रकार विचार करके कहा है। मैं अध्यक्ष पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। पर मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है और मैं यह नहीं चाहता कि कोई भी सदस्य या अध्यक्ष भी मेरी बात का गलत अर्थ निकालें।

आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं यह कहूं कि यदि हम आवेश में आ जाते हैं तो कम से कम सभापति का कर्तव्य है कि वह शान्त रहें उत्तेजित न हों और न्यायपूर्ण रवैये से न डिगें। बस, मुझे और कुछ नहीं कहना है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

†**श्री मी० रू० मसानी** (रांची-पूर्व) : श्रीमान्, मैं सभा के कुछ सदस्यों तथा सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न उठाने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं। जो सूचना मैंनें दी है, उसमें मैंने केरल के मुख्य मंत्री द्वारा गृह-कार्य मंत्री को भेजे गये तार के विषय में उल्लेख किया है। उस तार में मुख्य मंत्री ने इस सभा के कुछ सदस्यों पर यह लांछन लगाया है कि उन्होंने राज्य के प्रति अपमान वचन कहे हैं।

राज्य सरकार के प्रति अपमान वचन कहने का आरोप एक बहुत गम्भीर आरोप है जो माननीय सदस्यों पर लगाया गया है। यदि इस तरह की बातें होंगी और माननीय सदस्यों की सद्भावना पर संशय किया जायेगा तो मुझे डर है कि सभा में भाषण स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी। जिस आधार पर हमने यह विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया है, उसके सम्बन्ध में "मेरी पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस" में कहा गया है यदि सभा के माननीय सदस्यों का, यदि विशेष रूप से किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया हो, अपमान किया जाता है तो वह सभा का अपमान समझा जायेगा। माननीय सदस्यों के आचरण और व्यवहार पर निर्णय करने का अधिकार इस सभा को ही है, किसी मुख्य मंत्री या न्यायालय को नहीं है।

मैं नहीं जानता कि किन माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में यह बात कही गई है पर मेरा अनुमान है कि श्री अशोक मेहता और डा० क० ब० मेनन के विरुद्ध अपमान वचन कहने का आरोप लगाया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले को उठाया जाये, ताकि यह सभा यह निश्चय कर सके या तो श्री नम्बूद्रीपाद को इस सभा की न्यायालय में बुलाया जाये या यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये और समिति सभा को अपना प्रतिवेदन दे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : मैं विशेषाधिकार समिति का सदस्य हूं और मैं उस बात को मानता हूं कि इस सभा के सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनकी रक्षा की जाये। मैं नहीं जानता कि श्री मसानी के विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या शब्द प्रयोग किये गये हैं। मैं ने उनको यह कहते सुना है कि केरल के मुख्य मंत्री ने इस सभा के कुछ सदस्यों के आचरण के सम्बन्ध में अपमान वचन कहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वास्तविक शब्द क्या हैं।

†**श्री मी० रू० मसानी** : "स्पष्टीकरण के नाम पर राज्य सरकार के प्रति अपमान वचन करने का प्रयत्न करना।" ये शब्द हैं, जो ऐसा बताया गया है कि मुख्य मंत्री ने अपने तार में लिखे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या यह वही तार है जिसे कल गृह-कार्य मंत्री ने दिखाया था। पर त्रिवेन्द्रम से पी० टी० आई० ने इस समाचार को सरकारी साधनों से प्राप्त कह कर घोषित किया है। शायद गृह-कार्य मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालें।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं इस मामले के प्रविधिक पहलू के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि यह तार केरल के मुख्य मंत्री और केन्द्र सरकार के बीच की बात है। हमारे सामने ऐसा कोई अधिकृत साधन नहीं है, जिसके आधार पर यह सभा इस मामले को उठाये। किसी अखबार के समाचार में हो सकता है कि इस सम्बन्ध में कुछ संकेत हो। पर हम इस सभा में तब तक किसी राज्य के मुख्य मंत्री के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते, जब तक कि हम उनके तार के अधिकृत होने के सम्बन्ध में निर्णय न कर लें। मैं नहीं समझता कि हम लोग किसी राज्य के मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में इस प्रकार की बात कहने के अधिकारी हैं।

अतः मैं चाहता हूं कि इस विषय को विशेषाधिकार समिति को सौंपने से पहले आवश्यक यह है कि प्रस्ताव की भाषा को कुछ ठीक किया जाये ताकि उसमें हमारे देश के प्रशासन के किसी भाग की गरिमा को किसी प्रकार ठेस न पहुंचे। केरल के मुख्य मंत्री और भारत सरकार के बीच जो तार आये-गये हैं वह हमारे सामने नहीं हैं। हमारे सामने केवल एक अखबार की सूचना है। तो क्या हम अखबार की सूचना पर ही इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा करना संसदीय परिपाटी के विरुद्ध होगा। अतः हमें संसदीय परिपाटियों के अनुसरण में ही कार्यवाही करनी चाहिये।

†**डा० क० ब० मेनन** (बडागरा) : मुख्य मंत्री के तार में कहा गया है कि "स्पष्टीकरण के नाम पर संसद् सदस्यों द्वारा राज्य सरकार के प्रति अपमान वचन कहने का प्रयत्न करना।"

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उनके पास तार की कोई प्रति है।

†**डा० क० ब० मेनन** : मैंने तार की प्रति प्राप्त करने की कोशिश की पर वह मुझे प्राप्त नहीं हो सकी।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम तार की अनुपस्थिति में अखबार में प्रकाशित इस समाचार के ऊपर ही कार्यवाही करें।

†**डा० क० ब० मेनन** : ऐसा स्पष्ट है कि इसमें मेरा और मेरे साथी श्री अशोक मेहता के नाम का उल्लेख उसमें हुआ है। "स्लेन्डर" शब्द का अर्थ है द्वेषपूर्ण भावना से झूठा आरोप लगाना—मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस सभा के अधिकारों के महान संरक्षक होने के नाते आप हमारे

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिकारों की रक्षा करें और हमें बचायें ताकि हम पर कोई झूठे आरोप न लगाये जायें। मैं आप से यह भी नहीं कहता कि आप अपना निर्णय अभी दें। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें और समिति अपना निर्णय दे। मैं गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि यदि वे उस तार को पढ़ कर सुना सकें, तो सुनायें।

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिण्डा): मैं विशेषाधिकार समिति का सभापति हूं इसलिये मैं समझता हूं कि इस मामले में मेरा दखल देना अनुचित न होगा। श्री मसानी के प्रस्ताव पर आपने कहा था कि इसका परीक्षण किया जाये और मैंने इसकी जांच कर ली है। "स्लैन्डर" शब्द का अर्थ है—झूठा आरोप लगाना; यह बात मैं मानता हूं। पर हमें यह देखना है कि हमारे सामने ऐसा कौनसा अभिलेख है जिसके आधार पर हम कार्यवाही कर सकते हैं। तार हमारे सामने है नहीं और अखबार के समाचार को हम अधिकृत नहीं मान सकते। राज्य सरकार और गृह-कार्य मंत्री के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है वह गुप्त है। अतः उस पर हम चर्चा भी नहीं कर सकते। यह ठीक है कि पी० टी० आई० ने कहा है कि यह समाचार अधिकृत है अतः या तो राज्य के मुख्य मंत्री ने इस समाचार को दूसरों को बताया है या किसी प्रकार से इसका भेद खुल गया है। यदि उन्होंने स्वयं बताया है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। फिर भी, चाहे जो कुछ भी हो, क्या सभा इस समाचार को अधिकृत मान कर कोई कार्यवाही कर सकती है? यदि किसी भी प्रकार से इस समाचार का भेद खुल गया है तो भी शायद हम इस सम्बन्ध में कुछ भी करने के अधिकारी नहीं हैं।

सबसे पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि प्रस्ताव को पढ़ने के बाद मेरा विचार है कि केवल समाचार पत्र में प्रकाशित बात को हम इस बात का आधार नहीं बना सकते जब तक कि हमें इसका मूल अभिलेख प्राप्त न हो जाये। मूल अभिलेख के बिना कोई भी कार्यवाही करना उचित न होगा। दूसरी बात मुझे यह कहना है कि हाउस आफ कामन्स में १९०७ में इस प्रकार का एक मामला आया था। उस मामले में वहां के अध्यक्ष ने अपना निर्णय दिया था कि राजनैतिक वाद-विवाद में आवेश में आकर लगाये गये आरोप से संसद् के सदस्यों के अपमान की बात पैदा नहीं होती और उस मामले पर कोई कार्यवाही भी नहीं की गई थी।

दो बातें जरूरी हैं। पहली बात, कि उसमें सद्भावना पर संदेह किया गया हो और दूसरे बुरी नीयत हो। हमारे पास सिर्फ "स्लैन्डर" (अपमान-वचन) शब्द है, जिसे राज्य सरकार ने इस्तेमाल किया है। इसका अर्थ चाहे कुछ भी हो विशेषाधिकार समिति को यह भी देखना पड़ेगा कि मुख्य मंत्री की नीयत खराब थी या नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय**: सब से पहले हमारे पास अधिकृत वक्तव्य होना चाहिये। आरोप की बात का पता वास्तविक शब्दों को ही देख कर लगाया जा सकता है। बिना प्रमाण के हम कोई आरोप नहीं लगा सकते। श्री ही० ना० मुकर्जी विशेषाधिकार समिति के सदस्य हैं और उपाध्यक्ष महोदय ने भी, जो इसके सभापति हैं, अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत किये। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं या तो मैं इस मामले को सभा के सामने रखूं या विशेषाधिकार समिति को सौंपूं। यहां इस मामले को लाने के पूर्व नियमों के अधीन इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में निर्णय करने से पूर्व मैं यहां सदस्यों के विचार सुन सकता हूं हो सकता है कि स्पष्ट रूप से यह प्रस्ताव ग्राह्य न हो। पर यदि मुझे कोई सन्देह होगा तो मैं इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप कर उसकी राय लेने के पश्चात् अपनी अनुमति दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

इस अवस्था में मैंने अपनी अनुमति नहीं दी है। मैं तो श्री मसानी की बात सुनना चाहता था। उपाध्यक्ष महोदय केवल इस बात को बता रहे हैं कि मूल अभिलेख की अनुपस्थित में समाचार पत्र की सूचना पर हम कोई कार्यवाही नही कर सकते।

†**श्री महन्ती** (ढेकानाल) : इस विषय पर चर्चा करने के लिये गृह-कार्य मंत्री से निवेदन किया जाये कि वे तार को सभा-पटल पर रखें।

†**सरदार हुक्म सिंह** : श्री मसानी को जो आपत्ति है वही आपत्ति मुझे भी है कि जो शब्द प्रयोग किये गये हैं, वह आपत्तिजनक हैं। पर जब तक हमें यह पता न लगे कि किस सन्दर्भ में ये शब्द प्रयुक्त हुये हैं तब तक हम क्या कह सकते हैं। सन्दर्भ से अलग होने पर शब्दों के अर्थों में बहुत अन्तर हो जाता है।

मैं इस मामले के गुण और दोषों की बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो सामग्री है क्या उसके आधार पर हम किसी पर आरोप लगा सकते हैं। मुझे एक बात और कहनी है कि यह भी हम ही ने निश्चय किया है कि यदि एक सभा के किसी सदस्य द्वारा किसी दूसरी सभा का अपमान किया जाये तो उस मामले को कार्यवाही के लिये उस सभा में भेजा जायेगा। अतः इस मामले में आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित–आंग्ल भारतीय) : मेरा निवेदन है कि ये जो अखबार का समाचार है इसमें सभा के माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है। इतनी बात पर आप आसानी से अपनी अनुमति दे सकते हैं कि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये। विशेषाधिकार समिति समाचार देने वाले पत्र या पत्र के रिपोर्टर को बुलाकर छान बीन करेगी और यदि समिति समझती है कि मुख्य मंत्री ने यह समाचार दिया है तो समिति उनसे भी छानबीन कर सकती है। इस अवस्था में यही करना समुचित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय गृह-कार्य मंत्री।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : श्रीमान् २१ तारीख को प्रातः काल या उसके लगभग केरल के मुख्य मंत्री का तार मुझे मिला था। उस तार में उन्होंने दो बातों का उल्लेख किया था एक बात श्री अशोक मेहता के स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में थी। मैंने उनसे निवेदन किया था कि यहां जो कुछ कहा गया है उसके सम्बन्ध में उनका क्या कहना है वह मुझे लिखें और जैसा कि आपने निदेश दिया था मैंने उनसे यह भी पूछा था कि जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया था उनके बारे में उनका क्या कहना है। एक बात तो उस तार में यह थी।

दूसरी बात थी डा० क० ब० मेनन के प्रस्ताव के बारे में। इस सम्बन्ध में उन्होंने उस समाचार की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है कि वह इस संबंध में शायद एक वक्तव्य देने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूं कि इस अवस्था में वह डा० मेनन के प्रस्ताव की अनुमति न दें और राज्य सरकार को अपनी बात कहने का अवसर दें ताकि सारी स्थिति सभा के सामने स्पष्ट हो जाये। वह तार मैंने अध्यक्ष महोदय को दिखा दिया था। उसे मैंने अन्य किसी व्यक्ति के पास नहीं भेजा और न ही उस को मैंने प्रकाशित कराया। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं ने उससे अधिक कुछ भी करना पसंद नहीं किया जितना मुझसे करने को कहा गया था। मैंने तार प्राप्त किया था। मुझसे कहा गया था कि मैं उसे अध्यक्ष महोदय को दिखा दूं और मैंने उसे उन्हें दिखा दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहले केरल के मुख्य मंत्री का जो तार आया था उसी के सम्बन्ध में आज मुझे उनका एक दूसरा तार मिला है। उस तार को भी मैं अध्यक्ष महोदय की जानकारी में ला चुका हूं क्योंकि मुख्य मंत्री की ऐसी इच्छा थी। इस तार में उन्होंने लिखा है कि किसी पर आरोप लगाने की या ऐसी कोई भी इच्छा उनकी नहीं थी ।

इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तार आपके लिये था और मैंने उसे आप के सामने पेश कर दिया। आज के तार की भी एक प्रति मैं आपके पास भेज चुका हूं। आगे आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं ।

†**आचार्य कृपालानी :** आपने दूसरे तार में केरल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि किसी पर कोई आरोप लगाने का उनका इरादा नहीं था। इसका अर्थ है कि वह पहले तार की बात को स्वीकार करते हैं। यह मामला विशेषाधिकार समिति के सामने रखा जाना चाहिये वह सारी जानकारी का पता लगा लेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय ने 'हाउस आफ कामन्स' का उदाहरण हमारे सामने रखा। पर आवेश में कही गयी बात और समझ बूझ कर तार में लिखी गयी बात में अन्तर होता है। यह तो समझ-बूझ कर लिखी गयी बात का मामला है। कही गई बात और लिखी गई बात में बहुत फ़र्क होता है ।

†**श्री मी० रू० मसानी :** आप अपना निर्णय दें इसके पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने जो स्पष्टीकरण दिया है उससे मामला सरल हो गया है। मेरा निवेदन है कि दोनों तार विशेषाधिकार समिति को सौंप दिये जायें। समिति इस बात पर विचार करे कि क्या पहले तार द्वारा सभा का अपमान किया गया था या नहीं और क्या दूसरे तार द्वारा समुचित पदाधिकारी ने अपमान का परिमार्जन कर दिया है या नहीं। इन बातों पर विचार करने के बाद समिति सभा को बतायेगी कि अपमान अभी बरकरार है या उसका परिमार्जन हो गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब यह विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव मेरे पास आया तो मैंने तथ्यों का पता लगाने का प्रयत्न किया। समाचार पत्र में जब यह बात प्रकाशित हुई और श्री मसानी ने जब मुझे इसे दिखाया तो मैंने वास्तविक स्थिति का पता लगाने की। कोशिश की माननीय सदस्यों को पता है कि मूल तार हमारे पास नहीं है। उपाध्यक्ष को यह मामला मैंने इसीलिये सौंपा था कि वह नियम २२७ के अधीन इसका परीक्षण करें। नियम २२७ में कहा गया है :

> "इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा ।"

अतः नियम २२७ के अधीन मैं मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप सकता हूं और समिति सभी सम्बन्धित पत्रों को मंगा कर उनकी छानबीन कर सकती है ।

माननीय मंत्री ने मुझे पहले तार की प्रति नहीं दी थी। उन्होंने केवल सम्बद्ध अंश मुझे दिखाया था या मैंने ही तार में अपने मतलब की बात को ही देखा। यह उचित ही है कि यदि किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी हो तो उसे अपनी बात कहने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिये। अतः सबसे पहले मैंने मामले की जांच करना उचित समझा। यद्यपि डा० मेनन के प्रस्ताव के बारे में विलम्ब हुआ है फिर भी यह प्रक्रिया उचित ही थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

यदि माननीय मंत्री इन तारों को सभा पटल पर रखने को तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उन पर विचार करूंगा। पर ध्यान रहे कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने तारों को मेरे पास नहीं भेजा यह ठीक ही है। क्योंकि नियम ४१ (२) (बीस) में कहा गया है कि :

"उसमें मंत्रिमण्डल में की जाने वाली चर्चा या राष्ट्रपति को किसी ऐसे विषय के बारे में दी गई मंत्रणा सम्बन्धी जानकारी नहीं मांगी जायेगी जिस के सम्बन्ध में जानकारी प्रकट न करने का संवैधानिक, संविहित या रूढ़िगत दायित्व हो ;"

फिर नियम ४२ में कहा गया है कि :

"जिन विषयों पर भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा हो या हो चुका हो उनके बारे में तथ्य विषयों को छोड़ कर कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा और उत्तर तथ्य कथन तक ही सीमित होगा।"

अतः सभा को तारों की प्रतियां कैसे मिल सकती हैं। क्या गृह-कार्य मंत्री उन्हें सभा-पटल पर रखने को तैयार हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** आज के तार की एक प्रति मैंने आप के पास भेज दी है। पहला तार मैंने आप को केवल दिखा दिया था क्योंकि आपके पास उसकी प्रति भेजने में अधिक समय लगता और मेरे पास समय कम था। आपको दिखाने के अतिरिक्त मैंने वह तार अन्य किसी को नहीं दिखाया है क्योंकि तार में क्या कहा गया है उसको प्रकाशित करने के आरोप का भागी मैं नहीं बनना चाहता था।

पहले तार में जो कि मैंने आप को दिखाया था, मुझ से मांग की गयी थी कि मैं आप से अनुरोध करूं कि सभा में वक्तव्य दिये जाने के पूर्व केरल सरकार को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिये। आज के तार में मुख्य मंत्री ने कहा है कि वह गोपनीय तार था और वह आप के लिये ही था अतः मैंने आप को दिखा दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** बाद वाला तार माननीय मंत्री ने मुझे दिया है, जिसमें कहा गया है, "देखिये मेरा २० तारीख का तार तथा संसद में विशेषाधिकार उल्लंघन सम्बन्धी प्रस्ताव—जैसा कि समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है। इस तार को प्रकाशित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यह आपके ही लिये है।" क्या इस तार के समाचार के प्रकाशन के लिये माननीय गृह-कार्य मंत्री उत्तरदायी हैं ? यह भी तो हो सकता है कि तार गुप्त रीति से लिखा गया हो। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने सम्भवतः इस सूचना को समाचर पत्रों को दे दिया हो। मैं एक तर्क आपको दे रहा हूं। क्या हमें इस बात का अनुचित लाभ उठाना चाहिये मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि क्या वे तारों को सभा-पटल पर रखेंगे ? चूंकि तार गोपनीय हैं अतः माननीय मंत्री उन्हें सभा-पटल पर रखने के इच्छुक नहीं हैं।

अतः दो बातें हमारे सामने हैं। एक बिना तारों को सभा-पटल पर रखे, क्या हम अखबार के समाचार के आधार पर कोई कार्यवाही कर सकते हैं। दूसरे चूंकि पहला तार तो हमारे सामने रखा नहीं गया है और दूसरा रखा गया है। अतः क्या हम पहले तार के अभाव में दूसरे तार को अपनी विषय-वस्तु बना सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः, क्या माननीय मंत्री उसे गोपनीय समझते हैं ? यदि ऐसा नहीं है तो वह उसे सभा-पटल पर रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** केरल के मुख्य मंत्री या गृह-कार्य मंत्री के यह कहने से क्या होता है कि ये गोपनीय तार हैं । आप उनसे तार प्राप्त कर सकते हैं । फिर हम सारा तार नहीं मांगते । हम तो सिर्फ उतना भाग चाहते हैं जिसमें आरोप सम्बन्धी बात कही गयीं हैं । जब न्यायालयों तक में मजिस्ट्रेट किसी दस्तावेज़ को मांग सकते हैं तो इस सभा के अध्यक्ष होने के नाते इस तार को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** (राची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): गृह-कार्य मंत्री आप को जब तार दिखाया था तो वह व्यक्तिगत हैसियत से तो आये नहीं थे । अतः उन्होंने आप को अध्यक्ष की हैसियत में तार दिखाया था । अतः वह विषय आप के अधीन हो जाता है । हम यह नहीं कह सकते कि आप को दिखाये जाने के बाद अब वह मामला सभा या आप के अधीन नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने उस तार में सिर्फ यही देखा था कि केरल के मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्हें अपनी बातें प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाये । मैं नहीं कह सकता कि 'स्लैंडर' (अपमान-जनक) शब्द का प्रयोग उसमें हुआ है या नहीं ।

†**श्री मी० रू० मसानी :** पहले तार के दो दिन बाद दूसरा तार आया है और उसमें लिखा है कि पहला तार गोपनीय समझा जाये; अतः पहले तार को भूतलक्षी प्रभाव से गोपनीय नहीं बनाया जा सकता । माननीय मंत्री ने कहा है कि वह आप के हाथों में हैं । अतः आप उनसे अनुरोध करें कि वह दोनों तारों को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें ताकि उस समिति के सभापति नियम २२७ के अधीन सभा को अपना प्रतिवेदन दें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बाद वाले तार में भी पहले तार का उल्लेख इस प्रकार है । "देखिये मेरा २० तारीख का तार" । यह तार मुझे व्यक्तिगत हैसियत से नहीं भेजा गया है बल्कि अध्यक्ष की हैसियत से भेजा गया है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त:** पहला तार जो मैंने आपको दिखाया था वह भी व्यक्तिगत हैसियत में नहीं था । इस संबंध में जब भी मैं आपके पास आया हूं तो मैं केरल के मुख्य मंत्री का सन्देश आप तक पहुंचाने आया हूं । यह मेरा कर्तव्य था और मैंने उसे पूरा कर दिया । मेरा उन पत्रों को प्रकाशित करने से कोई मतलब नहीं था क्योंकि मैंने तो उतना ही किया है जो मुझ से करने के लिये कहा गया था । शेष जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम को स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये । जहां तक इस पत्र का सवाल है वह प्रकाशित हो चुका है । मुझे वह मिल गया है और मैं उसे पढ़ कर सुनाऊंगा । मैं समझता हूं कि केरल के मुख्य मंत्री ने मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि उन्हें स्थिति स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त समय दिया जाय । यदि वह पत्र मुझे देने के लिये दिया गया होता तो मैं उसे स्वीकार कर लेता ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैंने जब आपको पत्र दिखाया था तो मेरा विचार था कि उसकी प्रति आप के पास भेजने और दिखाने दोनों का अर्थ एक ही है और दोनों से उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उसकी प्रति मुझे दी गयी होती तो मैं उसे सभा में ले आता और वह सभा की सम्पत्ति हो जाता। इस तार का मतलब तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि पहला तार सभा के सामने न हो।

इस तार में कहा गया है कि

> ".....पहला तार बिल्कुल व्यक्तिगत और गोपनीय संचार था और इस दृष्टि कोण से भेजा गया था कि आप केरल के दृष्टिकोण को माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थित कर सकें।"

शायद मुख्य मंत्री ने माननीय मंत्री जी से यह तार मुझे दिखाने के लिये ही कहा था। जब तक वह तार यहां पढ़ा न जाये मैं उसे सभा की सम्पत्ति नहीं मानता। जब तक माननीय मंत्री उस तार को पढ़ कर नहीं सुनाते मैं उनसे नहीं कह सकता कि वह उसे सभा पटल पर रखें। मे की "पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस" में भी यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि यदि कोई मंत्री किसी पत्र-व्यवहार का उल्लेख करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस पत्र-व्यवहार को सभा के सामने अवश्य रखे। यदि माननीय मंत्री चाहते तो कह सकते थे कि मुझे एक तार मिला है और मैं उसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं। उस स्थिति में मैं उन्हें सभा-पटल पर रखने की अनुमति दे देता। केवल तार का उद्धरण देने पर मैं उनसे नहीं कह सकता कि वे उसे सभा पटल पर रखें। यदि उसमें कोई बात गोपनीय है तो मैं यह नहीं चाहता कि मैं नियमों का भंग करूं और जो विश्वास मुख्य मंत्री ने माननीय मंत्री में प्रकट किया है उसे भंग करूं। तार की जो प्रति मुझे मिली है वह इस प्रकार है :—

> "इस तार को प्रकाशित करने का मेरा कोई रादा नहीं था। इसके विपरीत यह केवल आप के लिये था। इसके अतिरिक्त किसी संसद्-सदस्य के आचरण या सभा की कार्यवाही पर कोई आरोप लगाने का भी इरादा नहीं था। ..... कृपया माननीय अध्यक्ष के सामने स्थिति स्पष्ट कर दीजिये और यह भी बता दीजिये किसी सदस्य या सभा पर आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं था।"

इस तार की प्रति मुझे मिल चुकी है। पर जब तक दोनों तार न मिलाये जायें हम कोई निश्चय नहीं कर सकते। मैं माननीय मंत्री से यह नहीं कह सकता कि वह तार को सभा-पटल पर रखें क्योंकि वे कहते हैं कि यह पत्र व्यवहार गोपनीय है। अतः मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस मामले पर जोर न डालें। मैं इस समय इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं देता।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह आपकी आज्ञानुसार काम करने को तैयार हैं, अतः मैं समझता हूं कि आप उनसे कहें कि वह आपको उस तार की एक प्रति । यही सबसे अच्छा उपाय है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह उस तार को सभा-पटल पर रखें।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री ने मुझे लिखा है कि वह तार गोपनीय है और प्रकाशित करने के लिये नहीं है और उन्होंने स्वयं भी उसे प्रकाशित नहीं किया है। प्रथम तार में श्री अशोक मेहता और श्री मेनन के प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। जिसका मैं जिक्र

---

†मूल अंग्रेजी में

कर चुका हूं। हमारा मतलब इस समय तार के दूसरे भाग से है। मुख्य मंत्री ने निवेदन किया है कि डा० मेनन ने जो कुछ कहा है, उसके संबंध में उन्हें स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया जाये और डा० मेनन से कहा जाये कि वह अभी इस मामले में कोई स्पष्टीकरण न दें। दूसरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में भी उसमें उल्लेख था। उसी स्थगन प्रस्ताव के संबंध में, आपके निदेशानुसार, मैंने उनसे कुछ सुसंगत जानकारी की मांग की थी। पर वह बात इस मामले से सम्बद्ध नहीं है। इस तरह की जानकारी का तार भेजते समय कोई व्यक्ति हो सकता है शब्दों पर समुचित ध्यान न रख पाये। यह एक सरकारी पत्र है और वैसे मैं आपके अधीन हूं और आप जो कुछ कहेंगे करूंगा। पर आप इस बात पर ध्यान दें कि मुख्य मंत्री ने जो कुछ तार में कहा है उसको ध्यान में रखते हुये मामले को आगे बढ़ाना कहां तक समुचित होगा। और क्या आपके लिये यह उचित होगा कि आप उन तारों को मुझे सभा-पटल पर रखने के लिये कहें। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पूरा तार सभा-पटल पर रखा जाये या चर्चा से सम्बद्ध भाग को ही केवल; यह सब बातें विचारणीय हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस मामले पर अच्छी तरह ध्यान दें क्योंकि इस सभा में जो कुछ भी होता है उससे पूर्व दृष्टांत बनते हैं। जो परिपाटी हम बनायेंगे केवल आज के लिये ही नहीं होगी बल्कि हमेशा के लिये होगी और हर राज्य-विधान मंडल के लिये तथा संसद् के लिये होगी। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मामले पर अन्तिम निर्णय देने से पूर्व अच्छी प्रकार विचार कर लें। मुख्य मंत्री का तार गोपनीय है। मैं यह भी कह सकता था कि चूंकि यह गोपनीय है इसलिये सभा-पटल पर नहीं रखूंगा। पर, चूंकि इस मामले में संसद् इतनी रुचि ले रही है अतः मेरे लिये ऐसा कहना उचित न होगा और मैं नहीं चाहता कि संसद् और अध्यक्ष महोदय की इच्छा के विरुद्ध मैं किसी जानकारी को छिपाऊं। पर मैं अध्यक्ष महोदय और सभा से निवेदन करूंगा कि चूंकि यह एक गोपनीय तार है और मुख्य मंत्री ने यह भी कहा है कि मेरा अभिप्राय किसी पर आरोप लगाना नहीं है, अतः मैं समझता हूं कि इस मामले पर दुबारा विचार किया जाये। वैसे मैं इस समय और भविष्य में हमेशा अध्यक्ष महोदय की आज्ञा मानने को तैयार हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय विधि मंत्री।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर जो सहायता मैं दे सकता हूं उसे देना मैं अपना कर्तव्य समझाता हूं।

यह एक ऐसा मामला है जिसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अतः ऐसे मामले में भावावेश से काम लेना उचित नहीं है। इस सभा के विशेषाधिकार और उसका गौरव दृढ़ आधार पर ही बनाये जाने चाहियें; यदि हम इस प्रकार के मामलों पर सावधानी के साथ विचार नहीं करेंगे तो हम उस आधार को पक्का नहीं बना पायेंगे।

सरकारी कागजात के संबंध में यह भावना है कि प्रत्यक्षतः वे गोपनीय होते हैं। यह प्रश्न किसी दल या समूह का नहीं है बल्कि यह सभा के विशेषाधिकार और सम्मान का प्रश्न है। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे धैर्यपूर्वक विचार करें। मेरा निवेदन है कि राज्य के मुख्य मंत्रियों और गृह-कार्य मंत्री या प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति के बीच होने वाले पत्र-व्यवहार का केवल इस आधार पर परीक्षण नहीं किया जा सकता किसी ने कुछ आरोप लगाया है या समाचार पत्रों में कुछ खबर छपी है। इस प्रकार सरकारी काम नहीं चलाया जा सकता। स्पष्ट रूप से यह पत्र-व्यवहार गोपनीय होते हैं और जब तक कि इस बात का प्रमाण न हो कि ये तार आपके पास अध्यक्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

महोदय की हैसियत के रूप में पहुंचाने के लिये ही थे तब तक आप इस बात पर जोर न डालें कि इन्हें सभा-पटल पर रखा जाये। मैं इस बात को इसलिये नहीं कह रहा हूं कि यह केरल सरकार का मामला है, बल्कि मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमें राज्यों और केन्द्र के संबंधों को अच्छी प्रकार बनाये रखना है। और बिना किसी आधार पर कि क्या यह तार अध्यक्ष की हैसियत में आपको भेजे गये हैं, इन्हें किसी तथाकथित आरोप के आधार पर सभा-पटल पर नहीं रखा जाना चाहिये क्योंकि इससे भविष्य में केन्द्र और राज्यों के पत्र-व्यवहार संबंधी मामले में कठिनाई पैदा हो सकती है। मेरा निवेदन है कि आप मुख्य मंत्री के वक्तव्य को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा कि उन्होंने उस तार में कहा है। अतः केरल के मुख्य मंत्री के दूसरे तार को देखते हुये मैं समझता हूं कि इस सभा की गरिमा इसी में होगी कि वह इस मामले को आगे न बढ़ाये और मैं श्री मसानी से भी निवेदन करूंगा कि वह निर्णय के लिये आग्रह न करें।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं नहीं।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्री नम्बूद्रीपाद के दूसरे तार के आ जाने के बाद आप इस प्रार्थना को स्वीकार करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं इस मामले को खत्म समझूंगा और अगले मामले को लेता हूं।

†**श्री नाथ पाई** (राजपुर) : क्या इस सत्र के पूर्व हमें आपका विनिर्णय मिल जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रयत्न करूंगा श्री मसानी और अन्य माननीय सदस्यों के कहने से मैंने माननीय मंत्री से उस तार को सभा-पटल पर रखने की मांग की थी। मुझे स्वयं भी सन्देह था कि ऐसी गोपनीय बात को सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता। विधि मंत्री ने भी अपनी राय दी है। यह बात माननीय मंत्री की इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी पत्र को सभा-पटल पर रखने से इंकार कर दें। वे कह सकते हैं कि तार गोपनीय है और अन्य भी अनेक कारण हैं। अतः मैं इस मामले में अपना निर्णय तुरन्त नहीं दे सकता। मैं इस पर विचार करके निर्णय करूंगा।

†**श्री मी० रू० मसानी** : क्या आप अपना निर्णय सभा को सूचित करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : अवश्य।

तारांकित प्रश्न संख्या ४१, ५४, ५५ और ६२ के अनुपूरकों के उत्तरों का स्पष्टीकरण

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम की ओर से मुझे निम्नलिखित वक्तव्य देना है।

१२ अगस्त, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४१, ५४, ५५ और ६२ पर डा० राम सुभग सिंह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने सभा को बताया था कि लंदन सम्मेलन इसलिये स्थगित कर दिया गया था क्यों कि भारत उस प्रश्न पर विचार करने के लिये कुछ समय चाहता था।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने यह उत्तर इसलिये दिया था क्योंकि मैं समझता था कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने वैकल्पिक योजना प्रस्तुत कर दी थी तो उसके बाद लंदन सम्मेलन क्यों स्थगित किया गया। पर ऐसा लगता है कि शायद माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि लंदन में होने वाली बैठक के आरंभ होने की तिथि अकस्मात् ही क्यों स्थगित कर दी गयी। इस संबंध में स्थिति यह है कि लंदन सम्मेलन जून, १९५८ के अन्त में आरंभ होने वाला था। पर वास्तव में ७ जुलाई, १९५८ को आरंभ हुआ। पाकिस्तान की प्रार्थना पर उसे स्थगित किया गया था।

वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा वर्ष १९५८–५९ के आय व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी। सभी मांगों पर एक साथ चर्चा होगी।

वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
३	नमक	४,००० रुपये
१२८	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय	४,९०,००,००० रुपये
१३०	सड़कों पर पूंजी व्यय	५२,०८,००० रुपये

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी):** श्रीमान, ५ सितम्बर, १९५८ को सभा के समक्ष जो अनुपूरक अनुदानों की मांगे रखी गयीं उन में एक गलती हो गई —मांग संख्या १२८ के व्याख्यात्मक पाद टिप्पण के दूसरे वाक्य में यह कहा गया है कि बरमा आयल कम्पनी तथा आसाम आयल कम्पनी के करारों की प्रतियां फरवरी में सभा पटल पर रखी दी गईं थीं। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ ; प्रतियां १७ फरवरी, १९५८ को संसद् पुस्तकालय में भेज दी गईं थीं। यह छपाई की गलती है।

†**श्री नारायणन कुट्टी मेनन** (मुकन्दपुरम्): श्रीमान्, मैं केवल तेल के विषय में कुछ विचार प्रकट करूंगा।

इस से पहले तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य की सराहना करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं क्योंकि अत्यन्त स्वल्प अवधि में उन्होंने तेल की सफल खोज की है। हमें आशा है कि खम्बभात में हमें इतना तेल अवश्य ही मिल जायेगा जिसे हम निकाल सकें और उस में लाभान्वित हो सकें। ज्वालामुखी में भी इनका काम सराहनीय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायण कुट्टी मेनन]

खम्बभात के तेल से तो हमारी आर्थिक व्यवस्था पर ही बहुत प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में आज तक हम तेल की खोज इत्यादि के लिये विदेशी समवायों पर निर्भर करते आये हैं और युद्ध के दिनों में हमें तेल का आयात करना पड़ता था जिस के परिणाम स्वरूप हमारे पास विदेशी मुद्रा की बड़ी भारी कमी हो जाती थी अतः अब यहां ही तेल का उपलब्ध हो जाना बड़ी भारी बात है। हम इस आयोग के सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

दूसरे आयल इंडिया लिमिटेड तथा भारतीय तेल शोधक कारखानों की स्थापना भी बड़ी महत्व पूर्ण है। इस समवाय के निर्माण के करार पर यहां पहले भी चर्चा हुई है और अब भी उन के ऊपर थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है।

वास्तव मे भारत में निकट भविष्य में तेल मिलने की आशा न थी अतः तेल शोधन कारखानों को थोड़ी रियायतें दीं गईं। सरकार ने बम्बई तथा विशाखापत्तनम में दो कारखाने खुलवाने का निश्चय किया। उसके बाद नाहरकटिया में तेल मिला और हमें वहां के लिये ऐसे शोधन कारखाने की आवश्यकता हुई। अब खम्बभात में भी तेल मिल जाने की आशा है। बम्बई के कारखानों का तो अब ठीक उपभोग हो जायेगा क्योंकि निकट ही तेल मिल गया है। किन्तु अन्य स्थानों पर शोधन कारखाने लगाने से पूर्व हमें सारी बातों पर विचार करना चाहिये।

१९५० में जब ये निर्णय किये गये उस समय सरकार समस्त सम्भावनाओं पर विचार नहीं कर सकी इसी कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। आज कल हमारे शोधन कारखानों में मोटर गैसोलेन बड़ी तीव्र बनती है और उसे बाध्य होकर निकटस्थ बाजार में ही बेचना पड़ता है। इस से हानि का भय बना है। चार शोधन कारखानों के लिये हम तेल बाहर से मंगवाते हैं और हमें अत्याधिक विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। इस से ही प्रकट होता है कि हमने किसी प्रकार की योजना बना नहीं रखी।

इस से यही सिद्ध होता है कि सरकार ने बिना विचारे १९५० में इन कारखानों को रियायतें दे दीं। यह भी नहीं देखा गया कि भविष्य में भारत को किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता है। भविष्य में हमें तेल प्राप्ति की आशायें हैं अतः सरकार को शोधन कारखाने लगाने के लिये तनिक विचार से काम करना चाहिये। हमें वहीं ईंधन तैयार करना चाहिये जिसकी भारत को आवश्यकता है। मैं सरकार पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाता बल्कि केवल यही कहता हूं कि प्रत्येक कार्यवाही तनिक विचार के बाद ही की जानी चाहिये। आज भी हमें अबादान से तेल के आयात की आवश्यकता है। अतः उत्पादन तथा कारखाने लगाने के स्थानों के बारे में हमें पूर्ण योजना बना कर काम करना चाहिये।

समवाय के निर्माण के सम्बन्ध में एक बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अनुदानों के व्याख्यात्मक टिप्पण में हमें वह सामग्री तो बताई ही नहीं गई जिस के आधार पर आसाम आयल कम्पनी की आपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है। यद्यपि हमारे अंश उस में ३३⅓ प्रति शत ही हैं किन्तु तब भी हमारे ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही। इस समवाय की लेखा परीक्षा भी यहां नहीं हो सकती अतः हमें इस का ब्यौरा तो पता लगना ही चाहिये। अब तक तो कोई यह जानता ही नहीं कि यहां कितनी पूंजी लगी है।

युद्ध के तुरन्त पश्चात् १९४९ में तेल समवायों ने अपने लेखा रखने की नयी व्यवस्था आरंभ की थी। वे प्रत्येक मसीन का अवमूल्यन लेखा भी रखते थे। भारत में जब आसाम

आयल कम्पनी की आस्तियों का मूल्यांकन किया गया वह इसी आधार पर किया गया। अतः मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मूल्यांकन का वास्तविक आधार क्या था ? मैं तो केवल यही जानना चाहता हूं कि कहीं हम उन्हें बहुत ही ज्यादा रकम तो नहीं दिये जा रहे । मेरे दिल में यही आशंका है ।

दूसरे दो अन्य शोधन कारखाने लगाने का निर्णय किया गया है । एक बाहर कटिया में लगेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कारखाने के लग जाने की संभावनायें कब तक हैं ?

अब दूसरे बराउनी के कारखाने का सम्बन्ध है। हमें यह तो पता लगना चाहिये कि इस कारखाने के लिये रुपया यंत्र इत्यादि कहां से प्राप्त होंगे। हाल ही में यह भी सुना गया है कि बरमा आयल कम्पनी ने कहा है कि उन्हें बराऊनी का कारखाना चलाने की अनुमति दी जाये। शायद सरकार इसे सरकारी क्षेत्र में न रखना चाहे। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिये कि वह कारखाना वह स्वयं चलायेगी ।

तेल की खोज में भी हम गैर-सरकारी संस्थाओं से सहयोग कर रहे हैं। ज्वालामुखी में स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी से सहयोग हो रहा है। खम्बभात में आयोग ने स्वतः सफलता प्राप्त की है। वास्तव में हमें एकरूप व्यापक नीति का अनुसरण करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि हमने इन्डो स्टानविक परियोजना को भी भारी रियायतें दी हैं। हालांकि हमारा भी उस में पर्याप्त रुपया है। किन्तु उनका काम निराशाजनक है। इन लोगों को हमारी प्रगति में कोई रुचि नहीं है। सरकार को चाहिये कि इस परियोजना पर दोबारा विचार करे और हमें अधिक लग्न से काम करना चाहिये।

नाहर कटिया का काम भी असंतोषजनक है । जितना तेल हमें मिलना चाहिये था उतना वहां भी न खोजा गया। वास्तव में विदेशियों की रुचि तो यह है कि कहीं तेल न मिले इस कारण हमें बड़े ध्यान से यह काम उन्हें सौंपना चाहिये। वे तो चाहते हैं कि जहां तेल हो भी उसे भी दबा दिया जाये ।

रूस वाले अवश्य इस स्थिति में नहीं कि वे अपना अतिरिक्त तेल कहीं खपाना चाहते हों। उन्हें भारत को अपना ग्राहक नहीं बनाना। इसी प्रकार रूमानिया वाले भी हमें ग्राहक नही बनाना चाहते। दूसरों की सहायता को हम संदिग्ध दृष्टि से देख सकते हैं। अतः नये कामों में हमें अपने अधिकारों को बीस वर्ष तक के लिये किसी के भी हाथों में न सौंपना चाहिये। हमें चाहे दो वर्ष की देरी लग जाये किन्तु दूसरों के हाथ अपनी चीज़ नहीं देनी चाहिये ।

हमें अपनी वितरण प्रणाली भी स्थापित करनी चाहिये । जब हमारे तेल शोधन कारखाने लग जायें तब हमें अपनी प्रणाली का विकास करना चाहिये। उन की प्रणाली को अपनाने से हमें लाभ न होगा ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : श्रीमान्, आयल इंडिया लिमिटेड में ३.९ करोड़ रुपये लगाने के अनुदान को मंज़ूर करने के लिये इस सभा को कहा जा रहा है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

[अध्यक्ष महोदय पीठ सीन हुए]

इस सम्बन्ध में एक करार किया गया है और पुरानी कम्पनी की आस्तियों का मूल्यांकन १२ करोड़ किया गया है । मैं समझता हूं कि ऐसा समवाय देश की आर्थिक अवस्था पर बड़ा प्रभाव डालेगा ।

किन्तु जिन बातों पर इस से पूर्व सभा को विचार करना चाहिये उन्हें तो बताया ही नहीं जा रहा । हम अंशधारियों की हैसियत से कम्पनी के बारे में सब कुछ जानने के अधिकारी हैं । कच्चे तेल की कीमत तक तो बताई नहीं गई । केवल अस्पष्ट सा उल्लेख मात्र ही किया गया है ।

सरकार ने बताया है कि पुरानी समवाय का मूल्य १२ करोड़ आंका गया है और यह काम एक समिति ने किया है । हम तो यह जानना चाहते हैं कि क्या इस का मूल्य वास्तव में ही १२ करोड़ है या यह पुराना कूड़ा करकट है । हमें किसी भी प्रकार की विशुद्ध जानकारी नहीं दी गई है ।

मैं यह नहीं कहता कि समवाय का मूल्यांकन उचित रीति से न किया जाये किन्तु हमारी प्रार्थना तो यही है कि हमें पूर्ण जानकारी तो दी जाये ।

जहां तक कच्चे तेल की लागत का सम्बन्ध है हमें उस सूत्र का पता ही नहीं कि लागत अथवा मूल्य किस प्रकार निर्धारित होगी । समवायों का तेल सरकार के शोधन कारखानों को बेचा जायेगा । और कीमत का निर्धारण लागत के आधार पर होगा । यह तो अस्पष्ट सी बात हुई । इस में कोई कुछ भी नहीं समझ सकता । कच्चा तेल तो बड़ा सस्ता होता है और समवाय इस का मूल्य सब अन्य लागत जोड़ कर ही बताते हैं । यदि यह समवाय भी उतने ही मूल्य पर तेल देगी जितना कि आयातित तेल पर लगता है तो यह तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है । इसलिये उस सारी बात को ही स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

दूसरे यह कहा गया है कि लागत में उचित लाभ की मात्रा जोड़ कर ही मूल्य का निर्धारण होगा । यह भी अस्पष्ट है । इस का तो कोई अर्थ ही नहीं है । मुझे तो यही खतरा है कि माननीय मंत्री भी इस बात को स्पष्टतया नहीं समझे और इस कारण सब से बड़ा खतरा तो यही है कि ये समवाय लाभ उठा जायेगा । अतः माननीय मंत्री को स्वतः स्पष्टतया सब बातें समझ कर सभा को यह जानकारी देनी चाहिये ।

लागत के बारे में भी यही कहा गया है कि भारत सरकार तथा समवाय के बीच पारस्परिक वार्ता से ही यह बात तै होगी । यहां किसी को यह पता नहीं कि दोनों सरकारी शोधन कारखानों को तेल देने के पश्चात् समवायों के पास कितनी तेल की मात्रा रहेगी । सब बातों में से हमें कोई भी बात का पता नहीं चल रहा है । हमें तो आंखें बन्द कर के रुपया लगाने को कहा जा रहा है ।

सरकार ने वितरण के बारे में भी अभी तक अपनी कोई नीति नहीं बनाई । यह भी अब तक बनाई जानी चाहिये थी । तेल तो अत्यावश्यक वस्तु है इस के वितरण की समस्या का हल किया जाना आवश्यक है ।

आज हमें सब से ज्यादा तो मिट्टी के तेल की आवश्यकता है मोटर स्प्रिट की नहीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस के लिये अलग कारखानों की आवश्यकता पड़ती है ।

निदेशक बोर्ड के बारे में भी हमें बताया जा रहा है कि वही लोग रखे जायेंगे । मैं वास्तव में इस का कारण जानना चाहता हूं । यह तो कोई तर्क नहीं कि इसलिये रखा जा रहा है कि उन्हें अनुभव

होता है । आप ने उपभोक्ताओं के हितों को भी तो देखना है । इस प्रकार तो उपभोक्ताओं को ही ज्यादा देना पड़ेगा । माननीय मंत्री तो संभवतया यही समझते हैं कि उपभोक्ता का कर्तव्य यही है कि वह देता चला जाये ; उसे कहीं भी प्रतिनिधित्व न मिले ; उस की एक भी बात न सुनी जाये । उस का काम तो देना है । मैं यह मांग करता हूं कि उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी निदेशक बोर्ड में रहने चाहियें ।

मैं आशा करता हूं कि जब माननीय मंत्री धन के लिये सभा के सामने आयेंगे सदैव सभा को पूर्ण जानकारी देंगे और यह नहीं समझेंगे कि सभा केवल मुहर लगा देती है निर्णय वे स्वयं करते हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं समझता हूं कि सभा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य की पूर्ण सराहना करेगी । किन्तु कुछ बाटों का स्पष्टीकरण हम चाहते हैं ।

मैं तो यह नहीं समझता कि आयल इंडिया लिमिटेड का निदेशक बोर्ड भी वही होगा । यदि निदेशक बोर्ड एक ही हो तो यह कोई स्वस्थ प्रस्ताव तो नहीं है ।

यह भी पता नहीं है कि आयल इंडिया लिमिटेड का मूल्यांकन कैसे किया गया है । मूल्यांकन करने वालों में सरकारी प्रतिनिधि भी थे । हमें यह तो पता लगना चाहिय कि क्या सब सदस्यों न एक ही राय दी थी ।

इसी प्रकार शोधन कारखानों को जो तेल दिया जायेगा उस के मूल्य निर्धारण के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है । यह सब जानते हैं कि तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अधिपति नियंत्रित करते हैं और वह लागत के आधार पर निर्धारित न हो कर लाभ के आधार पर निर्धारित होती है । इसलिय इस बारे में भी स्थिति का स्पष्टीकरण होना चाहिये । यदि दोनों शोधन कारखानों को तेल दे कर भी आयल इंडिया लिमिटेड के पास तेल बच जाता है तो शोधन कारखानों की क्षमता बढ़ा दी जाय ।

सरकार कई वर्षों से स्टैण्डर्ड वैक्यूम समवाय के साथ रह कर पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज कर रही है किन्तु बंगाली यह समझते हैं कि स्टैंडर्ड वैक्यूम वाले वहां तेल खोजना नहीं चाहते । अतः हमारी इच्छा है कि इस काम को गैस आयोग अपने हाथ में ले ले । यह तो माननीय मंत्री भी मानते हैं कि वहां तेल है ।

नमक के बारे में प्राक्कलन समिति ने जो सिफारिशें की थीं उन में से बहुत को तो सरकार ने नहीं माना । पंजीबद्ध व्यापारियों के उत्पादन की सिफारिश को तो माना ही नहीं गया ।

नमक पर उपकर इसलिये हटाया गया था कि लोगों को ठीक दरों पर मिल सके । नमक की लागत के सारे ढांचे पर ही अध्ययन करने की आवश्यकता है । लागत कई स्थानों पर तो बहुत ही कम है किन्तु जितनी लागत एक मन नमक तैयार करने पर लगती है उतनी ही से एक सेर नमक का विक्रय होता है । नमक के लिये भाड़ा समानीकरण निधि होनी चाहिये क्योंकि इस को प्रत्येक व्यक्ति उपयोग करता था । इसी तरीके से नमक लोगों को उचित दरों के आधार पर मिल सकता है ।

प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि पूर्वी तट पर भी कुछ नमक बनाने के कारखानें लगायें जायें किन्तु पश्चिमी बंगाल में अभी तक कोई एसा कारखाना नहीं लगाया गया है । इस काम में सरकार को देरी नहीं करनी चाहिये ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० च० गुह]

दूसरे नागा पहाड़ियों में सड़क बनाने का प्रश्न है। संचित निधि से अधिक धन न लिया जाना चाहिये। अब नागा क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति पर्याप्त रूप से सुधर गई है। मैं आशा करता हूं कि वहां सड़क बनाने से और भी स्थिति में सुधार होगा।

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० डे० मालवीय)** : उपाध्यक्ष महोदय, इन कटौती प्रस्तावों की बड़ी संख्या को देखते हुए इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सभा तेल की खोज के कार्यक्रम में कितनी रुचि ले रही है। इन से यह पता चलता है कि सदस्य यह जानने के लिये कितने उत्सुक हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या काम कर रही है। इन कटौती प्रस्तावों को हम कुछ सामान्य वर्गों में बांट सकते हैं। श्री मेनन, श्री भरूचा और श्री गुह द्वारा उठाई गई विशेष बातों का उत्तर देने से पूर्व मैं इन कटौती प्रस्तावों द्वारा उठाई गई सामान्य बातों का उत्तर दूंगा।

श्री मेनन ने केरबे में तेल की खोज पर सरकार को बधाई दी है। मैं सब से पहले वहां के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं। मैं ने इस सभा को वचन दिया था कि मैं वहां के कार्य की प्रगति के बारे में समय समय पर सदस्यों को अवगत कराता रहूंगा। मैं ने पहली रिपोर्ट ९ या १२ सितम्बर को दी थी। उस के तत्काल बाद में स्वयं वहां पर गया। वहां पर जा कर पड़ताल करने पर मुझे यह मालूम हुआ कि हमारे विशषज्ञों व प्राविधिकों ने जो रिपोर्ट दी थी वह सर्वथा ठीक तथा बहुत उपयुक्त थी। मुझे यह लगा कि देश को वहां के बारे में जो उत्सुकता हो रही है वह भी सर्वथा ठीक है। हमारे देश में पहली बार तेल क्षेत्र की खोज की खबर सुनने पर देशवासियों को वहां की जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता होना बिल्कुल स्वाभाविक है।

केरबे में तेल की खोज भारत के इतिहास में एक नवीन युग की प्रवर्त्तक है। वहां से लौटने पर मैं ने समाचार पत्रों में खबर पढ़ी कि देश में एक असाधारण घटना घटित हो गई है। वहां तेल के फव्वारे छूट रहे हैं जो कि जमीन से ३० या ४० फूट ऊंचे तेल फैंक रहे हैं। अखबारों ने इस प्रकार कहना शुरू कर दिया कि अब केरबे में बड़े पैमाने पर तेल मिलना शुरू हो जायेगा। मैं ये सब खबरें देख कर बड़ा हैरान हुआ क्योंकि सरकारी तथा प्राविधिक रिपोर्ट में एसी कोई बात नहीं कही गई थी। तब मैं ने शीघ्रता से केरबे से लौटने वाले विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया और उन्हों ने मुझे शुक्रवार की शाम को होने वाली सभी घटनाओं से ठीक ठीक अवगत कराया।

केरबे में कूप नम्बर १ में १६०० फुट तक खुदाई करने के बाद हमें तेल की एक सतह का पता चला है। यह बात मैं सभा को पहले भी बता चुका हूं। इस के बाद खुदाई करने पर तेल की सतह फिर समाप्त हो गई और हम ठोस चट्टानों में आगे खुदाई करते रहे। इस के बाद १६७२ मीटर की गहराई पर हमें फिर तेल की एक सतह मिली जहां पर कि तेल व गैस का दबाव काफ़ी ऊंचे पैमाने पर था। हमारा अन्दाज़ा है कि तेल की यह सतह काफ़ी गहरी है और शायद ६० या ७० फुट से भी अधिक चौड़ी है। इस सतह पर तेल का इतना दबाव है कि हमें आगे खुदाई बन्द कर देनी पड़ी है। इस तरह अभी तक हम तेल और गैस की इस सतह पर रूके हुए हैं। यद्यपि अब तेल के दबाव को कुछ हद तक काबू में कर लिया गया है मगर अभी तक यह इतना नियंत्रित नहीं हुआ कि हम आगे खुदाई शुरू कर सकें। इन तथ्यों को देखते हुए यह कहना कि वहां पर तेल व गैस के फ़व्वारे छूट

†मूल अंग्रेजी में

रहे हैं अधिक ठीक नहीं जंचता । अभी तक हम ने दोबारा खुदाई नहीं शुरू की है । किन्तु जैसे ही दबाव काबू में आ जायेगा हम फिर खुदाई शुरू कर देंगे । हम इस काम में जोश में आ कर किसी तरह की जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते ।

तेल के बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकने के बारे में मेरा यह अनुमान है कि केवल एक कुएं में तेल व गैस के मिलने की घटना से हम यह नहीं कह सकते कि ये वस्तुएं व्यापार करने योग्य मात्रा में उपलब्ध होने लगेंगी । जहां तक लोगों की प्रसन्नता व उत्साह का प्रश्न है मैं समझता हूं वह ठीक है । मगर फिर भी यह अनुमान लगाने के लिये कि क्या वह व्यापार के लिये उपलब्ध हो सकेगा या नहीं हमें उस क्षेत्र में अनेक सूराख कर के खुदाई करनी पड़ेगी जिस से हमें ठीक ठीक पता चल सके कि यह तेल क्षेत्र कितना विस्तृत है । हम अपने देश में तेल की खोज पर खुश हो सकते हैं । इस में भी कोई सन्देह नहीं कि हमारे भूतत्वशास्त्रियों को उस के आस पास ही इस से भी कहीं अधिक दबाव वाले तेल क्षेत्र की खोज की बड़ी आशा है । किन्तु हो सकता है यह न भी मिले । इसलिये हमें यह जानने के लिये कि क्या तेल व्यापार के लिये उपलब्ध हो सकेगा अथवा नहीं अभी कुछ देर और इन्तज़ार करना होगा । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हमें एक तेल क्षेत्र का पता चला है और हमें उसके बारे में काफी आशायें हैं मगर मैं अभी से उस की अबादान अथवा कुवयात के तेल क्षेत्रों से तुलना करना ठीक नहीं समझता ।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार का तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कैसे एक सुसंगठित दल के रूप में कार्य कर रहा है । कुछ सदस्यों ने तेल की खोज को भाग्य की एक घटना कहा है । यद्यपि खोज के क्षेत्र में प्रारब्ध का भी हाथ होता है किन्तु मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे नवयुवक व विशेषज्ञ किस उत्साह तथा परिश्रम से इस दिशा में दिन रात काम करते रहे हैं । हमारे विशेषज्ञों को इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भूतत्वशास्त्रियों से भी बहुत प्रोत्साहन मिला है । मैं कह सकता हूं कि हम ने २$^{1}/_{2}$ वर्ष की इस छोटी सी अवधि में इस दिशा में जो कार्य किया है उस से हमारे देश के उत्तरी भाग में तेल क्षेत्रों की उपलब्धि की आशायें बहुत बढ़ गई हैं । अंग्रेज़ों के जमाने में प्रायः यह कहा जाता रहा है कि भारत के उत्तरी भागों में तेल मिलने की कोई आशा नहीं की जा सकती । आज इन लोगों ने अपने अनथक परिश्रम से इस धारणा को बदल दिया है । ज्वालामुखी, होशियारपुर, क्षेत्र में गैस का मिलना नितान्त आवश्यक है । आज हम वहां पर १०,००० फुट तक खुदाई कर चुके हैं । वहां की स्थिति बड़ी आशाप्रद है । यद्यपि अभी तक हम जल सतह तक नहीं पहुंचे हैं किन्तु फिर भी हमें आशा है कि जलेतर सतहों में भी हमें कई उपयोगी वस्तुयें मिल सकती हैं । वहां पर हमें इन सतहों में तेल मिलने की बड़ी आशा है ।

अब मैं सरकार की तेल के शोधन, वितरण, तथा मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सामान्य तेल नीति को लेता हूं । श्री मेनन ने यह कहा है कि सरकार के तेल की खोज, उत्पादन, परिवहन तथा वितरण के सम्बन्ध में एक एकीकृत नीति अपनानी चाहिये । उसे सब दिशाओं में अपना नियंत्रण रखना चाहिये । मैं ऐसी नीति अपनाने के प्रश्न पर श्री मेनन से सामान्य रूप से सहमत हूं । औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार तेल को पूर्ण रूपेण सरकारी क्षेत्र में रखा गया है । हम शोधन के कारखानों तथा तेल की खोज के कार्य को सरकारी क्षेत्र में रख रहे हैं । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि देश के पूर्वी भाग में गुहाटी तथा बरौनी में स्थापित होने वाले तेल साफ करने के दोनों कारखाने सरकारी क्षेत्र में रखे जायेंगे । और हम इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि जब तेल की सफाई के कारखाने सरकारी क्षेत्र में रहेंगे तब हम उस के वितरण की समस्या की भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं । किन्तु साथ ही मैं सभा को यह भी बता देना चाहता हूं कि हम किसी सिद्धान्त प्रियता के कारण यह रवैया नहीं अपना रहे हैं । हम ऐसा इसलिये कर रहे हैं क्योंकि हम यह समझते हैं कि तेल की सम्पूर्ण

[श्री के० दे० मालवीय]

अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होने पर शेष सारी अर्थव्यवस्था पर उस का अपने आप नियंत्रण हो सकता है। सरकार का विश्वास है कि तेल हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है। इसलिये वह इस पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है। साथ ही सरकार को यह भी ध्यान है कि इस क्षेत्र में अनेक विदेशी कम्पनियों ने दिलचस्पी ली है। यद्यपि उन्हों ने लाभ की दृष्टि से काम किया है फिर भी उन्हों ने यहां पर कई ऐसे कारखाने स्थापित किये हैं जिन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। मैं सरकार की ओर से उन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। जहां तक उन के वैध अधिकारों का प्रश्न है सरकार उन के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहती जिस से उन को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। हम उन के साथ किये गये सभी करारों का पालन करेंगे। हम उन की शर्तों में जबर्दस्ती कोई भी परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करेंगे! यदि हमें महसूस हुआ कि कुछ बातें गलत भी हैं तो भी हम उन को रज़ामंदी से मनाने का प्रयत्न करेंगे और मुझे आशा है कि सद्भावना से बात चीत करने पर हम लोग कोई न कोई ऐसा मार्ग निकाल लेंगे जिस से दोनों पक्षों के सम्बन्धों में कोई अन्तर न पड़े और सब काम भी ठीक तरह से होता रहे।

श्री भरूचा ने उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों के संघर्ष की बात उठाई है। मेरी समझ में नहीं आ सका कि इस से उन का क्या आशय है। मैं समझता हूं कि उन के मन में कुछ भ्रान्ति है। मैं उस को दूर कर देना चाहता हूं। आयल इंडिया लिमिटेड कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है जिस में भारत सरकार तथा आसाम आयल कंपनी क्रमशः ३३ १/३ व ६६ २/३ प्रतिशत के साझेदार हैं। यह कम्पनी नहारकटिया, हुगीजन और मोरान में कच्चा तेल निकालने व उस को सरकार द्वारा निर्देशित स्थानों तक ले जाने के लिये बनाई गई है। यह कम्पनी हमारी सलाह से बनी है तथा इस का कार्य क्षेत्र केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है जोकि आसाम आयल कम्पनी को पट्टे पर दिये गये हैं। ये क्षेत्र उन्हें तेल की खोज करने के काम के एवज़ में दिये गये हैं। कम्पनी ने अपनी खुशी से हमें एक छोटा हिस्सेदार बनाना स्वीकार किया है। अब हम उस क्षेत्र में तेल की आगे खोज, कच्चे तेल के उत्पादन व परिवहन के बारे में शेष समस्याओं के हल करने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक आस्तियों के मूल्यांकन का सम्बन्ध है, मुझे अपने मित्रों का आशय स्पष्ट नहीं हो सका। क्या वे यह चाहते हैं कि प्रति दूसरे दिन या सप्ताह उन को बताते रहें कि खुदाई के उपकरणों की कितनी लागत है या उन में कितनी कमी हुई है.

†**श्री नौशीर भरूचा** : इस के लिये सरकार ने ४ करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि मांगी है।

†**श्री नारायणन कुट्टी मेनन** : मेरा कभी यह आशय नहीं था। मेरे विचार में यह मांग बहुत ज्यादा है। इसलिये मैं यह जानना चाहता था कि तेल कम्पनी को इतनी बड़ी राशि देने से पहले क्या उन की आस्तियों का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम ने इस कम्पनी में अपना हिस्सा जमा करने के लिये ४ करोड़ रुपये कीमांग की है। सभा को विदित होगा कि कम्पनी की आस्तियों के मूल्यांकन के लिये एक मूल्याकन समिति बनाई गई थी जिसमें भारत सरकार व आसाम तेल कम्पनी दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस समिति ने सभी वस्तुओं के मूल्य लगाये हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अनुदानों की मांगें

मेरा कहने का यह तात्पर्य था कि जब हम ने एक बार एक मूल्यांकन समिति नियुक्त कर दी है तब हमें अवश्य उस पर विश्वास करना चाहिये। समिति उन सभी वस्तुओं का मूल्यांकन कर के बता सकती है कि वह उन का १२ करोड़, १० करोड़ या ११ करोड़ कितना मूल्य समझती है। उस के लिये हमें यहां पर कोई सिद्धान्त बनाने की आवश्यकता नहीं।

जहां तक विस्तृत ब्यौरे का प्रश्न है अभी कुछ कहना कठिन है क्योंकि अभी मूल्यांकन का काम जारी है। जब इस समिति का प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा तब हम सारी सूचना सभा पटल पर रख देंगे। तब सदस्य देख सकते हैं कि हम ने यह मूल्यांकन ठीक किया है या गलत। इस समय भी जब कि हम उन से बातचीत चला रहे हैं और जबकि हमारा अनुमान है कि उस की आस्तियां १२ करोड़ रुपये के लगभग हैं अगर बाद में हमें यह पता चल जाये कि १२ करोड़ रुपये में भी कुछ बचत हो सकती है तब भी हम अपने साझेदार को कुछ काम में हिस्सा लेने के लिये कह सकते हैं। इसीलिये हम ने इस समय केवल ४ करोड़ रुपये की मांग रखी है ताकि हम अपने काम में आगे बढ़ सकें। बाद में समिति का प्रतिवेदन तैयार हो जाने पर हम सभा के सम्मुख अवश्य पूरी सूचना रख देंगे।

कच्चे तेल की कीमत के बारे में सरकार अभी से कोई वचन नहीं दे सकती है। अभी इसके लिये भली भांति विचार करने के लिये हमारे विशेषज्ञों को और काफी समय लगेगा। काफी विचार के बाद ही हम यह बता सकते हैं कि इस के लिये 'कीमतों' का यह ढांचा ठीक रहेगा। इस के संबंध में हम ने इस समय केवल इतना करार किया है कि सरकारी शोधन शालाओं द्वारा कच्चे तेल के लिये उतनी कीमत दी जायगी जोकि या तो कलकत्ते में दिये जाने वाले कच्चे तेल की उस न्यूनतम कीमत के बराबर होगी जिस पर कि शोधनशाला किसी भी वैकल्पिक स्रोत से कच्चा तेल प्राप्त कर सकती है या वह कीमत कम्पनी द्वारा किये गये व्यय तथा उस पर उचित वाणिज्यिक लाभ के, इन दोनों में से जो भी कीमत कम होगी, बराबर होगी और यह कीमत कंपनी द्वारा भारत सरकार की अनुमति के बाद निश्चित की जायेगी . . . . . .

†**श्री नारायणन कुट्टी मेनन** : दूसरे विकल्प का कैसे निश्चय किया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कंपनी के व्यय का परीक्षण करने के बाद जिसका कि प्रतिवर्ष जनवरी तथा जुलाई में पुनरीक्षण किया जायेगा। हम इस स्तर पर इससे ज्यादा और क्या वचन दे सकते हैं। हम ने सीमायें निर्धारित कर दी हैं। इनके बीच जो भी उचित मूल्य होगा निश्चित कर दिया जायेगा। कच्चे तेल की कीमत के बारे में यह कहा गया है कि इसकी एक अन्तर्राष्ट्रीय कीमत भी होती है, ठीक है। हम उसको एकदम गलत नहीं कह सकते। हम यह चाहते हैं कि शोधनशालाओं द्वारा उचित कीमत दी जाये। मगर प्रश्न उठता है यह उचित कीमत क्या हो ? इसके लिये केवल दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम तेल का लागत व्यय देखें। इसके लिये हमें खुद काम करना पड़ेगा। हमें हर ६ महीने का लेखा देखना पड़ेगा। इसके बाद आलोचना प्रत्यालोचना के बाद तथा कंपनियों को समझाने के बाद लाभ की एक उचित सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। तब कहीं हम उसकी सही कीमत निर्धारित कर सकते हैं। इस में कितना समय लगेगा। मगर मेरे मित्र श्री भरूचा अभी जानना चाहते हैं कि यह उचित मूल्य कितना होगा ? उन्होंने कहा है क्या हम ५० प्रतिशत लाभ पर मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं ? इस मूल्य को उचित नहीं कहा जा सकता है। हम ७ प्रतिशत या ९ प्रतिशत या हद से हद १० प्रतिशत तक लाभ दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

हम ५० प्रतिशत या ३ प्रतिशत को उचित लाभ नहीं कह सकते । इसलिये हम यह फारमूला बनाना चाहते हैं कि लागत व्यय तथा कुछ उचित लाभ प्रतिशत जोड़ कर कीमत निर्धारित की जाये । अब यदि यह कीमत अन्तर्राष्ट्रीय कीमत से कुछ कम हो जाये तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : आप लागत व्यय कैसे निकालेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह बताना सम्भव नहीं है । यह एक बड़ी लम्बी चौड़ी कहानी बन सकती है कि इस व्यय में कौन कौन से व्यय सम्मिलित किये जायेंगे । आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिये । मान लीजिये हम नहारकटिया में ४० लाख टन कच्चा तेल उत्पन्न करते हैं। यह कीमत अबादान या कुवायत में पैदा किये जाने वाले तेल की कीमत से कहीं ज्यादा होगी । क्योंकि दोनों स्थानों की परिस्थितियां तथा सुविधायें बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं । यहां पर हम केवल १०,००० या ११,००० या १२,००० फुट तक खुदाई करते हैं जब कि अबादान में केवल ४,००० या ५,००० फुट तक खुदाई करनी पड़ती है । वहां पर १ करोड़, १$^{1}/_{2}$ करोड़ कच्चा टन तेल पैदा होता है । इस लिये हमारी कीमतों और वहां के तेल की कीमतों की तुलना नहीं की जा सकती । इसलिये हम ने यह करार किया है कि अगर वहां की कीमतें कम होंगी तब हम आप को वह कीमत देंगे और अगर हमारे हिसाब से कम कीमत बैठी तब हम आप को यह कीमत देंगे । मैं समझता हूं इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं निकाला जा सकता । आसाम आयल कम्पनी के साथ किये जाने वाले खुदाई के इस पट्टे के करार में हमें उस कम्पनी में पत्ती भी मिली है जिससे हमें न केवल उस कम्पनी को होने वाले लाभ में ही हिस्सा मिलेगा बल्कि हम उसके साथ मिल कर काम भी कर सकेंगे और उस से सलाह मशवरा भी कर सकेंगे । इसलिये मैं समझता हूं इस सभा को हमेशा यह सोचना चाहिये कि हमें वर्तमान परिस्थितियों में यह करार करने में कोई घाटा नहीं रहा है तथा यह हर प्रकार से सन्तोषजनक है ।

अभी हाल ही में देश के अखबारों में कुछ खबरें छपी हैं कि विश्व बैंक के कुछ प्रतिनिधि भारत आये थे और उन्होंने भारत सरकार तथा योजना आयोग को इस देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे के बारे में कुछ सलाह दी है और उन्होंने इस में कुछ उचित परिवर्तन तथा संशोधन करने के सुझाव भी दिये हैं । इन खबरों में तेल के बारे में भी एक खबर छपी है कि "भारत सरकार के तेल शोधन के कारखानों को सरकारी क्षेत्र में रखने के आग्रह के कारण इस क्षेत्र में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी उचित मात्रा में आगे नहीं आई तथा इस से तेल क्षेत्रों की खोज तथा विकास का काम दो या तीन वर्ष पीछे पड़ गया है ।" कुछ कटौती प्रस्तावों में भी इसी आशय के विचार प्रकट किये गये हैं कि हम अनावश्यक रूप से बातचीत को बढ़ा रहे हैं और उसके कारण नहारकटिया में तेल की खोज का काम काफी पीछे पड़ गया है । विश्व बैंक के विशेषज्ञों से और किसी विवाद में न पड़ते हुए मैं सभा के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विचार सर्वथा ठीक नहीं है । जहां तक नहार-कटिया का प्रश्न है वहा पर तेल की खोज के कार्य में एक भी दिन का अन्तर नहीं पड़ा है । इस सम्बन्ध में हमारी बातचीत जनवरी, १९५६ में शुरू हुई थी या कदाचित् १९५५ के अन्तिम दिनों में । यह बातचीत जनवरी १९५८ में सम्पूर्ण हुई । अगस्त, १९५६ में आसाम आयल कम्पनी ने तेल की तलाश करने के क्षेत्र को मोरान तक बढ़ाने के लिये प्रार्थना की थी । वह यह जानते थे कि हम लोगों

†मूल अंग्रेज़ी में

में इस सम्बन्ध में अभी बातचीत चल रही है । फिर भी हम ने काम जारी रखने के लिये यह सोच कर कि खोज कार्य में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिये उनको तत्काल इस क्षेत्र को मोरान तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी । हम ने उनको तत्काल मोरान क्षेत्र में तेल के लिये खुदाई करने का लाइसेंस दे दिया हालांकि उस समय तक हमारा कोई करारनामा नहीं हुआ था ।

प्रारम्भ में इस कम्पनी के नहारकटिया में केवल १२ कुएं थे । किन्तु जब उन से करार हुआ तब उनके ४२ कुएं थे । इनमें से ७ या ८ को छोड़ कर शेष सब में से तेल निकल रहा था । यदि हम इनको तेल के लिये आगे खोज करने की इजाजत न देते तब हम पर यह दोष लगाया जा सकता था कि हमारे कारण तेल खोजने में देर हो रही है । हम ने एक ओर उनको तेल खोजने का कार्य जारी रखने का आदेश दिया और दूसरी ओर उन से उचित शर्तें तय करने के लिये बातचीत चलाते रहे । इस प्रकार हम ने खोज कार्य में एक दिन का भी विलम्ब नहीं होने दिया ।

आसाम आयल कम्पनी से बातचीत चलाने के ६ महीने बाद शोधनशालाओं का प्रश्न उठा । कम्पनी ने इस बात में कोई आपत्ति नहीं की कि इन शोधनशालाओं को सरकारी क्षेत्र में न रखा जाये । जब कम्पनी ने इस सम्बन्ध में कोई झगड़ा नहीं किया है तब मैं नहीं समझ सकता कि अन्य व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में क्या आपत्ति हो सकती है ? यह सब बातें मैं इसलिये स्पष्ट कर रहा हूं ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति यह न कहे कि हम ने शोधनशालाओं को सरकारी क्षेत्र में रखने के लिये इतनी देरी की है । हमारे बीच 'शोधनशालाओं' के बारे में कभी कोई विवाद नहीं हुआ । कम्पनी इसके लिये अपने आप रजामन्द थी । यह करार करने में इसलिये इतनी देरी लगी क्योंकि हम तेल की कीमतों के बारे में उचित फारमूला निकालना चाहते थे । मगर इस सब बात चीत के दौरान तेल की खोज के कार्य में हम ने एक दिन का भी विलम्ब नहीं होने दिया । आयल इंडिया लिमिटिड कम्पनी में बड़े हिस्सेदार के नाते आज भी आसाम आयल कम्पनी उस क्षेत्र में अपनी नालियां बिछाने में पूर्णतया स्वतंत्र है और वह इस काम में यथासम्भव शीघ्रता कर भी रहे हैं । इस बीच में यदि छः महीने इधर या उधर की कुछ देरी हो भी जाये तो इसके लिये हमें जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता कि यह हमारी सिद्धान्त प्रियता या लम्बे अर्से तक बात चीत बढ़ाने के कारण हुई है । मैं सभा को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस के पीछे दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करने के अतिरिक्त और कोई विचारधारा नहीं थी । मैं समझता हूं कि चाहे दोनों पक्षों में कितनी भी सद्भावना क्यों न होती हम तेल के क्षेत्र में इस छोटी सी अवधि में इस से अधिक और कोई प्रगति नहीं कर सकते थे जितनी की हमने इस समय तक की है ।

इन शोधनशालाओं के लिये एक बात और कही गई है कि इन दोनों शोधनशालाओं को एक क्यों कर दिया गया है ? इन दोनों का एक ही सांझा संचालक-मंडल क्यों रखा गया है ? जब इन में उत्पादन का ढांचा भिन्न भिन्न होगा तब इनको पृथक् पथक् रखा जाना चाहिये था आदि। सरकार का इस दिशा में यों विचार है कि पहले गुहाटी व बरौनी दोनों शोधनशालाओं का एक ही संचालक बोर्ड रखा जाये और जब बरौनी में उत्पादन शुरू हो जाये तब वहां पर और जितने भी संचालकों की आवश्यकता हो उतने संचालक बढ़ा दिये जायें । फिलहाल हम गुहाटी की शोधनशाला में व्यस्त हैं । मगर जब हमें यह महसूस हुआ कि इस निगम में और संचालक रख जाने की आवश्यकता है हम पीछे नहीं रहेंगे । हम तत्काल मंडल के संचालकों की संख्या बढ़ा देंगे । शोधनशाला निगम आयल इंडिया लिमिटिड से सर्वथा पृथक् संस्था है । इस का आयल इंडिया से कोई सम्बन्ध नहीं । इस का नाम है तेल शोधनशाला (प्राईवेट) लिमिटेड । यह निगम सरकारी क्षेत्र में रहेगा । इसके अधिकतर संचालक तेल विशेषज्ञ होंगे तथा सरकार द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति होंगे जिनको राष्ट्रपति की ओर से नामनिर्देशित किया जायेगा ।

[श्री के० दे० मालवीय]

मेरे मित्र श्री नौशीर भरूचा ने उपभोक्ताओं के हितों की चर्चा की है । मैं सामान्यतः उनकी बातों से सहमत हूं । मैं भी यही समझता हूं कि उपभोक्ताओं के जायज़ हितों की उचित रक्षा की जानी चाहिये ताकि उनको भी यह महसूस हो सके कि तेल के उत्पादन आदि तथा कीमतें निर्धारण करने में उनकी राय की भी कुछ सुनवाई है । इसके लिये हम ने एक तेल उपभोक्ता परामर्शदाता परिषद् बनाई है । इसकी बैठक शीघ्र ही होने वाली है । इसके ये कर्तव्य होंगे । यह तेल की खपत तथा वितरण के प्रश्नों पर विचार करेगी और साथ ही सरकार को तेल उद्योग के भिन्न पहलुओं के बारे में परामर्श देगी । यह अधिकतर गैर सरकारी संस्था होगी और इसके अधिकतर सदस्य भी गैर सरकारी सदस्य होंगे । इस प्रकार हम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के प्रश्न के प्रति भी पूर्णतया जागरूक हैं । मुझे पूर्ण आशा है कि श्री भरूचा को इससे काफी संतोष होगा । हम उनकी राय से पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे । इस परिषद् के गठन तथा निर्देशपदों के बारे में मैं विस्तृत ब्यौरा फिर कभी सभा के सामने रखूंगा । इस समय मेरे पास यह सब सूचना तैयार नहीं है ।

श्री गुह ने यह कहा है कि बंगाल में स्टैंडर्ड वेक्युम के क्षेत्र में भी तेल की खोज की जानी चाहिये । हमारे लिये यह सम्भव नहीं होगा । क्योंकि हम इसके बारे में एक और तेल कम्पनी से बातचीत कर चुके हैं । हमें इस बात का काफी खेद है कि हमें अभी तक बंगाल में कहीं पर तेल नहीं मिल सका । किन्तु कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । तेल के लिये कई बार बरसों तक खोज करनी पड़ती है । यह खोज कई दल करते रहते हैं । कई बार किसी स्थान पर दर्जनों जगह खुदाई करने पर भी तेल नहीं मिलता । जबकि एक दूसरा दल वहीं कहीं एक ही जगह खुदाई करता है और उसे तेल मिल जाता है । अभी तक तेल सम्बन्धी भूतत्वीय ज्ञान बड़ा अनिश्चित एवं भ्रामक अवस्था में है । उस क्षेत्र में हम ने स्टैंडर्ड वेक्युम कम्पनी के साथ मिल कर चार कुएं खोदे हैं । शान्ति निकेतन में भोलपुर में एक और पांचवां कुआं खोदा जा रहा है । हम लगातार आशा के साथ खुदाई करते जा रहे हैं । मुझे उम्मीद है कि अगली बार मैं सभा को और आशाजनक समाचार दे सकूंगा । मैं सभा को इस विषय में रुचि दिखाने के लिये फिर से बधाई देता हूं ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (राजमपेट) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आसाम आयल कम्पनी की कुल आस्तियों को ले लिया गया है या केवल नहारकटिया और मोरान की आस्तियों को ही लिया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** श्री विश्वनाथ रेड्डी ठीक कह रहे हैं । डिगबोई की आस्तियां आयल इण्डिया लिमिटेड की नहीं हैं । वे अलग हैं । डिगबोई में तेल की जो सुविधायें दीं गयी थीं वे उस समय की भारत सरकार ने दी थीं और वे नहारकटिया, हुगरीजन और मोरान से अलग थीं । तेल सम्बन्धी सुविधाओं तथा तेल की खुदाई की अनुज्ञप्ति की पहली किस्त नहारकटिया और हुगरीजन के लिये दी गयी थी और बाद में मोरान भी उसमें सम्मिलित कर दिया गया था । बाद में इस क्षेत्र की सभी आस्तियां आयल इण्डिया लिमिटेड को दे दी गयीं । डिगबोई के तेल के कुएं और डिगबोई तेल शोधन कारखाना तो एक बिल्कुल अलग संस्था है । उसका इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । दोनों की आस्तियां अलग-अलग हैं ।

†**श्री नारायणन कुट्टी मेनन** : क्या हम यह समझें कि आसाम आयल कम्पनी भी, जो कि एक पुरानी पौण्ड कम्पनी है, इस नयी रुपया कम्पनी के साथ चालू रहेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : जहां तक डिगबोई क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां आसाम आयल कम्पनी चालू रहेगी जब तक कि उसको दी गयी सुविधायें चालू हैं या जब तक सरकार उसे चलाते रहना चाहेगी या उस समय जो भी समझौता हो । जहां तक डिगबोई का सम्बन्ध है इस समय वह कम्पनी एक अलग कम्पनी के रूप में चलती है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : १९५३ में आसाम आयल कम्पनी की सहायता से जब आसाम में तेल का पता लगा उस समय यह आशा की जाती थी कि शोधनशाला आसाम में बनाई जायेगी । परन्तु भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि इसका निर्माण आसाम से बाहर कहीं पर किया जायेगा । इसके विरुद्ध आसाम की जनता ने विरोध प्रकट किया और प्रधान मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर मंत्रिमंडल ने निर्णय दिया कि आसाम का मामला भी परामर्शदाता को जांच के लिये भेजा जाना चाहिये ।

इससे पहले मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया था कि आसाम आयल कम्पनी तथा बर्मा आयल कम्पनी मिल कर तेल निकालें और इसको शोधनशाला तक पहुंचायें । इस मिली जुली समवाय का नाम आयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड रखा गया, और इसकी पूंजी १० करोड़ रुपये थी जिसमें से ३३ १/३ प्रतिशत अंश सरकार के हैं तथा ६६ $^{२}/_{३}$ प्रतिशत अंश आसाम आयल कम्पनी तथा बर्मा आयल कम्पनी दोनों के । इस समवाय ने काम करना शुरू कर दिया है और आसाम आयल कम्पनी से इसको लगभग १२ करोड़ रुपये की सम्पत्ति भी मिल गयी हैं, यद्यपि इसका अभी तक कुछ पता नहीं है कि इसका निदेशालय किस प्रकार का होगा निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा । जो १२ करोड़ रुपये की सम्पत्ति आसाम आयल कम्पनी ने दी है उसमें ४ करोड़ रुपये की सम्पत्ति भारत सरकार की है और यह अनुपूरक मांग उसी के लिये रखी गई है । मैं समझता हूं कि समस्त सभा इसको बिना किसी हिचक के स्वीकार कर लेगी ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आसाम में पांचवी शोधनशाला स्थापित की जा रही है । परन्तु जिस रूप में यह स्थापित की जा रही है उसके सम्बन्ध में हमें कुछ दुख है । अनुदानों की अनुपूरक मांगों की पुस्तिका के पृष्ठ १४ पर दिया है कि यह निर्णय किया गया था कि आसाम तथा बिहार में स्थापित की जाने वाली दोनों शोधनशालायें पूर्णतः सरकारी होंगी । आसाम की शोधनशाला में ७ लाख ५० हजार टन तेल का शोधन होगा तथा बिहार की शोधनशाला में २० लाख टन तेल शोधित किया जायेगा इस आधार पर परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन मांगे गये थे जिनमें से आसाम के सम्बन्ध में सलाहकारों के प्रतिवेदन मिल गये हैं और उनकी जांच की जा रही है । परन्तु हमें यह नहीं बताया गया कि यह सलाहकार कौन हैं जिसने दो शोधनशालाओं की स्थापना की सिफारिश की है । हमें तो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक सलाहकार सार्थ का ही पता है । उसने अपने प्रतिवेदन में यह बताया था कि एक शोधनशाला बनाई जानी चाहिये और इसी सम्बन्ध में आसाम सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि "अन्तर्राष्ट्रीय पैट्रोलियम सलाहकारों के प्रतिवेदन पर भारत सरकार ने विचार कर लिया होगा । आसाम सरकार का विचार है कि वित्त तथा विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण भारत सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये कि दो शोधनशालायें ही बनाई जानी चाहियें अथवा एक ही पर्याप्त होगी" । परामर्शदाताओं द्वारा बताई गई चार प्रस्थापनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये जो इस प्रकार हैं । प्रथमतः सीलघाट में ३० लाख टन की शोधनशाला बना कर अशोधित तेल को शोधनशाला तक ले जाया जाये और वहां से बारह इंची पाइप से बरौनी ले जाया जाये । इस में ६८.१७ करोड़ रुपये लगेंगे । दूसरे,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० च० वरूआ]

गौहाटी में शोधनशाला बनाई जाये और वहां से बरौनी तक पाइप लाइन बिछाई जाये, इस में ७४.९९ करोड़ रुपये लगेंगे। तीसरे, नाहरकटिया में एक शोधनशाला की स्थापना हो और इसके लिये उत्पादों को ले जाने वाली पाइप लाइन शोधनशाला से ब्रह्मपुत्र के किनारे तक बिछाई जाये। इस पर ५१.०२ करोड़ रुपये खर्च होंगे। चौथे, गौहाटी में दस लाख टन की शोधनशाला और बरौनी में २० लाख टन की शोधनशाला जिसमें १३१.६८ करोड़ रुपये व्यय होंगे। इससे पता लगेगा कि आसाम में एक शोधनशाला बनाने पर राष्ट्र को कितनी बचत हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि आसाम में एक बड़ी शोधनशाला बनाने के बजाये दो शोधनशालायें बनाने से सरकार को क्या लाभ होगा।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक तेल और गैस का पता लगाने, तेल का एक्सप्लायटेशन करने, तेल साफ़ करने के कारखाने लगाने और तेल की कीमत मुकर्रर करने का ताल्लुक है, मंत्री महोदय ने इस बारे में जो बातें बताई हैं, मैं समझता हूं कि इस हाउस के बहुत सारे सदस्यों को इस से बड़ी तसल्ली हुई है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

जहां तक पंजाब सूबे और उस के उस इलाके का सवाल है, जहां से सभापति महोदय, आप और हम आते हैं, हम इस बात के लिये बड़े मशकूर हैं कि तेल और गैस के नाम से हमारे इलाके की तरक्की होने जा रही है।

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : सब तेली बन गये हैं।

चौ० रणवीर सिंह : जहां तक ज्वालामुखी का ताल्लुक है, वह पंजाब के हिन्दी रिजन में है। आप को मालूम ही है कि कांगड़ा वह ज़िला है, जिस की आबादी और इलाका तकरीबन हिमाचल प्रदेश के बराबर है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर इन दस सालों में—दो फ़ाइव यीअर प्लान्ज़ के मातहत—बीस करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन कांगड़ा के लिये सिर्फ़ चार करोड़ रुपये खर्च होंगे, हालांकि उस के हालात, उस की आबादी और उस का रकबा हिमाचल प्रदेश के बराबर है। हम मंत्री महोदय के बड़े मशकर हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी कोशिश कर के वहां गैस का पता लगवाया है।

श्री के० दे० मालवीय : चार करोड़ रुपया किसमें खर्च होगा ?

चौ० रणवीर सिंह : चार करोड़ रुपये पहले खर्च कर चुके हैं।

जहां तक गैस का ताल्लुक है, एक गैस हिन्दुस्तान के हरेक देहात में मिलती है, जिसके बारे में डिफेन्स प्राडक्शन की एग्ज़हिबिशन में और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीच्यूट में तजुर्बे दिखाये जाते हैं। मेरा मतलब है गोबर की गैस से। गोबर की गैस तैयार करने के प्लान्ट में हिन्दुस्तान के सारे देहात की तरक्की की झलक दिखाई देती है। जहां तक दूसरी गसों का ताल्लुक है, उनके लिये बहुत कुछ किया गया है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जहां तक गोबर गैस के प्लान्ट का ताल्लुक है, उससे हर देहात में रोशनी भी जा सकती है और देहात की बहनें अपनी आंखें खराब किये बग़ैर अपने खानदान के लिये खाना भी पका सकती हैं। यही नहीं हिन्दुस्तान की खेती की तरक्की के लिये उससे खाद भी तैयार की जा सकती है। यह पता लगाया गया है कि गैस निकालने

के बाद जो गोबर बचता है, उस की खाद की ताकत कम नहीं होती है। आज देश में बड़ा प्रचार किया जाता है कि गोबर को खाद के लिये रखा जाये। मैं समझता हूं कि इस प्रचार के लिये जीपों वगैरह पर जितना खर्च किया जाता है, अगर उस के बजाय गैस प्लान्ट लगा कर गैस और खाद पैदा की जाये, तो काफ़ी हद तक देश की तरक्की हो सकती है।

श्री के० दे० मालवीय : मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं कि गोबर गैस से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हम अपने साथी श्री अजित प्रसाद जैन से कहेंगे कि वह अपनी मिनिस्ट्री में इस काम को करवायें।

चौ० रणवीर सिंह : मेरा निवेदन यह है कि आप इस गैस से सम्बन्ध स्थापित करें, क्योंकि पैसा आपके पास है। यह एक इतिहास की बात है कि मसूरी में कृषि मंत्रियों की जो कांफरेंस हुई थी, उसमें वे लोग ११६ करोड़ रुपये चाहते थे, लेकिन वह रकम उन को नहीं मिली। कृषि और खुराक का मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है, जिस के साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया जाता है। मैं चाहता हूं कि मेहरबानी कर के हमारी इस गैस को भी आप ही ले लें, ताकि इस में कुछ तरक्की हो। वह गैस ऐसी है, जो कि सारे हिन्दुस्तान में मिलती है और उस से सारे देश को फ़ायदा हो सकता है।

गैस के बाद मैं नमक पर आना चाहता हूं। हिन्दी रिजन में रेवाड़ी के इलाके में पहले बहुत ज्यादा नमक पैदा होता था। अंग्रेज के राज में इस देश में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गये कि नमक की पैदावार कम हो गई। रेवाड़ी जैसे पिछड़े हुए इलाके में, जहां न कोई नहर पहुंची है और न तरक्की का कोई काम हुआ है, नमक निकालने का इन्तजाम किया जाना चाहिए। सरकार की नीति है कि इस देश में को-आपरेटिव सोसायटियां तरक्की करें। अगर वह नीति सिर्फ़ कागज़ पर रहनी है, तब तो बात दूसरी है, वर्ना नमक जैसी चीज़ का वितरण सिर्फ़ को-आपरेटिव सोसायटियों की मारफ़त ही कराया जाना चाहिए। इस से को-आपरेटिव सोसायटियों को भी थोड़ा बहुत बढ़ावा मिलेगा।

मुझे कुछ क़र्ज़ के बारे में भी कहना है। इस सदन में लगातार तीन चार दिन प्लानिंग के ऊपर बहस हुई और उस से पहले खुराक़ के बारे में बड़ी बहस हुई। खुराक़ तो इस देश के लोगों को देनी ही होगी, चाहेउस को यहां पैदा किया जाय, चाहेउस को बाहर से मंगाया जाय। जहां तक बाहर से अनाज मंगाने का ताल्लुक़ है, उस पर इस देश का १३६० करोड़ रुपया खर्च किया गया है। सवाल यह है कि आया हम खुपाक़ बाहर से मंगा कर लोगों को देंगे या इस देश में पैदा करेंगे। हर एक भाई यह चाहता है और सरकार भी यह चाहती है—और उस की बड़ी कोशिश है—कि हम अपने देश में ही अनाज पैदा करें। इसके लिये मेरे छोटे से ज़िले में १७ के करीब सरकारी जीपें प्रचार के लिये रखी हुई हैं। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को कम से कम उतना रुपया दिया जाय, जितना कि कुएं, तालाब और माइनर इर्रिगेशन के तहत आप ने सैकंड फाइव ईयर प्लान में रखा है। आप ने प्लान की री-एपरेज़ल में बताया है कि तक़रीबन साठ फीसदी खर्च कर पाए हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले छः महीनों में आप स्टेट्स को सारा रुपया दे दीजिये, ताकि उनको यह बहाना न रहेकि चूंकि हमारे पास रुपया देर में आया, इस लिये हम कुएं और तालाब नहीं बना सके। इस प्रोग्राम के लिये आप ने जितना रुपया रखा है, अगर वह क़र्ज़ के तौर पर आप स्टेट्स को इस साल में नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम दूसरे पांच-साला प्लान में जितना रुपया रखा गया है, उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, इस साल में दे दें, ताकि इस देश का अनाज का मसला हल हो और बाहर से अनाज आना बन्द हो।

[चौ० रणवीर सिंह]

इसके बाद मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस किताब में इस बात का ज़िक्र है कि सरकार को कुछ रुपया डिगरियों के नतीजे के तौर पर देना पड़ रहा है। उस में कुछ रुपया अफसरों की तनख्वाह के झगड़े का है और कुछ ठेकेदारों के झगड़े का है। सफा १० पर एक केस का ज़िक्र किया गया है कि एक ठेके की कुछ रक़म के बारे में गवर्नमेंट और ठेकेदार में इख्तलाफ़-राय हुआ। इसके अलावा उसी ठेकेदार का दूसरे ठेके का रुपया सरकार के पास था। अगर अफ़सर लोग कोशिश करते, तो उस झगड़े का समझौता हो सकता था। जो ठेकेदार सही तरीक़े से काम न करे, उसके लिये एडमिनिस्ट्रेशन के पास बगैर किसी अदालत में गये हुये काफी अख्तियार हैं। ऐसे ठेकेदार को ब्लैक-लिस्ट में रखा जा सकता है, जिस के डर से वह काफ़ी समझ से काम कर सकता है। बजाय इसके कि उस ठेकेदार को समझाया जाता कि वह इसका छोड़ दे, वह मामला आरबिटरेशन को दे दिया गया और उस ने साढ़े छः हज़ार रुपये सरकार से ठेकेदार को दिलाए।

इसके अलावा इसमें अफसरों की तनख्वाहों का भी कुछ ज़िक्र है और उनके बारे में कुछ झगड़ों का ज़िक्र भी किया गया है। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अफसरों की तनख्वाहों के बारे में वित्त मंत्रालय जिस नुक्तेनिगाह से देखता है वह अच्छा खासा पेचीदा है। बहुत लम्बी चौड़ी उसके अन्दर कारसपोंडेंस होती है। केस इतना पुराना हो जाता है और इतनी ज्यादा कारेस-पोंडेंस इकट्ठी हो जाती है कि जिस अफसर का उससे ताल्लुक़ होता है, उसको भी बहुत ज्यादा उसके बारे में पता नहीं होता है, वह उसकी समझ में भी बहुत कम आता है। इसका नतीजा यह होता है कि कई बार वह केस अदालतों में जाता है और तब जाकर उसका कुछ नतीजा निकलता है। यही नहीं जहां तक छोटे छोटे क्लर्कों का ताल्लुक़ है चार पांच रुपये उनकी तनख्वाह बढ़ाने का जब सवाल आता है तो उसके लिये पे कमिशन बिठाई जाती है लेकिन जब कभी अन्डर सेक्रेटरी या और बड़े अफसर की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल आता है तो उसका इसी तरह से फैसला कर दिया जाता है। अण्डर सेक्रेटरी से लेकर ज्वायंट सेक्रेटरी तक तथा सेक्रेटरी तक जितने भी बड़े बड़े अफ़सर हैं उन सब को किसी न किसी नाम से ३०० रुपया महीना फाल्तू मिलता है। अभी पिछली दफ़ा हमने देखा कि नैशनल सेविंग्स स्कीम के अन्दर जो आई० ए० एस० अफसर लगाया जाता है उसको अपनी तनख्वाह के अलावा ३०० रुपया ज्यादा दिया जाता है। एक तरफ़ तो आप लोगों से यह कहते हैं कि वे और अधिक बचावें और गवर्नमेंट को देवें और दूसरी तरफ़ आप अफसरों को इस तरह से और ज्यादा रुपया देते जाते हैं। आई० ए० एस० का एक ग्रेड मुक़र्रर है और उस ग्रेड में जो तनख्वाह वह पाता है उसके अलावा उसको यह रुपया दिया जाता है। मैं ने अंदाज़ा तो नहीं लगाया है कि कितना रुपया इस तरह से अफसरों को दिया जाता है लेकिन मैं समझता हूं कि यह काफी ज्यादा होगा। काश्तकारों के लिये तो आप यह कहते हैं कि ३६०० रुपया साल से ज्यादा वे न पावें लेकिन आई० ए० एस० अफसर को जिसका ग्रेड १८०० तक जाता है, उसको जब किसी दूसरे काम के लिये लगाया जाता है चाहे वह नैशनल सेविंग्ज़ स्कीम के तहत ही क्यों न लगाया जाता हो, उसको ३०० रुपया अलावा तनख्वाह के दिया जाता है। इसी तरह से पी० सी० एस० के ग्रेड के आदमी को जब लगाया जाता है तो १५० रुपया अधिक उसको दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय अंदाज़ा लगावे कि कितना रुपया इस तरह से उन लोगों को दिया जा रहा है और मेरा अंदाज़ा तो यह है कि स्पेशल एलाउंस के नाम से या डेपुटेशन एलाउंस के नाम से इस देश के अन्दर साल म करोड़ों रुपया उनको दिया जाता है। यह रुपया उनको देने के लिये कोई भी पे कमिशन नहीं बिठाया गया है। इसके विपरीत जब कभी किसी क्लर्क को पांच रुपया या एक रुपया या आठ आने महीना ज्यादा देने की बात आती

है तो कमिशन बिठाया जाता है। एक तरफ़ तो यह कोशिश की जाती है कि अफसरों को ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह दी जाये और दूसरी तरफ़ यह कोशिश की जाती है कि दूसरों को कम से कम दी जाये। एक तरफ़ वित्त मंत्री महोदय के लिये यह कहा जाता है कि उनको कम से कम तनख्वाह दी जाये और दूसरी ओर जो उनका सेक्रेटरी है और जिसके लिये यह कहा जाता है कि उसकी तनख्वाह १८०० से अधिक न हो, स्पेशल एलाऊंस के रूप में कितना ही रुपया दे दिया जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : २२५० तक उनका ग्रेड है।

चौ० रणवीर सिंह : आई० ए० एस० का ग्रेड ३५० से १८०० तक है और जब उसको ज्वायंट सेक्रेटरी लगाया जाता है तो उसको कम से कम २२५० देना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम पैसा बचायें। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय भी पैसा बचाने के मामले में सख्ती से काम ले और सतर्क रहे। उन अफ़सरों के बारे में जिन की कलम में ताकत है, शक्ति है सरकार को समझाने की और सरकार को चलाने की, उनकी तनख्वाहों के बारे में भी सतर्क रहने की अच्छी खासी आवश्यकता है। स्पेशल एलाउंस की यह हालत है कि जब कभी भी किसी अफसर को दिल्ली में ही एक महकमे से दूसरे महकमे में बदला जाता है तो उसको ३०० या ३५० रुपया महीना अपनी तनख्वाह के और दे दिया जाता है। इस आई० ए० एस० अफसर को कहीं बाहर नहीं जाना होता है, यहीं दिल्ली में रहना होता है। इसके विपरीत एक क्लर्क को अगर आप दिल्ली से मद्रास भेजते हैं तो उसकी तनख्वाह में आप कोई बढ़ोतरी नहीं करते हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो वह खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये कर्ज़े दें क्योंकि यह काम केवल प्रचार के बल पर नहीं हो सकता है। अगर आप दरअसल में चाहते हैं कि खेती की पैदावार बढ़े तो वह ज्यादा रुपया लगाने से ही बढ़ सकती है और किसी तरीके से नहीं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि एग्रिकलचरल सैक्टर के लिए दूसरे प्लान में जितना रुपया रखा है वह सारे का सारा खर्च किया जाए। उसमें ज्यादा से ज्यादा जितना इस साल खर्च हो सकता है इस साल खर्च किया जाए, इस साल किसानों को दिया जाए और जो बचे वह अगले साल स्टेट्स को कर्ज़ के तौर पर दे दिया जाए ताकि स्टेट्स अपने इलाकों में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर सकें। दूसरे जो स्पेशल एलाउंसिस का कायदा है उसको देखा जाए ताकि जो इस सदन का यह इरादा था कि अफसरों की तनख्वाहों के ऊपर भी सीलिंग हो, वह सीलिंग लगाया जा सके।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : श्रीमान् मैं हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में ही कहूंगा क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध हमारे प्रदेश तथा राजस्थान सरकार से है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं पूछा गया है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि राजस्थान के मुख्य मंत्री को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि कम्पनी बनाने तथा उसके निदेशक नियुक्त करने के पश्चात् राजस्थान के मुख्य मंत्री को बात चीत के लिए बुलाना कहां तक ठीक था।

इससे यह प्रश्न और उठ खड़ा होता है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों से किस प्रकार का व्यवहार करती है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के साथ अन्याय किया है। फिर भी माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह हमें बतायें कि इस सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री से कोई समझौता हो गया था और यदि हो गया था तो उसकी शर्तें क्या हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार का एक समझौता था कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान के नमक के क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेगी जब कि अन्य राज्यों के नमक के क्षेत्रों पर हस्तक्षेप कर सकती है। इस सम्बन्ध में एक समझौता किया गया था कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को कुछ रुपया शायद २० लाख रुपया वार्षिक देती रहेगी। यह राशि १६६० तक बराबर दी जानी थी। इसको अब भंग कर दिया गया है। समझौते के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को २० लाख रुपया प्रतिवर्ष देती परन्तु अब इस धनराशि को कौन देगा ? क्या समवाय देगी अथवा केन्द्रीय सरकार देगी मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार का परामर्श लेकर, विधि तथा सांविधानिक दोनों नियमों को भंग किया है। माननीय मंत्री को बताना चाहिए कि यह भुगतान किस प्रकार किया जायेगा।

राजस्थान को एक कठिनाई का और सामना करना पड़ेगा। इस समवाय के बनने से पहले राजस्थान सरकार का विचार भारी रसायन की एक औद्योगिक संस्था बनाने का था। मैं जानना चाहता हूं कि इस समवाय का उनके उस प्रस्ताव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे यह भी पता लगा है कि भारी रसायन बनाने के लिये सरकार एक और समवाय बनाने का विचार कर रही है। मैं तो समझता हूं कि राजस्थान सरकार को इससे बहुत हानि होगी।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुई]

अन्त में मैं यही जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार जो कारखाना बनाने जा रही है उससे राजस्थान सरकार को क्या लाभ होगा। नमक संसाधनों के विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या योजनायें हैं। और उस से भी राज्य सरकार को कितना राजस्व मिलेगा और समझौते की शर्तें क्या हैं। मैं इन सब बातों का उत्तर चाहता हूं।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर): मैं अपनी बातें मांग संख्या ८, ६,१०८ तथा ११७ के बारे में कहूंगा। मांग संख्या ८, ४००० रुपयों की है जो एक सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के एक इंजीनियर को इस कारण दी गई है कि उच्च न्यायालय ने फैसला उसके पक्ष में दे दिया कि संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अधीन उसको अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। यह पदाधिकारी उच्च न्यायालय तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाया परन्तु ऐसे भी बहुत से कर्मचारी हैं जिनके साथ ज्यादतियां की जाती हैं और वह न्यायालय में नहीं जा पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद ३११(२) के अधीन सभी कर्मचारियों को अपने बचाव का उचित अवसर दिया जाना चाहिये। इसके साथ साथ मेरा यह भी कहना है कि ३५०० व्यक्तियों को कानपुर में १६५३ में फिर से अपने निम्न पदों पर नियुक्त किया गया था उनके मामलों पर भी पुनरीक्षण करें तथा जो अन्याय उनके साथ हुआ है उसे ठीक करें क्योंकि बाद में बेचारे उच्च न्यायालय में अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते हैं।

मैं दूसरी बात ठेकेदार को दिये गये धन के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं कि ठेकेदारी पद्धति के कारण इन प्रतिरक्षा स्थापनाओं में बड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा है। मैं विभाग द्वारा किये गये तथा ठेकेदारों द्वारा किये गये काम के आंकड़ों को सभा के सामने

---

†मूल अंग्रेजी में

रखता हूं । १९५५–५६ में विभाग द्वारा ३७४.७३ लाख रुपये तथा ठेकेदार द्वारा १२६३.५८ लाख रुपये का काम कराया गया । १९५६–५७ में विभाग द्वारा ३८०.२ लाख रुपये तथा ठेकेदार द्वारा १४०८ लाख रुपये का काम कराया गया । मैं बताना चाहता हूं कि जब तक हम ठेकेदारों से काम कराना बन्द नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं होगी ।

तीसरी बात मैं केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अग्रिम धन के बारे में कहना चाहता हूं । सभा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकाल की स्थिति के बारे में रोज़ ही सवाल उठाया जाता है । वहां पर सिंचाई सुविधायें ठीक नहीं हैं । मुझे पता लगा है कि वहां के मुख्य मंत्री ने योजना आयोग के सदस्य श्री श्रीमन्नारायण से छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये २ करोड़ रुपये मांगे थे । मेरा अनुरोध है कि यह उनको दिये जाने चाहियें ।

मुझे पता लगा है कि उत्तर प्रदेश की रिहांद बांध योजना को छोटा करके ११ करोड़ रुपये की कर दिया गया । पूछने पर इस सभा में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री का इस बारे में परामर्श ले लिया गया था । परन्तु मैंने उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रश्न पुछवाया तो वित्त मंत्री तथा मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया कि उनका परामर्श नहीं लिया गया । मैं नहीं जानता कौन सी बात ठीक है । अन्त में मेरा प्रतिरक्षा उपमंत्री तथा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इन बातों पर विचार करें और विवाद का उत्तर देते समय इन पर प्रकाश डालें ।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : सभापति महोदय, मैं अपने रिमार्क्स डिमान्ड नं० ९, ७९, ९५ और १०८ तक, जो कि स्टेट्स को कर्जा देने मुताल्लिक़ हैं, महदूद रक्खूंगा । क़र्ज़ा देने की रक़मों को छोड़ कर जो चार डिमान्ड्स हैं उन की रकमात बहुत छोटी हैं । कुल मिला कर ८० या ८५ हज़ार रुपया बनता है । लेकिन उनमें बड़ा भारी प्रिंसिपल इन्वाल्वड है । इन रक़मों से जाहिर होता है कि हमारी सेण्ट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ और आफिशियल्स कितने नाकिस हैं । मिसाल के तौर पर डिमान्ड नं० ९ को ही लीजिये । अभी मुझ से पहले हाउस की तवज्जह इस बात की तरफ़ दिलाई गई है एक फौजी अफसर को रिवर्ट किया गया । उसने जितने भी तरीक़े इन्साफ़ पाने के हो सकते थे अपने महकमे से कोशिश की लेकिन डिफेन्स के महकमे में उसे कोई इन्साफ नहीं दिया । फिर वह रिट पिटीशन (लेखयाचिका) में गया । गालिबन हाईकोर्ट ने कहा होगा कि अभी और रेमेंडीज़ ओपन हैं इसलिये उसे इब्तदाई (प्रारम्भिक) सिविल कोर्ट में जाना पड़ा । वहां से भी उसे इन्साफ़ नहीं मिला तो वह हाई कोर्ट में गया और फिर उसे मुआवज़ा मिला । तो जैसा कि अभी मुझ से पहले बोलने वाले स्पीकर ने कहा यह तो एक अफसर को बात है । उसी का यह दम था कि वह इस तरह से बराबर मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों के खिलाफ़ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने में लगा रहा, लेकिन कितने ऐसे अफसर हैं, न सिर्फ डिफेन्स के महकमे में बल्कि दूसरे महकमों में भी जिन महकमों में बैठे हुये अफसर, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी से वे इन्साफ़ नहीं पा सकते होंगे । मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मेम्बर पार्लियामेंट इस बात को जानते हैं कि इन लोगों में काफी असन्तोष है । लोग एप्रोच करते हैं मैं हैरान हूं कि उनको कैसे इन्साफ़ दिलाया जाय । मैं नहीं जानता कि उन तक फाइल्स जाती भी हैं या कि नीचे के अफसर ही उनको डिस्पोज़ आफ कर देते हैं । यह एक ऐसी चीज़ है कि जिसका ताल्लुक़ दूसरी डिमान्ड्स से भी है, इसलिये इसका ज़िक्र उनके साथ ही करूंगा ।

इस के बाद आइये डिमान्ड नं० ७९ पर । इस डिमान्ड की रकम तो सिर्फ १,००० रु० है, लेकिन उसको जरा खोल कर देखिये कि क्या बात है ? नीलोखेरी मेरे ज़िले में है, मेरी कांस्टि-

[श्री मू० चं० जैन]

टुएंसी में है, इस लिये मुझे उस के बारे में ज्यादा पता है, वहां एक गारमेंट फैक्ट्री खोली गई। लिबास बनाने का काम करती थी। उसे सरकार ने कपड़ा बनाने का इक़रार किया और उस फैक्टरी से ७,००० रु० की ज़मानत ली। जहां तक मुझे याद है सन् १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ और १९५२ में कपड़े की तक़सीम पर कोई कंट्रोल नहीं था। मैं नहीं जानता कि क्यों सरकार ने कपड़े की सप्लाई करने का वादा किया जब कि उस की कीमत पर भले ही कंट्रोल रहा हो, उस की तकसीम पर कोई कंट्रोल नहीं था। सरकार ने कपड़े की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन जिस ठेकेदार को लिबास बनवाना था, उस ने कपड़े की डिलिवरी नहीं ली। नतीजा यह हुआ कि उस कपड़े को सरकार को नीलाम करना पड़ा जिसमें उसे १९,००० रु० का घाटा हुआ। एक तरफ़ तो कपड़े की इतनी बड़ी डिलिवरी कि नीलाम करने पर १९,००० रु० का घाटा और दूसरी तरफ़ ज़मानत सिर्फ ७,००० रु०। ७,००० रु० जब्त हो जाता है। पता नहीं कि ज़मानतनामे में क्या नुक्स था कि वह भी टिक नहीं सका, जमानत ज़ब्त नहीं हो सकी, वह क़ोर्ट के पास जाता है, 'आरबिट्रेटर के पास जाता है और वह उस के क्लेम को तसलीम कर लेता है। भले ही यह रक़म बहुत थोड़ी हो, लेकिन इसमें प्रिंसिपल कितना बड़ा इन्वाल्वड है कि सरकार रुपया कैसे खर्च करती है, उस में १९ करोड़ रु० का घाटा हुआ। वह तो बजट में आ गया होगा। इस वक्त तो सिर्फ जो डिगरी हुई है उसी का ज़िक्र है। जो ४१४० रु० की डिगरी हुई है, हमारे सामने उस का सवाल है। तो क्या इस के लिये कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है। जिस ने शुरू में ठेका दिया, जिस ने उस से ज़मानत ली और उसे ऐक्सेप्ट किया उस की कोई जिम्मेदारी नहीं है ? क्या रिहैबिलेटेशन मिनिस्ट्री के किसी अफसर को सजा दी गई कि उस ने एक्सचेकर का रुपया, इस देश के गरीब लोगों का रुपया जो पैसा-पैसा कर के वह सरकार के खजाने में जमा करते हैं, उन की खून पसीने की कमाई इस तरह से जाया हो, इसके लिये किसी अफसर को सजा हुई ?

इस के बाद जो अगली डिमान्ड है वह नं० ९५ है। जिस में गवर्नमेंट ने ४०,००० टन अमोनियम खाद लेने का एक जर्मन फर्म से इकरार किया था। मैं ने एक्स्प्लेनटरी नोट को पढ़ा तो मालूम हुआ कि कितना बेदर्दी से रुपया खर्च होता है जैसे कोई हराम का माल है। ९० फीसदी रुपया तो उसे पहले ही दे दिया गया। ४०,००० टन का १० फीसदी बाद के लिये बचता है। इस खाद को जहाज से उतारने के लिये एक इंडियन फर्म ने जिम्मेदारी ली थी। उस से सिर्फ ५०,००० रु० जमानत के तौर पर लिया जाता है। वह फर्म माल नहीं उतारती। हमारी सरकार गारेन्टी देती है कि कोई बात न ीं अगर वह फर्म रुपया नहीं देती तो सप्लायर्स की ओर से हम रुपया देंगे। माल उतर गया। जो हिन्दुस्तानी एजेन्ट है उस ने माल नहीं उठाया खुद गवर्नमेंट को माल उठाना पड़ा। इस सवाल का जवाब गवर्नमेंट को देना होगा कि जब आप ने उन शिपर्स को गारेन्टी दी तो क्यों रुपया नहीं दिया। शिपर्स को आप को देना पड़ा ४०,००० रु० उस को सूद की डिगरी हुई १४ ००० रु० सूद और उस पर कास्ट आई ३,००० रु०। क्या आप समझते हैं कि यह रुपया वैसे ही आता है। हमारे लोग टैक्स दे कर रुपया खजाने में दाखिल करते हैं और हमारे अफसर इस तरह से काम करते हैं। सरकार को ऐसी बातों को रोकना चाहिये। सप्लायर्स को अगर गारेन्टी करने के बाद हम रुपया नहीं देंगे तो कौन देगा। अगर नहीं देना था तो आप ने गारेटी क्यों दी और क्यों शिपर्स को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसी तरह से देखिये कि उस के बाद क्या होता है। जो सप्लायर्स थे उन्हों ने २३ हजार पौंड का क्लेम कर दिया सरकार के ऊपर। अभी शिपर्स के दावे तो अदालतों में चल रहे हैं। उधर सप्लायर्स ने जो उन के २३ हजार के क्लेम थे उन को आर्बिट्रेशन के सुपुर्द कर दिया है। और आर्बिट्रेटर ने ६,००० पौंड की डिग्री दे दी, अदालतों में जितने रुपयों के हमारे ऊपर दावे थे वे

चल रहे हैं। मैं तो देख कर हैरान हूं कि किस तरह हमारा रुपया ज़ाया होता है। अभी कल तक मुतवातिर तीन दिन तक प्लानिंग पर बहस होती रही। मुझे उस पर बोलने का मौका तो नहीं मिला लेकिन हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर नन्दा साहब ने जो फ़रमाया वह मैं ने बग़ौर सुना। उन्हों ने शुरू में ही कहा कि क्या ही अच्छा हो कि हमारी फ़िजूलखर्ची कम हो जाय और क्या ही अच्छा हो कि हमारे देश में ज्यादा बचत की बात हो जाये और अगर हमारे देश में वह सब चीजें हो जायें तो फिर हमारी यह दूसरी प्लानिंग की योजना बड़ी अच्छी तरह कामयाब होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वे कौन बातें और कौन सी रुकावटें हैं जिन के कि कारण हमारी प्लानिंग कामयाब नहीं हो रही है उन के बारे में क्या कोई खोज की गई और उन को दूर और हल करने की क्या कोई कोशिश की गई ? मैं पूछना चाहता हूं कि जो अफ़सर उस के लिये जिम्मेदार हैं और जिन्हों ने कि ग्रान्ट दे कर शिपर्स को रुपया अदा नहीं किया और उन को उस के लिये अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा आप ने उन को क्या सज़ा दी और क्या आप न उन से इस का जवाब मांगा कि उन्हों ने इस तरह एक्सचेकर पर क्यों बोझ डाला। मैं जानना चाहता हूं कि उन शिपर्स ने जिन्हों ने कि २३ हज़ार पौंड का क्लेम दिया था और अदालत ने ६ हजार पौंड की डिग्री दे दी और उन की अदायगी हो गई आप ने उन से डील करने वाले अफसरान को उन को इस के लिये क्या सज़ा दी और आप ने उन की तनख्वाह में से वह रुपया क्यों मुजरा कर के नहीं दिया।

अगली डिमांड नम्बर १०८ है जो कि डिफेंस कैपिटल आउटले के मुताल्लिक है और रकम उस में १४,००० रुपये की है। शकूर बस्ती में कुछ सड़कों और क्वार्टर्स बनाने के लिये एक पार्टी को ठेका दिया गया। ठेकेदार ने मुकर्ररा वक्त पर काम पूरा नहीं किया इसलिये उस का कंट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया और बाक़ी बचा हुआ काम सरकार ने कंट्रैक्टर के रिस्क पर करवाया। अब यह डिफ़ेंस मुहकमे की बात है। श्री बनर्जी ने डिफेंस मुहकमे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो करप्शन चलता है उस का जिक्र किया। मुझे पिछले डेढ़ वर्ष से जो तजुर्बा हुआ है उस की बिना पर मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट पी० डब्ल्यू० डी० से सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० में करप्शन ज्यादा है, रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० से करप्शन ज्यादा है और रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुकाबले में डिफेंस के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करप्शन ज्यादा है। यह चीज़ें चल रही है। अब चूंकि इस मामले में उस ठेकेदार ने वक्त पर काम पूरा करके नहीं दिया और सरकार ने अपनी कीमत पर काम करा लिया तो उस ठेकेदार से क़ीमत वसूल करनी चाहिये थी, की गई। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। जो एग्रिमेंट ठेकेदार के साथ लिखा गया था और जोकि हर मुहकमे में लिखा जाता है पता नहीं उस एग्रीमेंट की शर्तों में क्या नुक्स था कि वह रुपया जब गवर्नमेंट ने ठेकेदार से वसूल किया उतना रुपया जब्त किया और जब ठेकेदार ने उस के लिये क्लेम किया तो सालिस ने उस के क्लेम को जायज़ करार दे दिया और सरकार की बात नहीं मानी और सरकार के खिलाफ ७५४९ रुपये का एवार्ड दे दिया। यह तो इस डिमांड का पहला पार्ट हुआ।

डिमांड का दूसरा पार्ट उस काम के मुताल्लिक है जिस में कि नेशनल डिफेंस एकेडेमी, खड़कवासला में कैडट्स क्वार्टर्स बनाने का ठेका एक फर्म के साथ किया गया था। ठेकेदार अपना काम करता है और फर्म को ६३४६ रुपये का ओवर पेमेंट हो जाता है। उस के डिटैक्ट होने पर उस फ़र्म को वह रकम रिफ़ंड करने के लिये लिखा गया जिस के कि लिये उस ने इंकार कर दिया। इस पर वह रकम उस ठेकेदार पर एक दूसरे कंट्रैक्ट के ड्यूज़ से रिकवर कर ली गई जिस को कि उस फ़र्म ने मंजूर नहीं किया। इस मामले को ले कर वह फ़र्म सालिस के पास गई और उस ने हमारी सरकार के खिलाफ फैसला दिया और यह ६, ७ हजार रुपया इस वजह से देना पड़ा। डिफेंस डिपार्टमेंट का इस से भी ताल्लुक है और चूंकि श्री रघुरामया यहां पर तशरीफ रखते हैं इसलिये वे यह बतायें कि क्या जो

[श्री मू० चं० जैन]

ओवरपेमेंट हो गया उस फर्म से वसूल कर लिया। मैं समझता हूं कि अगर उन्हों ने वसूल कर लिया होता तो हाउस में यह डिमांड ले कर वे न आते। आज हम देखते हैं कि किस तरह पबलिक एक्सचैकर का रुपया बर्बाद किया जा रहा है। किस तरह रुपये का वेस्ट हो रहा है और जनता के सामने चूंकि हमें जाना होता है तो हमारे लिये यह मुश्किल हो गया है कि हम उन को इस का कोई तसल्लीबख्श जवाब दे सकें। आज जनता में इस चीज़ को खुले आम कहा जा रहा है कि रुपया बखेरा जा रहा है और सरकार द्वारा इस तरह रुपया को ज़ाया किया जा रहा है।

नीलोखिड़ी की बाबत में मैं कुछ कहना चाहूंगा। सन् १६५०-५१ में एक पार्टी ने नीलोखिड़ी में एक गार्मेंट फैक्टरी चालू की उस वक्त नीलोखिड़ी का शासन गवर्नमेंट आफ इंडिया के कंट्रोल में था। गवर्नमेंट ने रेफ्यूजी भाइयों को यहां पर सैटिल करने के लिये फ़रीदाबाद की तरह टाउनशिप बनाया और वहां पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने २०, ३० स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज़ खोलीं और उन में ग़ालिबन एक करोड़ रुपया लगाया। यह हमारे सामुदायिक विकास मंत्री डे साहब नीलोखेड़ी के इंचार्ज होते थे। कुछ दिनों के बाद उन्हों ने कहा कि अब आप कोआपरेटिव सोसाइटियां बना लीजिये और यह जितना भी सरकार का माल है और एसैट्स हैं यह सब हम आप के हवाले किये देते हैं। सब रेफ्यूजीज़ ने वहां मिल कर कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई और इस तरीक़े से बुक वैल्यू पर उन तमाम एसैट्स को लिया जिन की कि क़ीमत बहुत डैप्रिशिएट हो चुकी थी।

रेफ्यूजीज़ की कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम उन की वही बुक वैल्यू ही चढ़ाई गई। इस का नतीजा यह हुआ कि वे सारी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एक दो साल में फ़ेल हो गईं। आज गवर्नमेंट उन कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रेसीडेंट, सेक्रेटरीज़ और जो उन के कोआपरेटर्स थे उन को परेशान कर रहा है। अब आर्बिट्रेटर के पास तो सरकारी मुहकमा गया और उन्हों ने भी लाचार हो कर सिविल कोर्ट के दरवाज़े खटखटाने शुरू कर दिये हैं। मेरा कहना यह है कि इंसाफ का तकाज़ा तो यह है कि आप किसी किस्म की कानूनी कार्यवाही उन के खिलाफ न करें और उन से वह रुपया वसूल न करें लेकिन अगर यह मुमकिन न हो तो यह एक मामला है जो कि हाई लेविल पर लिया जाना चाहिये और इस को छोटे अफसरों के ऊपर छोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से गरीब लोगों को परेशान किया जायगा और गरीब लोग फिर तंग आ कर सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगें और इस तरीके से परेशानी ही पैदा होगी।

बस एक आखिरी बात कह कर मैं बैठे जाता हूं। स्टेट्स को जो लोन दिये जाते हैं उस बारे में डिमांड २ करोड़ रुपय की है। अभी उत्तर प्रदेश के बारे में श्री स० म० बनर्जी ने कहा। मैं चूंकि पंजाब से आता हूं इसलिये उस प्रान्त के बारे में थोड़ा अर्ज़ करना चाहता हूं। आज जबकि देश के अनेक भागों में खाद्य की कमी महसूस की जा रही है तब हमारा प्रान्त पंजाब उन प्रान्तों की खाद्य सम्बन्धी ज़रूरत को पूरा करने में काफ़ी मदद कर रहा है और मैं समझता हूं कि हाउस के तमाम मेम्बरान इस से इत्तिफाक करते होंगे कि पंजाब का खेतीबाड़ी करने वाला किसान बहुत हिम्मती है। लेकिन आज उस के रास्ते में कई रुकावटें आ गई हैं जिन में से कि एक बड़ी रुकावट वहां पर बाढ़ का आना और वाटर लौगिंग का होना है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सरकार बाढ़ को रोकने और इस वाटर लौगिंग को वहां पर रोकने का इंतज़ाम कर दे तो फिर पंजाब का किसान बहुत अधिक पैदावार कर के दिखा सकता है। पंजाब सरकार इस के लिये हिन्द सरकार से कर्ज़ मांगती है। हिन्द सरकार ने कुछ कर्ज़ दिया भी है। मैं यह नहीं कहता कि उसने पंजाब सरकार को कर्ज़ नहीं

दिया लेकिन जितना कर्ज़ पंजाब सरकार को इन बाढ़ों और वाटर लौगिंग को रोकने के लिये चाहिये उतना नहीं मिला है और जिस का नतीजा है कि पंजाब सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। इसलिये मेरा सुझाव है और निवेदन है कि यह लोन्स देते वक्त पंजाब सरकार की डिमांड्स का खास तौर पर खयाल रक्खा जाय और अभी तो शायद मुमकिन न हो लेकिन अगली बार जब डिमांड्स पेश हों तो पंजाब सरकार को अधिक रकम की मंजूरी दी जाये ताकि वह अपने यहां कृषि की पैदावार बढ़ा सके। बस मुझे इस के बाद और कुछ नहीं कहना है क्योंकि मेरा समय अब खत्म हो गया है।

†**सभापति महोदय** : मुझे यह घोषणा करनी है कि माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये कटौती प्रस्तावों में से कुछ कटौती प्रस्ताव नियम बाह्य हैं। मांग संख्या १२८ पर कटौती प्रस्ताव संख्या ४१ ८, ९, १०, ११, १२, १३, १५, १६, १७ और १८ तथा मांग संख्या १३० पर कटौती प्रस्ताव संख्या १२७ नियम बाह्य हैं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर श्री ले० अचौ सिंह द्वारा निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१२८	४०	आसाम में एक से अधिक शोधनशाला स्थापित न कर सकना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये।
१२८	१४	आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तथा इंडियन रिफाइनरीज़ प्राइवेट लिमिटेड में सरकार के लिये लाभ की अधिक प्रतिशतता न रख सकना।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये।
१३०	२५	नागा पहाड़ियों में जिलों में आने जाने की सड़कों के बनाने के ब्योरे इकट्ठे करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
१३०	२६	डीमापुर-कोहिमा सड़क को मज़बूत करने की आवश्यकता।	१०० रुपये

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : सब से पहले मैं मांग संख्या ११७ के बारे में यह बताना चाहता हूं कि गत वर्ष आकस्मिक निधि से लिये गये २ करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिये यह मांग प्रस्तुत की गई है। यह २ करोड़ रुपये की धनराशि ४१·५ करोड़ रुपये की पहले स्वीकार की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० अचौ सिंह]

गई धनराशि से अलग है । यह बड़ी ही अनुचित बात है कि १६५७-५८ में कुछ धन व्यय कर लिया जाये और उस के बारे में हमें कुछ न बताया जाये । मांग संख्या १२८ के बारे में मेरा अपना विचार है कि भारत सरकार ने दो शोधनशालायें बनाने का जो निर्णय किया है वह ठीक नहीं है । आप जानते हैं कि पहले भारत सरकार ने यह निर्णय किया था कि बिहार में एक शोधनशाला बनाई जायेगी जिस के सम्बन्ध में आसाम में आन्दोलन हुए थे जिन के परिणामस्वरूप दो शोधनशालायें बनाने का निर्णय हुआ । परन्तु आसाम वासी इस से भी सन्तुष्ट नहीं हुए और मामला अमेरिकी सलाहकारों को उन्हों ने भेजा जिन्हों ने यह बताया कि तेल के कुओं के निकट एक शोधनशाला ही बनाई जानी चाहिये । मेरे विचार से भारत सरकार को इस सिफारिश को मान लेना चाहिये । इस के साथ यदि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय करने में इतना अधिक विलम्ब नहीं किया होता तो आसाम सरकार को ३ करोड़ रुपये मिल गये होते जिस को वह राज्य के विकास के लिये उपयोग में ला सकती थी ।

भारत में तेल की मांग प्रति व्यक्ति ७ गैलन है जबकि समस्त विश्व में प्रति व्यक्ति लगभग ७० गैलन है । विशेषज्ञों का कहना है कि दस वर्ष की अवधि में भारत में यह बढ़ कर लगभग दुगनी हो जायेगी । मेरा निवेदन है कि भारत सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये जिस से आत्म निर्भरता आ जाये और यथासंभव शीघ्र आसाम के तेल संसाधनों का उपयोग करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये ।

शोधनशाला की स्थापना के बारे में मेरा यही कहना है कि आसाम में केवल एक शोधन-शाला स्थापित की जानी चाहिये और देश के पश्चिमी भाग में भी एक शोधनशाला स्थापित की जानी चाहिये क्योंकि खम्भात आदि में तेल का पता लग चुका है ।

आसाम आयल कम्पनी से जो समझौता हुआ है उस के अनुसार सरकार के एक तिहाई अंश होंगे और इस प्रकार लाभ भी एक तिहाई ही मिलेगा जोकि बहुत थोड़ा है । मेरे विचार से हमें इन सभी तेल समवायों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये और तेल से सम्बन्धित सभी कामों की देख-भाल के लिये राष्ट्रीय तेल निगम बनाया जाना चाहिये ।

हमारे देश में हवाई जहाज़ के तेल तथा मिट्टी के तेल की बड़ी खपत है परन्तु इन का उत्पादन नहीं होता है । भारत सरकार को इन का उत्पादन करने के बारे में शीघ्रता से कार्यवाही करनी चाहिये ।

तेल समवायों के पास मशीनों को चिकना करने के तेल बनाने के सभी यंत्र हैं परन्तु भारत सरकार ने जो समझौता किया है उस में इस तेल के उत्पादन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । सरकार को इस बारे में भी कार्यवाही करनी चाहिये ।

मांग संख्या १३० में सरकार ने नागा पहाड़ियों—तुएनसांग क्षेत्र में ५२,००,००० रुपये से सड़क बनाने की व्यवस्था की थी परन्तु मैं समझता हूं कि गंभीरता से इस सम्बन्ध में कोई कार्य-वाही नहीं की गई है । सैनिकों ने अवश्य बहुत सी सड़कें बनाई हैं । मेरा सुझाव है कि सड़क बनाने के लिये स्थानीय व्यक्तियों को लगाया जाना चाहिये । इस के साथ जिन जिन पुलों को बनाना है उन के आंकड़े इकट्ठे किये जाने चाहियें । अन्त में मेरा यह कहना है कि नागा पहाड़ियों को मिलाने वाली सड़क की मरम्मत की जानी चाहिये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर श्री वै० च० मलिक द्वारा निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती का आधार	कटौती की राशि
३	५१	हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी का कार्यक्षेत्र उड़ीसा के नमक क्षेत्रों तक बढ़ाया जाना ।	१०० रुपये
१३०	५२	नागा पहाड़ियों में सड़कों के विकास के लिये एक वृहद् योजना न बना सकना ।	१०० रुपये

†**श्री वै० च० मलिक** (केन्द्रपाड़ा—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं मांग संख्या ३ और १३० के बारे में ही कहूंगा । मांग संख्या ३ में हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के पंजीयन के लिये ४,००० रुपये की मांग की गई है । इस समवाय का काम नमक का उत्पादन बढ़ाना है । मैं चाहता हूं कि इस समवाय को राजस्थान और बम्बई के तीन कारखानों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये ।

इस समवाय के क्षेत्राधिकार में सुमाडी, सुराला और हूमा के नमक कारखानों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये । देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ हमारी नमक की आवश्यकतायें बढ़ती जा रही हैं । लेकिन उड़ीसा में नमक का उत्पादन बहुत ही कम है । वहां की कुल आवश्यकता २६ लाख मन है, लेकिन वहां से कुल १०—११ लाख मन नमक ही मिलता है ।

उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में उड़ीसा बहुत ही बढ़िया किस्म का नमक पैदा करता था और वहां से हर साल ९ लाख मन नमक पास के राज्यों में भेजा जाता था । ब्रिटिश शासन काल में नमक पर उत्पादन कर लगने से ही वहां नमक का उत्पादन गिर गया है ।

उड़ीसा की ज़मीन और समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड—साधारण नमक—का बड़ा भंडार मौजूद है । फिर भी वहां से अधिक नमक न मिलने के कारण हैं :—

(१) प्रबन्ध की ख़राबी; (२) प्रविधिक कर्मचारियों का अभाव; (३) रुपये-पैसे की कमी; (४) कम मज़दूरी; और वर्तमान नमक प्रशासन का अकार्यक्षम होना ।

उड़ीसा के सहायक नमक नियंत्रक का प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है । इसलिये वह ठीक ढंग से नियंत्रण नहीं कर पाता । प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुसार भी, उसे उड़ीसा में ही रखना चाहिये ।

नमक विशेषज्ञ समिति ने १९५० में एक इस बड़े विचित्र तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था कि उड़ीसा के किसी भी नमक कारखाने में प्रविधिक कर्मचारी नहीं हैं । विशेषज्ञ समिति ने यह भी राय प्रकट की थी कि यदि उस का ठीक ढंग से विकास किया जाये तो केवल गंजम ज़िले से ही

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री वै० च० मलिक]

उड़ीसा की आवश्यकता की पूर्ति के लायक नमक मिल सकता है। इतना ही नहीं ; गंजम के नम कारख़ाने, सिंदरी उर्वरक कारखाने के अधिक पास हैं, और उन से कहीं अधिक सस्ते में सिंदरी व आवश्यकता के लायक सोडा ऐश मिल सकता है। सांभर और काठियावाड़ के कारखाने तो सिंद से कहीं दूर पड़ते हैं। इसलिये हमें उड़ीसा को प्राथमिकता देनी चाहिये।

प्राक्कलन समिति ने १६५४-५५ में यह महसूस किया था कि निजी प्रबन्ध में चलने वाले समवायों का उत्पादन यदि देश के कुल नमक उत्पादन का ७५ प्रतिशत है तो सरकारी क्षेत्र कुल २५ प्रतिशत उत्पादन ही कर पाता है। इसलिये सरकार को उड़ीसा के सुमाड़ी, सुराला और हूमा कार खानों का प्रबन्ध ठीक करना चाहिये।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : श्री बनर्जी और श्री जैन ने मांग संख्या ६ का उल्लेख किया है। वह प्रत्यावर्तन के एक मामले के सम्बन्ध में है। श्री बनर्जी ने तो कुछ इस तरह दलीलें दी हैं जैसे कि प्रत्यावर्तन के जितने भी मामले होते हैं उन सभी में सरकार बड़े ग़लत और असंवैधानिव ढंग से चलती है और इस मामले में सिर्फ इसीलिये प्रत्यावर्त किये गये अधिकारी की हानि नहीं हो सकी है कि उसे न्यायालय में अपील करने का अवसर मिल गया था। श्री बनर्जी को इस मामले विशेष को जरा और गौर से देखना चाहिये। तब वे ऐसी दलीलें नहीं देंगे।

इस में हुआ यह था कि श्री कोल्कर को पहले अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था, और बाद में लोक सेवा आयोग के जरिये उन की पदोन्नति सहायक इंजीनियर के पद पर हो गई थी। इसीलिये यह प्रश्न उठा था कि सहायक इंजीनियर के पद पर उन की सीधी नियुक्ति हुई थी, या वह उस पर पदोन्नत किये गये थे। विभाग का मत यह है कि वे उस पर पदोन्नत किये गये थे। यदि यह पदोन्नति विभागीय तौर पर एक अस्थायी पद पर किसी के स्थान पर ही की गई होती, तो सरकार संविधान के अनुच्छेद ३११(२) का उपयोग किये बिना ही, विभागीय तौर पर ही, उन्हें प्रत्यावर्तित कर सकती थी। लेकिन, चूंकि उच्चतर पद पर उन की नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा की गई थी, इसलिये उस में पेचीदगी पैदा हो गई थी। इसीलिये, अपीलीय न्यायालय ने यह निर्णय किया कि उन्चतर पद पर उन की नियुक्ति हुई थी, पदोन्नति नहीं।

इस पर बहस की काफ़ी गुंजाइश है। श्री कोल्कर ने बम्बई उच्चन्यायालय में अपने प्रत्यावर्तन के विरुद्ध एक लिखित याचिका पेश की थी, लेकिन उन की अपील खारिज कर दी गई थी। बाद में, उन्हों ने मुकदमा दायर किया था और उस का निर्णय भी सरकार के पक्ष में रहा था। उस निर्णय की अपील के बाद ही, अपीलीय न्यायालय ने पहले निर्णय के विरुद्ध निर्णय किया था। इस प्रकार इस मामले में न्यायालयों की राय भी एक नहीं रही। हम ने इस मामले में उच्चतम प्राधिकार का निर्णय मान लिया है।

लेकिन प्रत्यावर्तन के हर मामले में सरकार के अनुच्छेद ३११(२) का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसलिये श्री बनर्जी की यह दलील सारहीन है कि हर मामले में इस अनुच्छेद की व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। इस विशेष मामले को देख कर कोई सामान्य निष्कर्ष निकालना गलत है।

मांग संख्या १०८ एक उस राशि के सम्बन्ध में है जो हमें पंच के फ़ैसले के अनुसार एक ठेकेदार को अदा करनी पड़ी है। श्री बनर्जी ने कहा है कि ये काम ठेकेदारों के जरिये नहीं कराने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हमारा अनुभव यह है कि इन को ठेकेदारों द्वारा कराने से ही सस्ता पड़ता है, क्योंकि विभाय तौर पर इन को कराने पर कर्मचारियों के लिये तमाम सुविधायें, इत्यादि सरकार को जुटानी पड़ती हैं ।

यह मामला यह था कि एक ठेकेदार---श्री कुशालसिंह---को कुछ सड़कें और पुलियां बनाने का ठेका दिया गया था । उसने चूंकि ठीक समय पर काम पूरा नहीं किया इसलिये हम ने उसका ठेका रद्द कर दिया था । उस में एक बड़ी मद काम में देर होने के ८,४२७ रुपये के हर्जाने की थी । पंच ने उसे घटा कर ७१० रुपये कर दिया था और चूंकि वह पंच का फैसला था इसलिये हमने उसे स्वीकार कर लिया था । उसमें कम प्राक्कलन करने की तो कोई बात ही नहीं थी। इसलिये इस मामले विशेष से भी सभी मामलों के लिये कोई आम नतीजा निकाल लेना ग़लत है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : नयी नागा पहाड़ी इकाई से सम्बन्धित सड़क विकास और निर्माण कार्यक्रम के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं । सभी जानते हैं कि आसाम के दो क्षेत्रों और नेफा के एक क्षेत्र---तुऐनसांग डिवीजन---को मिला कर अभी हाल में यह एक नयी इकाई बनाई गई है ।

द्वितीय योजना में इस इकाई की सड़कों के लिये जो राशि व्यवस्थित की गई थी वह जल्दी ही खर्च हो गई थी । पिछले वर्ष हम सड़कों पर ६० लाख रुपये से अधिक खर्च कर चुके थे और इस वर्ष हमें ६०.०८ लाख रुपयों की और जरूरत पड़ेगी । इसीलिये यह मांग रखी गई है ।

इस सम्बन्ध में कहा यह गया है कि वहां इंजीनियरों की कमी है और हमें कोहिमा-दीमापुर सड़क पर अधिक शीघ्रता से कार्य समाप्त करना चाहिये । यह राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३९ ही आसाम और मनीपुर को जोड़ने वाला एक अकेला राजपथ है । हम पिछले एक वर्ष में उसके कुछ हिस्सों के सुधार के लिये कुल २५.३६ लाख रुपये की मंजूरी दे चुके हैं । वह एक बड़ा दुसाध्य कार्य है । भीषण वर्षा से वहां जब तक बड़े-बड़े भूमि खंड धसक जाते हैं और साथ ही कुछ उपद्रवी लोग जब तब कुछ पुलों को आग लगा देते हैं और सड़क को तोड़ फोड़ देते हैं । हमें उन सब की फिर से मरम्मत करनी पड़ती है । इसलिये यह मांग स्वीकृत की जानी चाहिये ।

इंजीनियरों और ओवरसियरों की कमी के प्रश्न की हम जांच करेंगे और उस कमी को पूरी करेंगे ।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं इस मांग के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन मैं राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिम धन से सम्बन्धित सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अवश्य कुछ कहूंगा । मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि १९५६ के अन्त तक राज्यों को कुल ९०० करोड़ रुपयों के ऋण दिये गये थे । और अब तो इस वर्ष वह राशि और भी बढ़ गई है । कई राज्यों ने बार-बार केन्द्र से कहा है कि इन ऋणों के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त निश्चित कर लिये जाने चाहियें । मान लीजिये कोई राज्य सरकार ऋण अदा नहीं कर पाती तब केन्द्र क्या करेगा ? राज्य सरकारों में अब यह भावना जड़ पकड़ती जा रही है कि वे ऋणों की अदायगी नहीं कर पायेंगी ।

अभी तो ऐसा लगता है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें सभी ऋणों के बल पर ही चल रही हैं । केन्द्र स्वयं विदेशों से ऋण लेता जाता है और राज्य सरकारों को देता जाता है । ब्याज की दरें भी बढ़ती चली जा रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री पाणिग्रही]

इसलिये इसके बारे में एक कोई सिद्धान्त रहना चाहिये कि राज्य सरकारें किस तरह किस ढंग से इन ऋणों की अदायगी करेगी । अन्यथा केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच अविश्वास बढ़ता चला जायगा । यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है । उड़ीसा के मामले में एसा हुआ है । इसलिये इनके सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त शीघ्र ही निश्चित हो जाने चाहियें ।

नागा प्रदेश के लिये राशि स्वीकृत होन पर तो मुझे प्रसन्नता है लेकिन इस सम्बन्ध में भी कुछ सिद्धान्त होना चाहिये । आसाम, नेपाल, भूटान, सिविकम, इत्यादि के सीमा प्रदेशों के विकास के सम्बन्ध में हमारी एक निश्चित नीति रहनी चाहिये । इन सीमा प्रदेशों में रहने वाली आदिम जातियों में परस्पर सम्पर्क बढ़ना चाहिये । इसके लिये इन प्रदेशों में संचार की सुविधायें बढ़नी चाहियें ।

भारत सरकार ने अपने अनुमोदन से नेपाल में अमरीकी धन और अमरीकी नीति को अपने पैर जमा लेने दिये हैं । अब उनकी कार्यवाहियां सिक्किम और भूटान तक बढ़ रही हैं । इसलिये वहां अब हिन्दुस्तान-विरोधी भावना जड़ पकड़ती जा रही है । इसलिये भारत सरकार को इन सीमा प्रदेशों के बारे में अपनी एक निश्चित नीति बनानी चाहिये । अभी सीमा प्रदेशों के निवासियों को भारत में होने वाले विकासों की कोई जानकारी ही नहीं है । इसीलिये मैंने अपना यह सुझाव रखा है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि मांग संख्या ३ के बारे में रखे गये सभी कटौती प्रस्तावों में हिन्दुस्तान नमक निगम का कार्य और विस्तृत करने की मांग की गई है । निगम के निर्माण का किसी ने भी विरोध नहीं किया है । केवल श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने इस समवाय के निर्माण और उसके लिये अपनाई गई पद्धति तथा प्रक्रिया के सिद्धान्त से असहमति प्रकट की है । उनका कहना है कि इस निगम के बनाने के लिये भारत सरकार को राजस्थान सरकार से अनुमति लेना जरूरी था । मैं इस दलील को समझ नहीं पाया ।

संविधान के अन्तर्गत नमक केन्द्र के अधीन विषय है और पहले से भी रहा है । १९वीं सदी के अन्तिम चरण से भारत सरकार ही राजस्थान में स्थित तीनों नमक कारखानों को चलाती रही है । इन कारखानों के लिये राजस्थान के कई दरबारों से ८०, ९०, ९५ या १०० साल पहले पट्टे पर ज़मीनें ली गई थीं । उनमें से कुछ पर तो भारत सरकार ने स्वयं अपने कारखाने बनाये और कुछ को अन्य लोगों को पट्टे पर उठा दिया है । इसलिये अब यदि भारत सरकार उनको एक बड़े राज्य निगम को पट्टे पर देना चाहे और उन नमक कारखानों का काम भी उसी निगम को सौंपना चाहे तो उसमें राजस्थान सरकार की अनुमति लेने की क्या जरूरत है ? सरकार तो इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के अनुसार चल रही है । प्राक्कलन समिति ने यही अच्छा समझा है कि इन कारखानों को विभागीय आधार पर न चलाया जाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्राक्कलन समिति ने यह भी कहा था कि सम्बन्धित हितों से परामर्श भी न किया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : मेरी समझ में ही नहीं आता कि राजस्थान सरकार का इसमें क्या हित हो सकता है । हम ने वह भूमि राजस्थान सरकार से पट्टे पर ली है और दसियों साल से ८० साल से हम उसे दूसरों को पट्टों पर उठाते रहे हैं ।

हां हम इस सब के बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्री को पूरी सूचना देते रहे हैं । वह समवाय के निर्माण से सहमत हैं । हमारे पास उनका लिखित पत्र है । यह कहना ग़लत है कि राजस्थान सरकार इस समवाय के निर्माण का विरोध कर रही है । वैसे भारत सरकार संवैधानिक रूप में राजस्थान सरकार से परामर्श करने के लिये बाध्य नहीं है ।

भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए संघीय वित्तीय करार की अवधि १९६० तक है । इस करार में यह दिया गया है कि भारत सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को क्या अदायगी की जानी चाहिये । वह की जा रही है और १९६० तक की जाती रहेगी । उसके बाद की व्यवस्था के बारे में बाद में १९६० के बाद दोनों सरकारों के बीच करार किया जायेगा ।

अभी भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही को करार के दायित्वों को निभाना है । यह समवाय तो भारत सरकार का अपना एक पहरेदार है । अब अन्तर सिर्फ यही है कि नमक कारखानों को विभागीय तौर पर न चला कर राज्य समवाय द्वारा चलाया जायेगा । भारत सरकार को बहुत पहले से यह अधिकार रहा है और अभी भी है कि वह समवाय को पट्टे पर भूमि दे सके ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या १९६० के बाद भी इस पट्टे को मानना राजस्थान सरकार के लिये अनिवार्य है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: राज्यों के संविलय के बाद इन मामलों में विभिन्न राज्यों और भारत सरकार के बीच के सम्बन्ध संघीय वित्तीय व्यवस्थाओं और करारों द्वारा ही शासित होते हैं । १९६० के बाद इस करार की अवधि समाप्त होने पर दोनों राज्यों के बीच एक नया करार किया जायेगा । उसमें सभी अन्य प्रकार के पट्टों के प्रश्न के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की जायेगी । यह प्रश्न उसी अवसर पर उठाया जाना चाहिये । जिस प्रकार इस मामले की छानबीन के लिये श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई थी हो सकता है कि उस भावी करार के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने के लिये भी एक आयोग नियुक्त किया जाये । लेकिन १९६० के बाद की बात के लिये अभी से क्या कहा जा सकता है । वर्तमान करार के अनुसार राजस्थान सरकार का समवाय से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहेगा ।

माननीय मित्र ने नमक जमने के बाद बचने वाले खारे पानी (बिटर्नस) के उपयोग के सम्बन्ध में उठने वाली कठिनाई का भी जिक्र किया है । यह ठीक है कि ८० साल पुराने करार में इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । लेकिन ८० साल पहले तो दोनों सरकारों को इसका पता भी नहीं था । रसायनशास्त्र ने इस बीच में कई और भी ऐसे तत्वों का पता लगाया है जिनका उपयोग हमें पहले मालूम नहीं था और अब जिनका उपयोग हमें उस क्षेत्र में आत्म-निर्भर बना सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री सतीश चन्द्र]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राजस्थान का नमक जमने के बाद बचने वाले खारे पानी में कई रासायनिक लवण रहते हैं। राज्य सरकार को उनके उपयोग के लिये सांभर नमक क्षेत्र के पास कोई रासायनिक कारखाना स्थापित करना चाहिये या नहीं वह व्यावहारिक होगा या नहीं इस सम्बन्ध में मैं कोई राय नहीं दे सकता। इस सम्बन्ध में क्या होना चाहिये इसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से बातचीत चल रही है। भारत सरकार नमक जमने के बाद बचे खारे पानी पर उचित राजस्व देने के लिये तैयार है। हमारी वार्ता चल रही है और शायद उसके तय होने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी।

माननीय सदस्यों न जो अन्य बातें कही हैं वे सभी नमक आयुक्त के संगठन के बारे में ही हैं हिन्दुस्तान नमक निगम के बारे में नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री अपना भाषण कल आरम्भ करें।

कोयले का निर्यात*

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ होगी।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम यहां पर कोल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दिन पर दिन कोल का हमारा एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। सन् १९४६ से लेकर सन् १९५७ तक हम ने ३७ मुल्कों को कोल का एक्सपोर्ट किया था। आज यह तादाद घट कर के कुल जमा १४ रह गई है और सन् १९५८ में मई तक का जो आंकड़ा मुझे मिला है उस से साबित होता है कि छः और मुल्कों को हम ने कोल का एक्सपोर्ट (निर्यात) करना बन्द कर दिया है। इस प्रकार ३७ मुल्कों में से केवल ७-८ मुल्कों में ही हिन्दुस्तान के कोल का एक्सपोर्ट होता है और अपनी गलत नीति के कारण २९ मुल्कों को हम ने कोल के मामले में अपने हाथ से खो दिया है। सन् १९५८ में जिन मुल्कों को कोल एक्सपोर्ट करने का व्यापार हम ने खोया है वे हैं सिंगापुर, साऊथ कोरिया, अदन, इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका, हांगकांग और कुछ जापान में भी। इसके पश्चात् आप देखेंगे कि सन् १९५१ में २५ मुल्कों में हमारा कोल एक्सपोर्ट होता था। १९५२ में वह १९ मुल्कों में हुआ, १९५४ में १३ मुल्कों में, १९५५ में ११ मुल्कों में, १९५६ में ८ मुल्कों में और आज इन मुल्कों की तादाद घट कर ७ रह गई है। इन दस बरसों के अन्दर जहां पहले ३७ मुल्कों में हमारा व्यापार होता था वह अब घट कर सात आठ मुल्कों में ही रह गया है और २९ मुल्कों के साथ हम ने अपना व्यापार खो दिया है।

एस्टीमेट्स कमेटी (प्राक्कलन समिति) ने जब यह बात देखी तो उसने सन् १९५४-५५ की रिपोर्ट में इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। इस रिपोर्ट के सफा १९ पर आप यह लिखा हुआ देखेंगे :—

> "मई १९५३ में अतिकर हटा दिये गये थे किन्तु तब तक ग्राहक हमारे हाथ से जाते रहे थे।"

एस्टीमेट्स कमेटी के इस रिपोर्ट के बावजूद भी हम ने अपनी नीति को नहीं बदला और उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ भी तरक्की नहीं हुई और हालत खराब होती चली गई।

---

† मूल अंग्रेजी में।

*आधे घंटे की चर्चा

मैंने अभी आपको मुल्कों की तादाद को बताया है । अब मैं आपको कोल के एक्सपोर्ट के आंकड़े बतलाना चाहता हूं । १९४८ में २२ लाख टन, आड नम्बर को मैं छोड़ देता हूं, कोल हमने एक्सपोर्ट किया । १९४९ में २७ लाख टन एक्सपोर्ट किया और १९५२ में ३३ लाख टन हम ने एक्सपोर्ट किया, लेकिन १९५७ में यह तादाद ३३ लाख टन से घट कर १७ लाख टन रह गई अर्थात् केवल तीन वर्षों में हम ने ५० प्रतिशत कोल की मार्केट को अपने हाथ से खो दिया । फिर भी हमारी आंखें खुली नहीं, हमारी नींद खुली नहीं । अब आप देखेंगे कि सन् १९२० से लेकर १९५६ तक, जैसा मैं ने आप को आंकड़ों से बताया, हम ने करीब ५० प्रतिशत कोल की मार्केट खो दी, जो कि हम एक्सपोर्ट करते थे । अब हमें पड़ोस की कंट्री को लेना चाहिये । सीलोन, बर्मा, सिंगापुर, मलाया, अदन और ईस्ट अफ्रीका, जहां हमारा होम ट्रेड है । अभी जब शिपिंग बिल चल रहा था उस वक्त मैं ने कहा था होम ट्रेड के बारे में । हम सीलोन को सन् १९४९ में ३ लाख टन कोल एक्स्पोर्ट करते थे । सन् १९५६ में आ कर वह १ लाख टन हो गया, अर्थात ७ वर्षों के अन्दर सीलोन को हमारा एक्स्पोर्ट ३ लाख टन से घट कर १ लाख हो गया, और सन् १९५८ के पहले पांच महीनों में हम ने सिर्फ ६,१३६ टन कोल सीलोन को एक्सपोर्ट किया । अगर पांच महीनों में हम कुल ६ हजार टन कोल एक्स्पोर्ट करते हैं, और इसी हिसाब से साल भर का अन्दाजा लगाया जाय, तो हम मुश्किल से १५ हजार टन कोल सीलोन को एक्स्पोर्ट करेंगे । यह तो हमारी अवस्था है । ३ लाख टन से घट कर सीलोन को हमारा ट्रेड (व्यापार) सन् १९५८ में १२ हजार या १५ हजार टन रह जायगा ।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मेरा इंटरफिअर करने का इरादा नहीं है, लेकिन हम लोग ५०,००० टन कोल जनवरी से जून तक सन् १९५८ में भेज चुके हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं ने उसे जोड़ा है । यह सब कागज मैं ने मिनिस्ट्री से मांगे थे और ये वहीं से आये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कहीं से आये हों, वह आनरेबल मेम्बर के कब्जे में हैं इस लिये मैं उन पर एतबार करता हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह : अब मैं सिंगापुर को लेता हूं । सिंगापुर को हम ने सन् १९४६ में १ लाख, ७९ हजार टन कोल एक्स्पोर्ट किया । सिंगापुर एक मेजर हारबर है और सारे इंडोनीशिया और दूसरे स्थानों को उसके जहाजों से माल जाता है । इतना बड़ा जो हारबर सिंगापुर का है उस के लिये हम ने सन् १९४६ में १ लाख, ७९ हजार टन कोल एक्स्पोर्ट किया । सन् १९५१ में हम ने कुल १ लाख १६ हजार टन एक्स्पोर्ट किया और सन् १९५७ में सिर्फ ५५ हजार टन एक्स्पोर्ट किया । इसके माने यह हैं कि हम ने दस वर्षों में ५० परसेन्ट मार्केट सिंगापुर की खो दी । अब सन् १९५८ की जो हमें किताब दी गई है उस से मालूम होता है कि सिंगापुर के लिये हिन्दुस्तान ने कोई कोल नहीं भेजा । मई सन् १९५८ तक हम ने सिंगापुर की मार्केट को बिल्कुल खो दिया ।

अब आप पाकिस्तान को लें । पाकिस्तान को हम सन् १९४८ के आंकड़े के अनुसार १६ लाख टन कोल एक्स्पोर्ट करते थे । सन् १९४९ में हम ने १९ लाख टन एक्स्पोर्ट किया और सन् १९५७ में वह जा कर ९ लाख टन रह गया । अर्थात् ८ वर्षों के अन्दर पाकिस्तान में हम ने ५० परसेन्ट से ज्यादा मार्केट खो दी, और सन् १९५८ की मई तक का जो आंकड़ा दिया है उस से साबित होता है कि हम ने पाकिस्तान को सिर्फ १ लाख टन कोल एक्स्पोर्ट किया है । अर्थात् हम साल भर के अन्दर अब पाकिस्तान को सिर्फ २ लाख टन कोल भेज सकते हैं जब कि सन् १९५७ में हम ९ लाख टन

[श्री रघुनाथ सिंह]

एक्स्पोर्ट करते थे । यह हमारे उन तीन मुल्कों का हाल है जहां हमारा एकाधिकार था, जहां के लिये हम पूरा पूरा कोल एक्स्पोर्ट करते थे । वह मार्केट हम ने खो दी, फिर पा सकेंगे या नहीं, इस में बहुत सन्देह है ।

यहां पर यह कहा जा सकता है कि शायद हमारे कोल का प्रोडक्शन कम हो गया होगा इस वास्ते हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते । लेकिन जो प्रोडक्शन के आंकड़े दिये गये हैं उन से जाहिर होता है कि सन् १९५०में ३२ मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन हुआ और सन् १९५७में ४३ मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ । अर्थात् प्रोडक्शन तो कम नहीं हुआ, लेकिन हम ने अपनी एक्स्पोर्ट की मार्केट खो दी । उस दिन मैं ने स्वर्ण सिंह जी से प्रश्न पूछा था कि आखिरकार जब कोयला हमारे पास इतना है तो हम अपने बाहर की एक्स्पोर्ट मार्केट क्यों खोते जा रहे हैं ? इस का कोई कारण तो होना चाहिये क्योंकि जब व्यापारी एक बार बाजार खो देते हैं, एक दफा जब दूकान बन्द कर देते हैं, तो दुबारा दूकान चलाने में बहुत समय लगता है, तब कहीं जा कर दूकानदार उस को चला सकता है । उस दिन जब मैं ने प्रश्न किया था तो मंत्री जी ने बहुत सहानुभूतिपूर्वक उस का उत्तर भी दिया था कि वह भी चाहते हैं कि कोल के व्यापार की वृद्धि हो । लेकिन हमारे सामने सब से बड़ा सवाल पैदा हो गया चाइना का । आखिरकार हमारी मार्केट ली किस ने ? हमारी बर्मा की मार्केट ली, सीलोन की मार्केट ली, सिंगापुर की मार्केट ली, लेकिन वह ली हांगकांग और चाइना ने । चाइना केवल कोल की मार्केट ही नहीं ले रहा है, बल्कि हमारी कपड़े की मार्केट भी चाइना ने कैप्चर कर ली । बर्मा में हम हिन्दुतानियों की तादाद करीब ९ परसेन्ट है । थाईलैंड में जितना काटन क्लाथ का व्यापार है वह नामधारी सिखों के हाथ में है, कुछ खत्रियों के हाथ में है । बैंग्काक में भी आप जानते हैं कि जितनी भी कपड़े की दूकानें हैं सब नामधारी सिखों की हैं, कुछ खत्री हैं और कुछ यू० पी० के लोग हैं । उन से मैं ने बात की । उन्होंने कहा कि हम कपड़ा व्यापार खो रहे हैं । मैं ने उन से पूछा कि आखिर आप हिन्दुस्तान के आदमी हैं, आप कपड़े का व्यापार क्यों खो रहे हैं ? उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान की पालिसी ही ऐसी है । हम ने इम्पोर्ट तो बन्द कर दिया । हम चाहते हैं कि हमारा सामान दूसरे लोग खरीदें लेकिन हम दूसरों का सामान न खरीदें । इसी तरह पर हर मुल्क सोचने लगा । मलाया भी सोचने लगा, इंडोनीशिया भी सोचने लगा, सब सोचने लगे कि हिन्दुस्तान हमारा माल नहीं खरीदता तो हम हिन्दुस्तान का सामान क्यों खरीदें । लिहाजा इन मार्केट्स को हम ने खो दिया । अगर हम इन मुल्कों को अपना माल एक्स्पोर्ट करते हैं तो हम को उन मुल्कों के माल को इम्पोर्ट भी करना चाहिये । हम सोचते हैं कि हम दूसरे मुल्कों से रुपया ले लें, लेकिन उन को रुपया न दें । इस तरह से एकतरफा प्यार नहीं हो सकता । इस लिये चाइना ने दूसरी नीति अपनाई । उस ने बार्टर की नीति अपनाई, और वह यह कि जो कोल हम तुम्हें सप्लाई करते हैं उस के बदले तुम हमें अपना माल दो । लिहाजा इन मुल्कों की मार्केट्स को चाइना ने कैप्चर कर लिया । चाइना ने कोल की मार्केट को कैप्चर किया और जापान ने कपड़े की । और हम आज कहीं नहीं रहे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि बर्मा में हिन्दुस्तानियों की इतनी तादाद, थाईलैंड में इतनी तादाद, मलाया में हिन्दुस्तानियों की तादाद १२ पससेन्ट, सिंगापुर में हिन्दुस्तानियों की तादाद १३ परसेन्ट । तो बर्मा में, थाईलैंड में, इंडोनीशिया में, सिंगापुर में, मलाया में जो कम्पिटीशन है वह हिन्दुस्तान के व्यापारी में और चाइना के व्यापारी में है जो कि वहां रहते हैं । बहुत दिन नहीं हुए, जब मैं वहां गया । हमें बताया गया कि हिन्दुस्तान के व्यापारी में और चाइना के व्यापारी में इतना कम्पिटीशन है कि पता नहीं पांच या दस वर्षों के अन्दर वहां कोई हिन्दुस्तानी व्यापारी बच

भी सकेगा या नहीं । मैं वह सोच भी नहीं सकता । मगर गवर्नमेंट की तरफ से वहां एक आदमी भी नहीं गया । हमारी इतनी बड़ी पापुलेशन है साउथ ईस्ट एशिया में, थाईलैंड में, बर्मा में, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया वहां के हिन्दुस्तानी व्यापारियों को कांफिडेंस में ले कर उन के द्वारा अपना व्यापार बढ़ाने के लिये । दूसरी तरफ चाइनीज गवर्नमेंट हर एक चाइनीज का ख्याल रखती है । जो चाइना के व्यापारी हैं, उन में से हर एक समझता है कि हम चाइना का सामान ला कर यहां बेचें । आप जानते हैं कि सारे साउथ ईस्ट एशिया में, बर्मा, कम्बोडिया, थाईलैंड और वियटनाम में चाइनीज पापुलेशन करीब ३० परसेन्ट (प्रतिशत) है । यह पापुलेशन (जनसंख्या) चाहती है कि हम चाइना का कोई माल ला कर वहां बेचें ।

हम चीन को क्लाथ बेचें । चीन गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश हो रही है लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही है । हमारी वहां पर इतनी बड़ी पापुलेशन होते हुए भी हम अपने भाइयों के साथ हमदर्दी ज़ाहिर करें और उन से राय ले कर हम अपने व्यापार की वहां पर तरक्की करें, इस के लिये कोई कोशिश हमारी तरफ से नहीं हो रही है ।

दूसरी बात यह है कि चीन का कोयला बार्टर सिस्टम पर है । चीन का कोयला सस्ता पड़ता है और उस के सस्ता होने के कारण चीन का कोयला आज वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है । हमें भी यह सोचना चाहिये कि चीन के कम्पटीशन का हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं ।

हमारे यहां पर सरदार स्वर्ण सिंह यह बात सोच रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े । अभी हमारे यहां आयल निकल आया है और जब हमारे यहां कोयला इतना भरा पड़ा हुआ है तो मैं समझता हूं कि हमारी फ्यूल की समस्या आसानी के साथ हल हो सकती है । इस वास्ते आज जो भी हमारा मार्केट बचा हुआ है, ७, ८ मुल्कों में जहां हमारा कोयला जाता है, वहां पर जाता रहे और वह मार्केट हमारे हाथ में बना रहे और साथ ही साथ हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि दूसरे मार्केट्स और खास कर इंडियन ओशन का जो मार्केट है, उन मार्केटों में भी हमारा कोयला जाय ताकि फ़ारेन एक्सचेंज मनी की जिस की कि हमें बहुत ज़रूरत है वह हमें प्राप्त हो सके । अकेले वन वे ट्रैफिक से यह काम बनने वाला नहीं है । उस के लिये हमें जहां ज़रूरी सामान मंगाना होगा वहां हमें अपना सामान बाहर के देशों को भेजना भी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि हमारे सरदार स्वर्ण सिंह आवश्यक कदम उठायेंगे ताकि आज जो हम २९ मुल्क खो चुके हैं उन में हमारा व्यापार फिर बढ़े और वहां के जो हिन्दुस्तानी भाई हैं उन को अपने साथ में लेकर और अपने कौनफिडेंस में लेकर हिन्दुस्तान के व्यापार की अभिवृद्धि करेंगे । ऐसा करने से मुझे विश्वास है कि हमारे देश का व्यापार तरक्की करेगा ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : श्रीलंका को निर्यात में कमी हो जाने के कारण यह चर्चा उठाई गई है ; अतः सब से पहले मैं इसी विषय के बारे में बताऊंगा । वैसे श्रीलंका को कभी भी हमारा निर्यात अधिक नहीं रहा है । श्रीलंका हमारा पड़ोसी है अतः हम वहां कोयले का संभरण करते हैं ।

वैसे भी कोयला निर्यात की हमारी सामान्य नीति यह नहीं रही कि हम अधिकाधिक कोयला निर्यात करें और यह नीति गलत भी नहीं है । हमारी अपनी आवश्यकतायें हैं किन्तु पड़ौसी देशों को तो प्राकृतिक रूप से कोयला भेजना पड़ता है । हमारी नीति यह रही है कि पहले अपनी आवश्यकताओं

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

को देख कर हम पड़ौसियों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दें। हमारा आचरण इस प्रकार सहायता का रहा है। यद्यपि सूची इतनी लम्बी नहीं है किन्तु दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तथा पाकिस्तान की आवश्यकताओं के बारे में हमारी नीति यह रही है कि हम उन की आवश्यकताओं को यथा-संभव रूप से पूरा करते रहें।

विभिन्न देशों को निर्यात भी विभिन्न मात्राओं में ही होता रहा है। माननीय सदस्य ने १९५८ से आंकड़े लिये हैं। उस वर्ष तो आपवादिक रूप से ही अत्यधिक निर्यात हुआ था और वैसे उसे प्रतिनिधि वर्ष के रूप में नहीं लिया जा सकता। कोरिया युद्ध के पश्चात् वह स्थिति असाधारण सी थी—सामान्य न थी। हम ने १९५२ में अकेले जापान को ७,६५,००० टन कोयला बेचा। जापान में स्वयं भी कोयला बहुत होता है। हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हों ने भारतीय कोयला मंगवाया हो किन्तु उसे हम कोयला का ग्राहक तो नहीं मान सकते। १९५५ में उन्होंने केवल १७,००० टन कोयला ही खरीदा। १९५६ में और भी कम अर्थात् ११,००० टन। अतः हम १९५२ को आधारभूत वर्ष नहीं मान सकते।

पाकिस्तान को तो हम अपना कर्तव्य निबाहने के लिये कोयला निर्यात करते हैं क्योंकि वह सदैव रानीगंज बिहार क्षेत्रों से ही कोयले का क्रय करते रहे हैं अतः हम ने १२ लाख टन कोयला संभरण करने का करार उन से किया था। पूर्वी पाकिस्तान को ५५,००० टन कोयला प्रति मास दिया जो गाड़ियों या नदी के मार्ग से भेजा गया। पश्चिमी पाकिस्तान को हम ने समुद्र तथा नदी मार्ग से प्रतिमास १५,००० टन कोयले का संभरण करना है। यदि मुगलसराय की रुकावट न होती तो हम और भी कोयला भेज देते। मुगलसराय में डिब्बों के मार्ग में बाधायें आ जाती हैं अतः पश्चिमी पाकिस्तान को रेल मार्ग से हम बहुत ही कम कोयला भेज सकते हैं।

माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं और मुझे पंजाब का अनुभव है हम जानते ही हैं कि मुगलसराय की बाधा के कारण हमें कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ीं हैं। इन के बावजूद भी पाकिस्तान के प्रति हम अपना वचन निबाहने के लिये सदैव तैयार हैं।

श्रीलंका के बारे में तो हमें पर्याप्त चर्चा करने की आवश्यकता है। १९५६ में १,९०,००० टन कोयला वहां भेजा गया था और १९५७ में २,०६,००० टन का निर्यात किया गया। चालू वर्ष के अर्ध भाग में ५०,००० टन का निर्यात हुआ है। स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी कि श्री रघुनाथ सिंह कहते हैं। मैं यह भी बताऊंगा कि मात्रा में कमी क्यों हुई। गत वर्ष सितम्बर में श्रीलंका रेलवे ने रेलवे आवश्यकताओं के लिये १,७६,००० टन कोयले के टेंडर मांगे और १९५८ में हमारे पास आधे कोयले के संभरण के आदेश आये। आधे के आर्डर चीन भेजे गये। चीन इस कारण आर्डर दिये कि वहां से जहाजों में ३९ शिलिंग प्रति टन के हिसाब से कोयला आ सकता था। कलकत्ता से कोलम्बो का भी यही भाड़ा था। वे कलकत्ता से कोलम्बो तथा चीन से कोलम्बो समान भाड़े पर ही कोयला ढो रहे हैं। इस बात में क्या रहस्य है मैं चाहता हूं कि सभा ही इस पर विचार करे।

यद्यपि हमारा देश निकट है किन्तु किराया दोनों का ही बराबर पड़ रहा है। हम इस में कोई इधर उधर की बात तो नहीं करते। यदि भारत के कोयले की कीमत भी तनिक ज्यादा हो तब भी कम किराये के कारण इस से घाटा नहीं रहना चाहिये।

उदाहरणार्थ भारत तथा चीन के कोयले का मूल्य भाड़े सहित ३६ तथा ३९·६ रुपये प्रति टन है तो चीन की कीमत से यह ३ कम हुई। इस का कारण क्या है ? अब मैं क्या कह सकता हूं कि फिर श्रीलंका वाले चीन का कोयला क्यों पसन्द करते हैं।

श्री राघुनाथ सिंह ने बार्टर (वस्तुओं के स्थान पर वस्तुयें लेना) का मामला बताया। उस में थोड़ा तत्व तो है ही। यह वास्तव में इस कारण हुआ कि चीन श्रीलंका की रबड़ खरीदना चाहता है और उसे अपने कोयले के निर्यात की इतनी चिन्ता नहीं है। चीन वाले रबड़ श्रीलंका के अतिरिक्त कहां से लें इस कारण वे बदले में कोयला देने को तैयार हैं। मूल्यों का निर्धारण भी पक्षों की सलाह से हो सकता है।

श्रीलंका के बारे में तो यह बात है। जब हम मूल्य कोट करते हैं तो क्रेता को चुनना चाहिये। जब क्रेता चुनाव करले हमें फिर शिकायत नहीं करनी चाहिये। जब हम टेंडर मंगाते हैं तब अमेरिका, रूस, जर्मनी आदि देश अलग अलग कोटेशन भेजते हैं। किन्तु हम किसी एक देश से वस्तुयें खरीदते हैं। जिन दूसरे देशों से हम न खरीदें उन्हें शिकायत न करनी चाहिये। इसी प्रकार से हमें भी इस मामले में शिकायत नहीं करनी चाहिये। ऐसी स्थिति अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी उठ सकती है। कोयले से हमने कभी विदेशी मुद्रा मुख्य रूप से अर्जित नहीं की। हम तो केवल अपने पड़ौसियों की सहायता मात्र कर देते हैं। हां इस से विदेशी मुद्रा भी कमायी जा सकती है।

इन परिस्थितियों में हम थोड़ा ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहते हैं। हम ने एक निर्णय किया है कि चालू वर्ष की शेष अवधि में दो लाख टन कोयले का निर्यात करेंगे हालांकि हम इतना कोयला बचा नहीं सकते। तकलीफ काट कर भी हम चाहते हैं कि हमारे पास विदेशी मुद्रा हो। अगले वर्ष हम ५ लाख टन धात्वीय कोयला निर्यात करना चाहेंगे। अगले वर्ष इस से हमारे ऊपर थोड़ा भार भी पड़े क्योंकि हमारे इस्पात कारखाने लगभग पूर्ति के निकट आ जायेंगे। हम केवल इन्हीं देशों को निर्यात नहीं करेंगे बल्कि नये ग्राहक भी ढूंढेंगे।

माननीय सदस्यों को तो अचम्भा हुआ कि हमारे इतने ग्राहक जाते रहे। किन्तु हमें कोयले की मात्रा पर ध्यान देना चाहिये। जिन देशों का नाम उन्हों ने लिया उन में से कई एक में तो हम कुछ सैकड़ों टन कोयला ही भेजते थे। ५० या १०० टन की कमी कोई कमी नहीं गिनी जाती। हमें तो यह देखना चाहिये कि निर्यात कुल कितनी मात्रा में हुआ।

गत कुछ वर्षों के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

१९५३—१९ लाख टन
१९५४—२० लाख टन
१९५५—१५ लाख टन
१९५६—१७ लाख टन
१९५७—१७ लाख टन
जून, १९५८ तक—७,५२,००० टन।

१९५२ में हम ने ३३ लाख टन का निर्यात किया था। हमें अपने पड़ोसी देशों से तो सहानुभूति रखनी है। हम इस भावना से व्यपार नहीं करेंगे कि दूसरों को नीचा दिखाने का यत्न करें।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २४ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[मंगलवार, २३ सितम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	३७९९–३८२४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४७७	बिहार में स्टीमर सर्विस	३७९९–३८००
१४७८	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० का संशोधन .	३८००–०१
१४७९	दिल्ली में असैनिक हवाई अड्डा . .	३८०१–०३
१४८०	पंजाब में बाढ़ नियंत्रण के लिये महायोजना .	३८०३
१४८१	मद्रास और केरल के बीच अन्तर्राज्यिक नदी जल विवाद	३८०४–०५
१४८३	जहाज से उतारा गया किन्तु गुमशुदा माल	३८०५–०७
१४८५	राज्यों में एम० बी० बी० एस० कोर्स	३८०७–०८
१४८७	खण्ड मंत्रणा समितियां . . .	३८०९–११
१४८८	मिरज-बार्सी रेलवे का मीटर लाइन में बदला जाना	३८११
१४९०	ठेके . . .	३८१२–१३
१४९१	यकृत्कोप (पीलिया) .	३८१३
१४९२	हीराकुड बांध परियोजना .	३८१४–१५
१४९३	मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९५४	३८१५–१६
१४९४	गुड़गांव में नहर . .	३८१६–१७
१४९५	तिनेवेलि-कुमारी अन्तरीप रेल सम्पर्क	३८१७–१९
१४९६	रेल गाड़ी में डाका .	३८१९–२०
१४९८	दिल्ली में भूमिगत नालियां . .	३८२०–२१
१५०१	उत्तर प्रदेश को खाद्यान्नों का संभरण . .	३८२१–२३
१५०३	राजस्थान से खाद्यान्नों का निर्यात . .	३८२३–२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	३८२४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४८२	नौवहन समवायों को सामान देर से छुड़ाने के लिये किया गया भुगतान	३८२४
१४८४	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मुख्यालय का स्थानान्तरण	३८२४–२५
१४८६	पश्चिमी बंगाल के अस्पतालों में अतिरिक्त रोगियों के रखे जाने की व्यवस्था	३८२५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

१४८९	अरियालूर रेल दुर्घटना	३८२५-२६
१४९७	खोसला समिति	३८२६
१४९९	दुग्ध उत्पादन	३८३६
१५००	दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिये ऋण	३८२६-२७
१५०२	त्रिपुरा	३८२७
१५०४	दुर्गापुर और उड़िपा स्टेशनों का नये नमूने का बनवाया जाना	३८२७-२८
१५०५	भारत-पाकिस्तान सीमा का बन्द किया जाना	३८२८
१५०६	विमान दुर्घटना	३८२८-२९
१५०७	दिल्ली में बस्तियां	३८२९
१५०८	अमरीका से खाद्य सहायता	३८२९
१५०९	भाखरा बांध	३८२९-३०
१५१०	दिल्ली के गांवों में बिजली लगाना	३८३०
१५११	जोधपुर के लिये वाष्प-शक्ति संयंत्र	३८३०-३१
१५१२	पाकिस्तान बह कर चले गये स्लीपर	३८३१
१५१३	दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर बिजली की रेलें चलाना	३८३१
१५१४	दण्डकारण्य परियोजना के लिये रेलवे लाइन	३८३२
१५१५	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये अवकाश-गृह	३८३२
१५१६	चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप	३८३२-३३
१५१७	केन्द्रीय बिजली घर की शीतक मीनार (कूलिंग टावर)	३८३३
१५१९	चल-टिकट-परीक्षक	३८३३
१५२०	स्वेज नहर अधिभार का भारतीय नौवहन पर प्रभाव	३८३३
१५२१	एन्फलुएंजा	३८३४

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२५००	बम्बई के मराठवाड़ा क्षेत्र में केन्द्रीय गोदाम	३८३४
२५०१	बम्बई में वन्य पशु	३८३५
२५०२	मराठवाड़ा में टेलीफोन के कनेक्शन	३८३५
२५०३	राष्ट्रीय राजपथ	३८३५
२५०४	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	३८३५-३६
२५०५	मंत्रणा समिति की बैठकें	३८३६
२५०६	आंध्र की चीनी मिलें	३८३६-३७
२५०७	गुंटूर में ऊपरी पुल	३८३७
२५०८	आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संभरण योजनायें	३८३७-३८
२५०९	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ पर डिग्राघाट पर पुल	३८३८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५१०	बड़ी सिंचाई परियोजनायें	३८३८
२५११	अनुसन्धान एकक	३८३८
२५१२	भाखरा-नंगल बांध देखने जाने वाले पर्यटक	३८३९
२५१३	रेलवे कर्मचारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा	३८३९
२५१४	भारत में निर्मित रेल के सवारी और माल-डिब्बे	३८३९-४०
२५१५	दिल्ली में चेचक	३८४०
२५१६	सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में अनाज का वितरण	३८४०
२५१७	दिल्ली में पशुओं के रोग	३८४१
२५१८	दिल्ली में पशुओं की नस्ल सुधारना	३८४१-४२
२५१९	जमुना बांध	३८४२
२५२०	मध्य प्रदेश में टेलीफोन लगाना	३८४३
२५२१	विभिन्न राज्यों की बाढ़ नियंत्रण योजनायें	३८४३
२५२२	कृषि सम्बन्धी पाठ्यक्रम (फार्म कोर्स)	३८४४
२५२३	बांध परियोजनाओं में विदेशी विशेषज्ञ	३८४४
२५२४	हवाई जहाजों में यात्रियों के लिये पत्रिकायें	३८४४-४५
२५२५	कंचनपुर के लिये चिकित्सा व्यवस्था	३८४५
२५२६	धतूरा	३८४५
२५२७	मध्य रेलवे की गाड़ी	३८४५-४६
२५२८	टेपियोका का उत्पादन	३८४६
२५२९	केरल में सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य	३८४६
२५३०	जहाज खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा	३८४७
२५३१	नाव सेवा	३८४७
२५३२	बंगले के चपरासी	३८४७-४८
२५३३	लगेज गार्ड प्रणाली	३८४८
२५३४	रेलवे एक्ट	३८४८
२५३५	उत्तर प्रदेश की गैर-सरकारी बिजली सप्लाई कम्पनियां	३८४८-४९
२५३६	टेलीफोन निर्देशिका	३८४९
२५३७	सामान की चोरी	३८४९
२५३८	भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड	३८५०-५१
२५३९	उत्तर रेलवे में रेल कारें	३८५१
२५४०	फसलों की हानि	३८५१-५२
२५४१	डाक घरों के निरीक्षक	३८५२
२५४२	डाक की चोरियां	३८५२
२५४३	भारत में पंजीबद्ध विमान	३८५३
२५४४	नदी बोर्ड अधिनियम, १९५६	३८५३
२५४५	राज्य सरकारों की शक्तियां	३८५३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५४६	भारतीय कृषि शिक्षा परिषद् .	३८५४
२५४७	पंजाब में अधिक अन्न उगाओ योजनायें	३८५४
२५४८	रेलवे की रियायतें	३८५४
२५४९	रेलवे सुरक्षा बल . . .	३८५४-५५
२५५०	जम्मू तथा काश्मीर को दी गयी सहायता	३८५५
२५५१	केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था .	३८५६
२५५२	भ्रष्टाचार .	३८५६
२५५३	आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा बांध	३८५६
२५५४	खाद्यान्नों पर चुंगी .	३८५७
२५५५	रामपुर में ऊपरी पुल	३८५७
२५५६	गंगा नदी बोर्ड का निर्माण .	३८५७
२५५७	भागीरथी नदी के दायें तट का कटाव	३८५८
२५५८	जन स्वास्थ्य इंजीनियरों की वृत्तिका	३८५८
२५५९	टेलीफोन के कनेक्शन .	३८५८
२५६०	पंजाब में टेलीफोन के कनेक्शन .	३८५८५९
२५६१	कृषि तथा पशुचिकित्सा महाविद्यालयों को सहायता .	३८५९-६०
२५६२	राज्यों को लोहा तथा इस्पात का संभरण	३८ ६०
२५६३	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना .	३८६०-६१
२५६४	डोरनाकल स्टेशन पर इंटरलाकिंग उपकरण	३८६१
२५६५	आसाम के स्टीमर चलाने वाले समवाय	३८६१-६२
२५६६	स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी .	२८६२
२५६७	पश्चिमी बंगाल में सिंचाई के कुएं	३८६२
२५६८	कृषि-अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र	३८६३
२५६९	गोबर . . .	३८६३-६४
२५७०	दालमिया दादरी सीमेण्ट फैक्टरी	३८६४
२५७१	चीनी की मिलें .	३८६४-६५
२५७२	चीनी के कारखाने . .	३८६५
२५७३	बड़ा डाकघर, गाजीपुर .	३८६६
२५७४	स्पेशल रेलगाड़ियां	३८६६
२५७५	गोदी कर्मचारियों के पदों का वर्गीकरण एवं प्रवर्गीकरण	३८६६
२५७६	डिक्रोंग नदी पर पुल	३८६७
२५७७	दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन में पुल .	३८६७
२५७८	मनीपुर में सर्वेक्षण-कार्य	३८६८
२५७९	टेलीफोन . .	३८६८
२५८०	बिजली की रेल गाड़ियां .	३८६९
२५८१	शरबती घाटी परियोजना	३८६९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश :)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५८२	मयूराक्षी परियोजना का कनाड़ा बांध	३८६९
२५८३	दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई	३८७०
२५८४	निजामुद्दीन और ओखला के बीच रेल के ऊपर का पुल	३८७०-७१
२५८५	डाकखानों के सीनियर सुपरिंटेंडेंट	३८७१
२५८६	अखिल भारतीय रेलवे टेलीग्राफ कर्मचारी परिषद्	३८७१-७२
२५८७	पुल	३८७२
२५८८	उत्तर रेलवे का आरक्षण कार्यालय	३८७२
२५८९	ट्रक के साथ गाड़ी की टक्कर	३८७३
२५९०	डीजल कारें	३८७३
२५९१	खपरैल के लिये नौवहन की दरें	३८७३-७४
२५९२	सिंडर	३८७४
२५९३	दिल्ली में बिजली का शवदाह-यंत्र	३८७४
२५९४	घी	३८७४—७६
२५९५	लोहे और इस्पात का कबाड़	३८७६
२५९६	जहाज निर्माण के लिये पुर्जे	३८७६-७७
२५९७	पंजाब में कृषि स्नातकोत्तर गवेषणा प्रशिक्षण केन्द्र	३८७७
२५९८	उत्तर रेलवे में रेलवे कारखाना	३८७७
२५९९	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	३८७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३८७८-७९

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, १९४८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७९६ की एक प्रति ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ८०४, दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ ।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ८०५, दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ ।

(तीन) जी० एस० आर० संख्या ८०६, दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ८१५, दिनांक ११ सितम्बर, १९५८ ।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ८१६, दिनांक ११ सितम्बर, १९५८ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(तीन) जी० एस० आर० संख्या ८१७, दिनांक ११ सितम्बर, १९५८ जिसमें दिल्ली (अतिथियों पर नियंत्रण) आदेश, १९५८ दिया गया है ।

(चार) राजस्थान चना (निर्यात पर रोक) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली जी० एस० आर० संख्या ८१८, दिनांक १२ सितम्बर, १९५८ ।

(पांच) जी० एस० आर० संख्या ८१८-ए, दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ जिसमें चावल (उत्तरी महाखण्ड) यातायात नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया गया है ।

(४) बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा २ग की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८३१ की एक प्रति ।

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . ३८८१—९०

श्री मी० रू० मसानी ने केरल के मुख्य मंत्री द्वारा गृह-कार्य मंत्री को भेजे गये कथित तार के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया । कुछ चर्चा के बाद अध्यक्ष ने उस विषय पर अपना दिर्णय स्थगित रखा ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . ३८९०-९१

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) ने भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में १२ अगस्त, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४१, ५४, ५५ और ६२ पर डा० राम सुभग सिंह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें . . . ३८९१—३९२०

वर्ष १९५८-५९ के लिये आयव्ययक (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा . . ३९२०—२५

श्री रघुनाथ सिंह ने कोयले के निर्यात के बारे में ११ सितम्बर, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ११५३ के बारे में दिये गये उत्तरों से उठने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई । इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

विषय

बुधवार, २४ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

वर्ष १९५८-५९ के लिये आयव्ययक (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा निम्न विधेयकों पर विचार और उन्हें पारित करना :—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८; तथा

(२) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक, १९५८ ।